भूमिका

(१) इन्कम टैक्स का संक्षिप्त इतिहास

इन्कम टैक्स का अर्थ है वह कर जो आमदनी पर ली जाय। यह टैक्स डाइरेक्ट टैक्स है। बहुत-सी टैक्स ऐसी है जो किसी न किसी द्वारा दी जाती हैं परन्तु चीज की खपत करनेवाले को उसका आभास नहीं होता यद्यपि उसका बोझा तो उस पर पड़ता ही है। उदाहरण स्वरूप दियासलाई पर जो ड्यूटी (Excise duty) ली जाती है वह अप्रत्यक्ष कर है। दियासलाई तैयार करनेवाले को वह देनी पडती है। दियासलाई खरीदने वाले को सीधे सरकार को नहीं देनी पडती यद्यपि अप्रत्यक्ष रूप से वह दियासलाई तैयार करनेवाले के द्वारा दाम बढा कर उससे अदा कर ली जाती है। इन्कम टैक्स ऐसी टैक्स नहीं है, वह प्रत्यक्ष (Direct) रूप से अदा की जाती है अर्थात् एसेसी को अपनी आमदनी पर उसे देना पडता है—इसका बोझा उसी पर है—वह दूसरे से यह टैक्स अदा नहीं कर सकता। भारत में बृटिश शासन के पहले ऐसी टैक्सें थीं परन्तु प्रायः वे सब बृटिश शासन के शुरु होने के बाद उठा दी गई। सिपाही गदर मे जो खर्च हुआ उसको पूरा करने के लिए फिर ऐसी टैक्सों को कायम करना जरूरी हो पडा। सबसे पहले सन् १८६० ई० मे एक्ट नं० ३२ सन् १८६० ई० के द्वारा भारत-वर्ष में इन्कम टैक्स लगाया गया। फिर सन् १८६१ ई० मे एक्ट २१, और सन् १८६२ ई० मे एक्ट २६ पास हुआ। इसके बाद प्राय. १० वर्षों तक इन्कम टैक्स लेना फिर उठा दिया। बाद में सन् १८७७ ई०

में इन्कम टक्स फिर लगाया गया। सर्व प्रथम समूचे भारतवर्ष के लिए एक ही इन्कम टैक्स कानून सन् १८८६ में बनाया गया था।

यह एक्ट सन् १६१६ ई० तक जारी रहा। सन् १६१५ ई० की बड़ी लड़ाई के खर्च को पूरा करने के लिए सरकार को अधिक रुपयों की आवश्यकता पड़ी। रुपये आने का और कोई उपाय न था। इन्कम टैक्स कानून में रद्दोबदल करने की ओर दृष्टि दौड़ी जिससे कि वेसी टैक्स आ सके। सन् १६१७ ई० में इन्कम टैक्स कानून में सुधार किया गया। प्रत्येक शख्स को जिसकी आमदनी २०००) से अधिक हो उसके लिए रिटर्न भरना जरूरी हो गया। बाद में फिर परिवर्तनों की आवश्यकता हुई और इन्कम टैक्स एक्ट ७, सन् १६१८ ई० का पास हुआ। इसकी कमियों को दूर करने के लिए सन् १६२२ ई० का एक्ट ११ पास किया गया।

इस एक्ट में भी समय-समय पर परिवर्तन होते रहे है। इसमे प्रायः २० बार परिवर्तन किए गये होंगे। सन् १६३७ ई० में जो परिवर्तन किया गया उसके अनुसार नाबालिग बच्चे या स्त्री को यदि वे उस फर्म मे साझेदार हों जिसमे कि पति या पिता साझेदार है तो उनकी आय को पिता की या पति की आय के साथ जोड़ कर टैक्स लिया जाने लगा।

(२) सन् १६३६ ई० के एक्ट ७ द्वारा हुए सुधार

सन् १६३६ ई० के संशोधन एक्ट द्वारा इन्कम टैक्स कानून में बड़े गहरे परिवर्तन किए गए है। कहा जाय तो प्रायः समूचे कानून को नया रूप दे दिया गया है। कई परिवर्तन सरकार की आय की दृष्टि से बड़े महत्त्व के है। एसेसी की भलाई के लिए तो वे बनाए ही नही गये हैं। सरकार की आमदनी में जैसे-तैसे वृद्धि करना ही, जो परिवर्तन या सुधार किए गये है, उनका खास लक्ष है। एसेसी पर कई प्रकार की कठिनाइयाँ डाल दी गई हैं। उसके सामने बहुत-सी

उलझन खडी कर दी गई है। दण्ड और जुर्माने के भयानक विधान बना दिए गये है। इन सब का पूरा खुलासा पुस्तक के भीतर है। यहाँ पर पाठकों की जानकारी के लिए हम परिवर्तनों की सक्षेप मे सूची मात्र दे देते हैं। मुख्य परिवर्तन निम्नलिखित किए गये हैं:—

(१) टैक्स स्लैब सिस्टम के अनुसार लगाया जायगा। इसका खुलासा इस प्रकार है .—

आगे टैक्स योग्य कुल आय पर एक ही दर से टैक्स लिया जाता था परन्तु अब कुल आय के टुकड़े कर प्रत्येक पर उत्तरोत्तर चढ़ते हुए दर से टैक्स लगाई जायगी। उदाहरण स्वरूप पुराने एक्ट के अनुसार कुल आय रु० ५,०००) होती तो इन समूचे रुपयों पर)॥। के हिसाब से टैक्स लिया जाता था अगर आय १०,०००) होती तो –) आने के हिसाब से समूची आय पर टैक्स लिया जाता था परन्तु अब आय के टुकड़े किए जायगे और टैक्स प्रत्येक टुकड़े पर अलग-अलग कसी जायगी। उदाहरण स्वरूप रु० १०,०००) की आय पर टैक्स इस प्रकार होगी :—

आय	दर प्रति रुपया	टैक्स
१,५००)	कुछ नहीं	कुछ नहीं
३,५००)	६ पाई	१६४–)
५,०००)	१ आ० ३ पा०	३९०॥=)
१०,०००)		५५४॥≡)

आगे २,०००) या उससे ऊपर आमदनी होने पर टैक्स लगती थी अब २,०००) से ऊपर आय होने पर ही टैक्स लगेगी।

आगे जितनी टैक्स होती थी उसमे उसका बारहवाँ हिस्सा सरचार्ज के रूप मे और जोड दिया जाता था, अब सरचार्ज नहीं लगेगा।

टैक्स किसी भी हालत मे उस रकम के आधे से अधिक नही होगी जो कि कुल आय मे से २,०००) बाद देने पर रहेगी। उदाहरण

स्वरूप नई पद्धति के अनुसार २,०२४) पर टैक्स के २४।।-) होंगे परन्तु चूंकि टैक्स, आमदनी के जितने रुपये २,०००) से अधिक होंगे उनके, आधे से अधिक नहीं हो सकती इसलिए टैक्स १२) ही ली जायगी। यहाँ पर कुल आय २,०२४) रुपये है अर्थात आय २,०००) से २४) रुपया अधिक है अतः टैक्स १२) ही ली जायगी।

टैक्स मे इस नई पद्धति के अनुसार जो फर्क पड़ेगा वह नीचे लिखे हुए आकडों से मालूम की जा सकेगी :

आय	पुराने रेट से टैक्स	नई पद्धति से टैक्स
२,०००)	१)	
२,१५०)	७३)	३०)
२,५००)	८५)	४७)
२,७००)	६१)	५६)
३,०००)	१०२)	७०)
३,२५०)	११०)	८२)
३,५००)	१२७)	१०६)
८,०००)	४०६)	३६८)
६,०००)	४५७)	४७७)
१०,०००)	५०६)	५५५)
१०,६००)	७१८)	६३०)
२५,०००)	२,६८०)	२,७४२)

उपरोक्त चार्ट के अनुसार कहा जा सकता है कि जिस शख्स की आय ८,०००) तक होगी उसको हमेशा पहले से कम टैक्स देना होगा। ८,०००) से २५,०००) तक के बीच की आय पर कही कम और कहीं वेसी टैक्स लगेगा। उदाहरण स्वरूप ६०००) पर अधिक और १०,६००) पर कम टैक्स लगेगा। २,५०००) रुपये से ऊपर आय पर हमेशा अधिक टैक्स लगेगा।

(२) पहले बृटिश भारत में जो आमदनी होती उस पर

तथा बृटिश भारत के बाहर हुआ जो नफा बृटिश भारत मे लाया जाता उस पर ही टैक्स लगाया जाता था परन्तु अब रेजिडेण्ट की विदेशी आमदनी पर भी टैक्स लगाया जायगा चाहे आमदनी भारतवर्ष मे लायी जाय या नहीं। इसका पूरा खुलासा पुस्तक में यथास्थान दे दिया गया है। देखिए पृ०—१२-१७

(३) प्रत्येक शख्स को रिटर्न भरना होगा। पहले ऐसा था कि इन्कम टैक्स ऑफिसर की तरफ से रिटर्न न भेजने पर एसेसी चुपचाप बैठ सकता था। रिटर्न भरने की उसकी जिम्मेवारी उसी हालत में थी जब कि वह उसके पास भेजी जाती। परन्तु अब वैसा नहीं रहा। आपकी आमदनी यदि एक खास सीमा के ऊपर होगी तो आपको इन्कम टैक्स ऑफिसर से रिटर्न लाकर उसे भर कर पेश करना होगा। इन्कम टैक्स ऑफिसर पर यह जिम्मेवारी नही रही कि वह आपको रिटर्न भेजे। वह केवल समाचार-पत्रों या अन्य सूचनाओं द्वारा किस तारीख तक रिटर्न भरना होगा इसकी सूचना दे देगा। इसके बाद यदि आप समय पर रिटर्न पेश नहीं करेंगे तो आप पर जुर्माने की नौबत आयगी। आप पर दण्ड हो सकेगा। दण्ड भी मामूली नहीं ऊपर में टैक्स की रकम से १॥ गुणा तक किया जा सकेगा। इसके विस्तार के लिए देखिए: पृ०—६४ तथा ८१-८२

(४) घिसाई मूल कीमत पर नहीं परन्तु पहले बाद दी हुई घिसाई की रकमों को घटा देने के बाद मूल कीमत की जो रकम बचेगी उसके आधार पर कसी जायगी। इसके सम्बन्ध मे विशेष खुलासा के लिए देखिए पृ० ३४-३६

(५) डिविडेण्ड की परिभाषा मे महत्त्वपूर्ण परिवर्तन किया गया है। शेयर होल्डरों को सुपर टैक्स की लाग से बचाने का सबसे सुगम तरीका यह प्रचलित है कि नफे को, उनमे बोनस शेयर, बोनस डिबेंचर आदि के रूप मे बाँट देना। पुराने कानून के अनुसार पूँजी के रूप में नफे को इस प्रकार पाने से उस पर टैक्स नहीं लिया जा सकता था। इस प्रकार

प्राप्त हुआ नफा पूँजी की प्राप्ति (Capital receipt) समझी जाती थी, जिस पर टैक्स न था परन्तु डिविडेन्ड की परिभाषा में परिवर्तन कर टैक्स बचाने के उपरोक्त उपाय को रोक दिया गया है।

डिविडेन्ड की परिभाषा ऐसी कर दी गई है कि उसमे इस प्रकार पूँजीभूत किया हुआ जो नफा बाँटा जाता है वह भी आ जाता है। यदि कम्पनी अपने एसेट के भाग को शेयर होल्डर मे बाटे तो वह शेयर होल्डर का नफा समझा जायगा—उस पर टैक्स लगेगी। कम्पनी के एकत्रित नफे में से जो डिवेचर निकाले जायंगे वे भी मुनाफे मे धरे जायगे। यदि कम्पनी लिक्वीडेशन मे जाय और लिक्वीडेशन की तारीख के पूर्व के छः गत वर्ष में जो नफा एकत्रित हुआ हो उसको बाटे तो बाटी हुई रकम शेयर होल्डर की आमदनी मानी जायगी। यदि कोई कम्पनी अपनी पूँजी घटा कर रुपये फिरती लौटायगी तो कम्पनी के पास ता० १ अप्रेल ३३ के ठीक पहले शेष हुए गत वर्ष तक जितना रुपया जमा रहा होगा (accumulated profits) उतने रुपयों तक इस प्रकार बाटा गया रुपया डिविडेन्ड समझा जायगा। अर्थात् इस पर भी टैक्स लिया जायगा।

नई परिभाषा के अनुसार डिविडेंड ब्रूटिश भारत के बाहर दिया जायगा तो वह भी ब्रूटिश भारत मे हुआ नफा माना जायगा और उसके सम्बन्ध मे टैक्स देनी होगी।

पुराने कानून के अनुसार शेयर होल्डर को डिविडेंड के सम्बन्ध मे टैक्स नही देना पड़ता था। टैक्स देने की जिम्मेवारी कम्पनी की थी परन्तु अब डिविडेन्ड पर शेयर होल्डर को टैक्स देनी होगी। डिविडेन्ड द्वारा उसको जो आमदनी होगी वह टैक्स से बरी नहीं रहेगी।

(६) पहले इन्कम टैक्स ऑफिसर यदि इकतरफी कार्रवाही कर देता तो उसके विरुद्ध में अपील नहीं हो सकती थी, केवल धारा २७ के अनुसार हुक्म को रद्द कराने की अरजी दी जा सकती थी परन्तु अब

इसकी साधारण ढग से अपील की जा सकती है। इसके लिए देखिए—पृष्ठ ८०-८१

(७) कई प्रकार के जुर्माने बढ़ा दिये गये है। रिटर्न न भरने पर जितनी टैक्स लगाई जायगी उससे १।। गुणा जुर्माना तक किया जा सकेगा। इसी तरह गल्त रिटर्न भरने, गलत विवरण देने आदि के सम्बन्ध मे कड़े जुर्माने रख दिये हैं।

(८) पहले यदि किसी वर्ष मे किसी पर टैक्स करना छूट जाता था तो एक गत वर्ष (previous year) की टैक्स ली जा सकती थी परन्तु अब गत ४ वर्ष या ८ वर्ष तक के लिए टैक्स लगाया जा सकता है। यदि इन्कम टैक्स ऑफिसर को यह निश्चय हो जाय कि आपने अपनी आमदनी को छिपाया है या उसके सम्बन्ध में आपने जानबूझ कर गलत बातें कहीं हैं या दिखाई हैं तो उस हालत मे वह पिछले ८ वर्षों तक के आपके बही-खाते फिर मगा सकता है और आप पर उन वर्षों के सम्बन्ध मे टैक्स लगा सकता है। यदि अन्य किसी कारण से टैक्स छुटा हो तो आपसे गत चार वर्षों की आमदनी के सम्बन्ध मे ही टैक्स ली जा सकेगी। विस्तार के लिए देखिये—पृष्ठ ९२-९४

(९) इन्कम टैक्स और सुपर टैक्स से बचने के लिये जो कानूनी रास्ते निकाल लिये गये थे उनको रोकने के लिये एक नया अध्याय जोड़ा गया है उदाहरण स्वरूप :—

इन्कम टैक्स को बचाने के लिए एक तरीका यह काम मे लाया जाता है कि एसेट बृटिश भारत के बाहर रहने वाले किसी शख्स या कम्पनी को हस्तान्तरित कर दी जाती है। इस एसेट का जो भी नफा होता है वह इस ट्रान्सफर (हस्तान्तर) के द्वारा बृटिश भारत के बाहर किसी शख्स को मिलने लगता है। जिस शख्स को नफा मिलता है वह बृटिश भारत का निवासी न होने से या बृटिश भारत का निवासी पर सामान्य तौर पर बृटिश भारत में रहनेवाला न होने

से इस आय पर उससे टैक्स नहीं ली जा सकती। परन्तु वास्तव मे भीतरी व्यवस्था ऐसी होती है कि नफा एसेट ट्रान्सफर करनेवाले का ही होता है और वही उसको उपभोग में लाता है। नए संशोधन के अनुसार यह नफा अब हस्तान्तर करने वाले शख्स का माना जायगा और उस पर टैक्स लगाई जायगी। परन्तु यदि हस्तान्तर करने वाला शख्स यह प्रमाण दे देगा कि हस्तान्तर का कोई उद्देश्य टैक्स बचाना नहीं था और हस्तान्तर केवल उचित कारवारी लेवा-बेची थी तो उस हालत में ट्रान्सफर करनेवाले से नफे पर टैक्स नहीं ली जायगी।

टैक्स बचाने का एक और तरीका यह है कि सिक्योरिटी, स्टॉक शेयर को उन पर व्याज या डिविडेन्ड मिलने के पहले उन्हे किसी दूसरे शख्स को वेच देना या हस्तान्तरित कर देना और उसके साथ वन्दोबस्त कर डिविडेन्ड या व्याज निकलने के बाद उसे वापिस खरीद लेना। इस प्रकार की कार्यवाही से व्याज या डिविडेन्ड किसी दूसरे शख्स को मिलने की व्यवस्था हो जाती थी और इससे टैक्स कम लगता था या नहीं लगता था। जिसके नाम पर वे वेचे जाते थे उसके कोई आमदनी न होने से या कम होने से सरकार से वह काटी हुई इन्कम टैक्स पूरी या कम वापिस (refund) माग सकता था। इस प्रकार सरकार को लाखों रुपयों का रिफण्ड देना पड़ता था। सिक्योरिटी आदि विक्री करनेवालों को डिविडेन्ड या व्याज की रकम कीमत के बतौर मिल जाती जिससे उस पर टैक्स नहीं लिया जा सकता था क्योंकि यह एक प्रकार की मूल धन की प्राप्ति थी। डिविडेन्ड का व्याज निकलने के बाद सिक्योरिटियों का दाम सहज ही गिर जाता है जिससे खरीदने वाला उन्हे वेच कर नुकशान दिखा सकता था।

यदि सिक्योरिटी आदि की लेवा बेची ही, खरीद करनेवाले का कारवार हो तो वह नुकशान का बाद पा सकता था इस प्रकार

सरकार पर दुतरफी मार थी। एक ओर टैक्स न देना और दूसरी तरफ नुकशान बाद पा लेना। इस तरीके से इन्कम टैक्स की बहुत बड़ी बचत कर ली जाती थी। परन्तु नए संशोधन के अनुसार अब ब्याज या डिविडेन्ड ट्रान्सफर करनेवाले की आय समझी जायगी और वही कर के लिए दायक होगा।

(१०) हुकमों की प्रत्यक्ष भूलें अब ४ या ८ वर्षों तक सुधारी जा सकेंगी।

(११) रिफण्ड चार वर्षों तक मिल सकेगा।

(१२) एसेसी की तरफ से अधिकार पाया हुआ प्रतिनिधि ही उसकी ओर से इन्कम टैकूस ऑफिसर के सामने हाजिर हो सकेगा।

(१३) कर्मचारी या उसके बाल बच्चे और औरतों की सहायता के लिये जो सुपर-एनुएशन फण्ड स्थापित किया जाता है उसके सम्बन्ध में खास विधान किये गये है।

(१४) अपील के लिये एपेलेट ट्रिब्यूनल की स्थापना की व्यवस्था की गई है।

(१५) नुकसान ६ वर्ष तक बाद मिल सकेगा। इसके लिये देखिये पृष्ठ ६९ से ७२ तक।

(१६) रजिस्टरी किये हुए फर्म और बिना रजिस्टरी किये हुए फर्म मे महत्व का परिवर्तन कर दिया गया है। देखिये पृष्ठ ७८ से ८०।

(३) गुनाह और दण्ड

यदि कोई शख्स बिना वाजिब कारण के (without reasonable cause or excuse) निम्न लिखित विषयों मे अपराध करेगा:—

(क) जिस आमदनी पर टैकूस उद्गम स्थान (at source) मे काट लेने का कानून है अथवा उद्गम स्थान मे काट लेने की आज्ञा कर दी गई हो उस आमदनी को देते समय उसमे से टैकूस नही काटेगा,

(ख) आमदनी में से उद्गम स्थान पर टैक्स काटने पर जो इस आशय की सार्टीफिकेट देनी होती है कि टैक्स काट लिया गया है और वह जमा दे दिया जायगा यदि वैसी सार्टीफिकेट नहीं देगा।

(ग) निश्चित रकम के उपरान्त डिविडेण्ड किस को और कितना दिया यदि धारा १६-ए के अनुसार इसकी तालिका नहीं देगा, निश्चत रकम के उपरान्त किसको और कितना व्याज दिया यदि धारा २०-ए के अनुसार उसकी तालिका नहीं देगा या वेतन किसको और कितना दिया गया और उसमें से धारा २१ के अनुसार कितना टैक्स या सुपर टैक्स काटा गया इसकी तालिका नहीं देगा या धारा २२ के अनुसार आमदनी की तालिका नहीं देगा या धारा ३८ के अनुसार यह नहीं वतलाया कि फर्म के कितने और कौन कौन साझेदार है, सयुक्त परिवार का कर्त्ता कौन है, युवक सदस्य कितने है या वह किस-किस शख्स का ट्रस्टी, गार्जियन आदि है,

(घ) धारा २२ (४) के द्वारा मंगाए गये वही-खाते ठीक समय में उपस्थित नहीं करेगा,

(ङ) या किसी कम्पनी के रजिस्टर का निरीक्षण या उनकी नकल नहीं लेने देगा,

तो उस पर फौजदारी मामला चलाया जायगा और मजिस्ट्रेट यदि उसे दोषी ठहरा देगा तो उस पर प्रति दिन के लिये १०) तक जुर्माना लगाया जायगा। यह जुर्माना जव तक दोष होता रहेगा तव तक लगाया जाता रहेगा।

यदि कोई शख्स झूठी तस्दीक (Verification) करेगा और उसे मालूम होगा या उसकी धारणा होगी कि तस्दीक मिथ्या है या उसको विश्वास नहीं होगा कि वह सत्य है तो उस पर फौजदारी मामला चलाया जा सकेगा और यदि मजिस्ट्रेट उसे अपराधी ठहरा देगा तो उसे छः महीने तक की साधारण जेल का दण्ड दिया जा सकेगा। उस पर

१,०००) रुपये तक का जुर्माना किया जा सकेगा या जेल और जुर्माना एक साथ किया जा सकेगा।

उपरोक्त गुनाहों के लिये इन्सपेक्टिग एसिस्टेण्ट कमिश्नर के हुक्म बिना कोई कार्रवाही नहीं की जा सकेगी।

इन्सपेक्टिग एसिस्टेण्ट कमिश्नर कार्यवाही करने के पहले या बाद मे उपरोक्त गुनाहों के सम्बन्ध मे मेटमाट (Compound) कर सकता है।

(४) इन्स्योरेन्स कम्पनियों पर टैक्स

सशोधन के पहले इन्स्योरंन्स कम्पनी पर जो टैक्स लगाई जाती थी वह एसेट (Assets) और लायब्लिटीज (Liabilities) की वार्षिक कूत मे जो अन्तर होता था उस रकम पर लगायी जाती थी। बोनस के रूप मे पोलिसी होल्डरों को जो रकम वितरण की जाती थी वह बाद नहीं दी जाती थी। परन्तु इस कानून मे परिवर्तन कर इन्स्योरेन्स कम्पनियों के लिये अब बहुत फायदे का कानून कर दिया है। अब इन्स्योरेन्स कम्पनी की आमदनी की कूत दो तरह से की जा सकती है :—

(१) या तो इनवेस्टमेट की आय मे से खर्चों को बाद देकर जो रकम रहे उस पर टैक्स लगाया जा सकता है, या

(२) पुराने कानून के अनुसार जो सरप्लस (surplus) हो उसमें से पोलिसी होल्डरों को जो बोनस दिया जाय उसका एक निश्चित अश बाद देकर जो रकम बचे उस पर टैक्स लगाया जा सकता है।

वास्तव मे तो जो बोनस पोलिसी होल्डरों को दिया जाता था वह एक तरह से इन्स्योरेन्स का प्रीमियम था जो कि उनसे बेसी ले लिया गया था। इस तरह जो सम्पूर्ण रूप से आय नहीं थी उसको आय मान कर टैक्स लिया जाता था। परन्तु यह एक प्रकार का अन्याय था। अब नए सुधार के द्वारा यह दूर कर दिया गया है। अब

जो टैक्स ली जायगी वह या तो एकच्युरियल सरप्लस (Actuarial Surplus) के आधार पर या आमदनी में से खर्च वाद देकर जो आय वचेगी उसके आधार पर। जिस तरीके से अधिक आमदनी निकलेगी उसी तरीके से आमदनी की कूंत की जायगी।

(५) स्लैब सिस्टम के अनुसार रेट :—

भाग १

इन्कम टैक्स के रेट :—

ए—किसी व्यक्ति, हिन्दू अविभक्त परिवार, विना रजिस्ट्री किये फर्म या शख्सों की अन्य एसोसियेशन पर टैक्स निम्नलिखित दर से लगाया जायगा :

			रेट प्रति रुपया
१—कुल आय के पहले		१,५००)	कुछ नहीं
२—	„ वाद के	३,५००)	)॥।
३—	„ वाद के	५,०००)	-)॥
४—	„ वाद के	५,०००)	=)
५—	„ वाद वचे सब रुपयों पर		=)॥

परन्तु यदि कुल आमदनी २,०००) से उपर नहीं होगी तो कोई टैक्स नहीं लगेगी।

किसी भी हालत में टैक्स उन रुपये के आधे से अधिक नहीं लगेगी जितने रुपयों से कुल आमदनी २,०००) से अधिक है।

वी—प्रत्येक कम्पनी, लोकल अथॉरिटी के सम्बन्ध में तथा उस हालत में जब कि इन्कम टैक्स एक्ट, १९२२ के विधान के अनुसार टैक्स ऊँचे से ऊँचे दर से लगानी होगी, निम्न लिखित रेट रहेंगे :—

समूची 'कुल आमदनी' पर =)॥ प्रति रुपया

भाग २

सुपर टैक्स के दर

ए—प्रत्येक व्यक्ति, हिन्दू असयुक्त परिवार, अन् रजिष्टर्ड फर्म तथा शख्सों की अन्य एसोसियेशन के सम्बन्ध मे यदि उनके प्रति इस भाग का पैरा 'बी' लागू नहीं हो तो सुपर टैक्स का रेट इस प्रकार होगा :—

			रेट प्रति रुपया
१—	पहले	रु० २५,०००)	कुछ नहीं
२—	बाद के	रु० १०,०००)	—)
३—	बाद के	रु० २०,०००)	=)
४—	बाद के	रु० ७०,०००)	≡)
५—	बाद के	रु० ७५,०००)	।)
६—	बाद के	रु० १,५०,०००)	।—)
७—	बाद के	रु० १,५०,०००)	।=)
८—	बाद की कुल आय		।≡)

बी—हरेक कम्पनी और लोकल अथॉरिटी के सम्बन्ध मे
समूची कुल आय पर —) प्रति रुपया

कलकत्ता
२५ जुलाई १९३९

श्रीचन्द रामपुरिया

अध्याय—४

कर अदाई के तरीके और कर-निरूपण—

अध्याय—५

विषय पृष्ठ

अध्याय—५ ए

जहाजों से कारबार करनेवालों के सम्बन्ध में खास विधान—

अध्याय—५ बी

इन्कम टैक्स और सुपर टैक्स बचाने के अनुचित उपायों को रोकने के लिये खास विधान—

अध्याय—६

टैक्स और दण्ड की वसूली—

अध्याय—७

रिफण्ड—

विषय — पृष्ठ

अध्याय—८

अध्याय—९

अध्याय—१०

इन्कम-टैक्स कानून

आरम्भ

संक्षिप्त नाम, क्षेत्र और शुरुआत

१—(१) इन्कम टैक्स और सुपर टैक्स विषयक कानून का नाम—"दी इण्डियन इन्कम टैक्स एक्ट, सन् १९२२"—है। यह एक्ट इन्कम टैक्स और सुपर टैक्स विषयक कानून को संग्रह और संशोधन करने के लिये बनाया गया था।

(२) यह एक्ट निम्नलिखित क्षेत्रों में लागू है:

(क) सम्पूर्ण बृटिश भारत में,

(ख) बृटिश बेलूचिस्तान और संथाल परगनों में,

(ग) देशी राज्यों और ठाकुरो के क्षेत्रों (tribal areas) में, उन बृटिश प्रजाओं के प्रति जो कि भारत-सम्राट की नौकरी में हैं,

(घ) देशी रियासतों और ठाकुरों के क्षेत्रो में उन बृटिश प्रजाओं के प्रति जो कि ऐसे 'स्थानीय-अधिकारी'[1] (Local authority) की नौकरी में हों जो भारत-सम्राट के प्रतिनिधि या केन्द्रिय सरकार को प्राप्त अधिकारों के प्रयोग से स्थापित की गई हो, तथा

१—स्थानीय अधिकारी—इस शब्द में कोई म्युनिसपल कमिटि, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, पोर्ट कमीशनर की संस्था, या अन्य अधिकारी का समावेश होता है जिसको कि कानूनन हक है या सरकार की तरफ से अधिकार दिया गया कि वह किसी स्थानीय फन्ड की देख-रेख या संचालन करे।

(ड) उपरोक्त राज्यों और ठाकुरों के क्षेत्रों में भारत-सम्राट के अन्य सभी कर्मचारियों के प्रति ।

(३) यह एक्ट पहली अप्रैल सन् १६२२ से प्रचलित है ।

—धारा : १

परिभाषाएँ

२—विषय या प्रसंग से कोई दूसरा अर्थ नहीं निकलेगा तो इस एक्ट में—

(१) "कृषि की आय" [1] (agricultural income) का अर्थ निम्नलिखित होगा—

(ए) कोई लगान (Rent) या मालगुजारी (Revenue) जो ऐसी जमीन से प्राप्त होती हो जो कृषि के प्रयोजन के लिये व्यवहार की जाती हो, और जिस पर या तो बृटिश भारत में मालगुजारी लगती हो या जिस पर कोई ऐसा स्थानीय महसूल (Local rate) देना पडता हो जो कि सम्राट् के कर्मचारियों द्वारा कर्मचारी की हैसियत से लगाया जाता और अदा किया जाता हो,

(बी) कोई आय जो ऐसी जमीन से—

(क) कृषि द्वारा प्राप्त हो, या

(ख) कृषक द्वारा या जिनसी लगान पानेवाले (Receiver of rent-in-kind) कोई शख्स द्वारा ऐसे कार्य किए

१—कृषी की आयः उदाहरण स्वरूप चरागाहों के सम्बन्ध में चरवाहों से जो फीस ली जाती है वह कृषि की आय है, इसी तरह जगल की आय, कृषि की आय है। पानो के बगीचे की लीज कृषि के लिए लीज होगी। चाय को लगाना, पत्तियों का छाटना, तोड़ना, कृषि का कार्य है परन्तु पत्तियों को सुखाना और उन्हें स्टाक कर और बिक्री योग्य बनाना कृषि कार्य नहीं है ।

जाने से प्राप्त हुई हो जो कार्य कि उत्पन्न की गई या प्राप्त की गई उपज को बिक्री करने योग्य बनाने के लिए साधारण तौर पर किया जाता हो, या

(ग) कृषक द्वारा या जिनसी लगान पानेवाले शख्स द्वारा, उत्पन्न की गई या प्राप्त की गई ऐसी उपज के बेचे जाने से हुई हो जिसके सम्बन्ध मे सब क्लाज बी (ख) के अनुसार किए गये कार्य (process) के सिवा अन्य कोई कार्य नही किया गया हो।

(सी) कोई आय जो ऐसी इमारत से प्राप्त हुई हो जो इमारत ऐसी जमीन की लगान या खजाना पानेवाले शख्स की सम्पत्ति हो और उसके कब्जे मे हो, या

कोई आय जो ऐसी इमारत से प्राप्त हुई हो जिस इमारत पर किसी ऐसी जमीन के कृषक या जिनसी लगान पानेवाले शख्स का कब्जा हो जिस जमीन के विपय मे या जिस जमीन की उपज के विपय मे क्लाज (बी) के उप क्लाज (ख) और (ग) मे बताया हुआ काम किया जाता हो।

परन्तु शर्त्त यह है कि इमारत उस जमीन पर या उस जमीन के बिल्कुल समीप होनी चाहिये तथा इमारत ऐसी होनी चाहिये जिसकी आवश्यकता, लगान या खजाना पानेवाले को या कृषक को या जिनसी लगान पानेवाले शख्स को, उक्त जमीन से सम्बन्ध रखने के कारण निवास स्थान के लिये, या गोदाम, या अन्य इमारतें बनाने के लिए हो। —धारा २ (१)

(२) "एसेसी" का अर्थ है कोई ऐसा शख्स जिसके द्वारा इन्कम टैक्स दी जाने की हो। —धारा : २ (२)

(३) "कारवार" मे व्यापार, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार, चीजें तैयार करने का काम या ऐसे ही ढग का कोई साहसिक प्रयत्न या कामकाज सामिल है। —धाराः २ (४)

(४) "डिविडेंड" मे —

(ए) किसी भी कम्पनी द्वारा एकत्रित नफे का वितरण—चाहे एकत्रित नफा पूजी में परिवर्तित किया गया हो या नहीं—यदि इस वितरण से कम्पनी को अपनी जायदाद (Assets) का कोई अंश या समूची जायदाद अपने शेयर-होल्डरों को छोड देनी पडती हो।

(बी) किसी कम्पनी द्वारा, उसके एकत्रित नफे की हद तक, —चाहे यह एकत्रित नफा पूँजी में परिवर्तित किया गया हो या नहीं डिबेंचर या डिबेंचर स्टॉक का वितरण

(सी। कम्पनी के काम को सलटाते वक्त कम्पनी के एकत्रित नफे मे से कम्पनी के शेयर होल्डरों में किया हुआ कोई वितरण

परन्तु यह ध्यान में रखना चाहिए कि कम्पनी के काम सलटाने की तारीख के पहले के छः गत वर्षों में उत्पन्न हुआ एकत्रित नफा ही इस प्रकार बाटा गया होगा तो इस तरह सामिल किया जायगा।

(डी) किसी कम्पनी द्वारा पूँजी को कम कर उस हद तक किया हुआ वितरण जिस हद तक कि ता० १ अप्रेल १९३३ के पहले शेष हुए 'गत वर्ष' की समाप्ति के बाद उत्पन्न हुआ एकत्रित नफा कम्पनी के पास हो, चाहे यह नफा पूँजी के रूप में परिवर्त्तित किया गया हो या नहीं।

परन्तु डिविडेंड में ऐसा वितरण सम्मिलित नहीं होगा जो कि किसी ऐसे शेयर के सम्बन्ध मे किया गया हो जो कि पूरे नगदी बदले मे निकाला गया हो और लिक्वीडेशन की अवस्था मे उबरी हुई जायदाद (Asset) मे जो कोई हिस्सा न बटाता हो जब कि ऐसा वितरण उपधारा (सी) और (डी) के अनुसार किया जाता हो।

खुलासा : "एकत्रित नफा" शब्द मे, जहाँ ही वह इस क्लाज मे

व्यवहरित हुआ है, 'पूँजी-नफा' (capital profit) सम्मिलित नहीं है। —धारा : २ (६-ए)

(५) "गत वर्ष" का अर्थ है—

(ए) वे बारह महीने जो कि 'एसेसमेंट वर्ष' के ठीक पहले की ३१ ता० मार्च को समाप्त होते हों,[1] या

एसेसी के चाहने पर वह वर्ष[2] जो कि उपरोक्त बारह महीनों के अन्दर ता० ३१ मार्च के सिवा किसी अन्य तारीख को शेष होता हो और जिसके अनुसार एसेसी का हिसाब रक्खा जाता हो।

१—'एसेसमेंट वर्ष' अप्रेल से शुरु होकर मार्च में शेष होता है। जो वर्ष ता० १ अप्रेल १९३९ से आरम्भ होकर ता० ३१ मार्च १९४० में शेष हो, वह एसेसमेंट वर्ष १९३९-४० कहलायगा। एसेसमेंट वर्ष १९३९-४० के लिए जो बारह महीने ता० ३१ मार्च, ३९ को शेष होते हैं वे अर्थात् १ अप्रेल, ३८ से ता० ३१ मार्च, ३९ तक का समय गत वर्ष कहलाता है। इसी प्रकार एसेसमेंट वर्ष १९३८-३९ के लिए गत वर्ष वे बारह महीने होंगे जो ३१ मार्च ३८ को शेष हों।

२—उदाहरण स्वरूप एसेसमेंट वर्ष १९३९-४० में निम्न लिखित वर्ष गत वर्ष होंगे —

(१) चैत सुदी ९, १९९५ से चैत सुदी ८, १९९६ तक का वर्ष अर्थात् रामनवमी वर्ष १९९५। यह वर्ष ता० २८ मार्च १९३९ को अर्थात् १ अप्रेल १९३८ से ३१ मार्च १९३९ के अन्दर शेष हुआ है।

(२) काती सुदी १, १९९४ से काती वदी १५, १९९५ तक का वर्ष अर्थात् दिवाली वर्ष १९९४-९५। यह वर्ष ता० २३ अक्टूबर १९३८ को शेष हुआ है अर्थात् १ अप्रेल १९३८ से ३१ मार्च १९३९ के अन्दर शेष हुआ है।

(३) जनवरी, ३८ से दिसम्बर, ३८ तक का वर्ष अर्थात् कलेण्डर वर्ष, १९३८

(४) १, वैशाख, १३४५ से ३१ चैत, १३४५ अर्थात् बगाली वर्ष, १३४५। यह वर्ष ता० १४ अप्रेल, ३९ को शेष हुआ है।

(५) इसी प्रकार रथयात्रा, अक्षय तृतीया, फसली, दसेहरा, सवत् आदि वर्ष गत वर्ष हो सकते हैं।

आमदनी, मुनाफे और लाभ के भिन्न-भिन्न साधनों के विषय में अलग-अलग गत वर्ष हो सकते है।

यदि किसी एक एसेसी पर एक साधन के विषय में एक बार कर लगा दी गई हो तो उस साधन के सम्बन्ध वह अपनी इच्छा को काम मे लाकर 'गत वर्ष' के उस समय लागू पडते अर्थ को नहीं बदल सकता। केवल इन्कम टैक्स आफिसर की स्वीकृति से और उसके द्वारा उचित समझ कर लगाई गई शर्तों पर ही यह रद्दोबदल की जा सकती है।

(बी) किसी शख्स, कारवार या कम्पनी, या किसी प्रकार के शख्स, कारवारों या कम्पनियों के लिए सैन्टल बोर्ड आफ रेविन्यू या उसके द्वारा अधिकार-प्राप्त किसी अधिकारी द्वारा तय किया हुआ काल।

(सी) एसेसमेंट वर्ष के पूर्व के आर्थिक वर्ष में यदि कोई कारवार, पेशा या रोजगार नया शुरू किया गया होगा तो शुरू करने की तारीख से ३१ ता० मार्च तक का काल या सब क्लाज (बी) के अनुसार यदि कोई साल निश्चित किया गया होगा तो उसके अन्तिम दिन तक का काल, या यदि एसेसी का हिसाव ३१, मार्च के सिवा किसी अन्य तारीख तक वनाया गया होगा और यदि उसके विषय में सब क्लाज (बी) के अनुसार कोई काल निर्धारित नहीं किया गया होगा तो, एसेसी की इच्छा से कारवार आदि शुरू करने की तारीख से उस दूसरी तारीख तक का, जिस तारीख तक का हिसाब वनाया गया होगा, काल।

परन्तु यदि यह दूसरी तारीख कारबार आदि शुरू करने की तारीख और ठीक उसके बाद की ता० ३१ मार्च के अन्दर नहीं गिरेगी तो यही माना जायगा कि कोई गत वर्ष नहीं है।

यदि एसेसी किसी फर्म मे साझेदार होगा तो फर्म के आमदनी आदि मे उसका जो हिस्सा होगा उसके सम्बन्ध मे 'गत वर्ष' का अर्थ वह गत वर्ष होगा जो कि फर्म की आमदनी आदि पर टैक्स लगाने के लिए ठहराया गया होगा। —धारा २ (११)

(६) "आमदनी" (Income) शब्द मे निम्नलिखित गर्भित है :—पैरा २ (४) के अनुसार डिविडेंड की परिभाषा मे जो कुछ आता हो, और धारा, ७ की उपधारा (१) के खुलासा २ के अनुसार उस धारा के प्रयोजन के लिए जो नौकरी के वदले मे प्राप्त कोई लाभ हो

और धारा १० उपधारा (२) के क्लाज (७) के अनुसार कोई रकम जो कि मुनाफा मानी जाय और एक म्युच्यूल इन्स्योरेन्स कम्पनी द्वारा किए जाते हुए इन्स्योरेन्स के कारवार से मुनाफा जो एक्ट के सीड्यूल मे दी हुई रूल ६ के अनुसार कूँता गया हो

—धारा: २ (६ सी)

(७) "कुल आमदनी" का अर्थ है इस एक्ट के अनुसार आगे पैरा ५ मे उक्त आमदनी मुनाफे और लाभ की कुल रकम

"दुनिया की कुल आमदनी"— मे सब आमदनी, मुनाफे और लाभ सामिल हैं चाहे वे कहीं उत्पन्न हों और सचित हो। केवल वह आमदनी वाद है जिसके प्रति की धारा ४ के विधान के अनुसार यह एक्ट लागू नहीं है। (इसके लिए देखिये पैरा, ५)

—धारा २ (१५)

(८) 'रजिष्टर्ड फर्म'—उस फर्म को कहते हैं जो कि धारा २६ ए के विधानानुसार रजिष्टर्ड हुआ हो। —धारा २ (१४)

(६) अन् रजिष्टर्ड फर्म—जो फर्म रजिष्टर्ड नहीं है उसे अन् रजिष्टर्ड फर्म कहते हैं। —धारा २ (१६)

अध्याय-१

१—इन्कम टैक्स की लाग

३—(१) इन्कम टैक्स 'गत वर्ष' की 'कुल आय' पर लगाई जाती है।

(२) वह (१) प्रत्येक व्यक्ति, (२) हिन्दु अविभक्त परिवार, (३) कम्पनी और स्थानीय अधिकारी (Local authority), (४) प्रत्येक फर्म (साझेदारी) तथा व्यक्तियों के अन्य समुदाय पर तथा (६) फर्म के साझेदार और समुदाय के सदस्यों पर पृथक-पृथक रूप से, लागू पड़ती है।

(३) इन्कम टैक्स का दर हर वर्ष के लिए फाइनेन्स एक्ट में घोपित कर दिया जाता है और उस वर्ष के लिए टैक्स उसी दर से ली जाती है।

(४) इन्कम टैक्स इस एक्ट के नियम और बन्धेजों के अनुसार लगाई जाती है। —धारा० ३

२—एसेसियों की चार श्रेणियाँ

४—इन्कम टैक्स कानून के प्रयोजन के लिए एसेसियों (करदाताओं) की चार श्रेणियाँ की गई हैं:—

(१) बृटिश भारत में निवास नहीं करने वाले,

(२) बृटिश भारत के निवासी;

(३) बृटिश भारत के निवासी पर सामान्य तौर पर बृटिश भारत में नहीं रहने वाले,

(४) बृटिश भारत के निवासी और सामान्य तौर पर बृटिश भारत मे रहने वाले।

इनका खुलासा इस प्रकार है:—

(१) बृटिश भारत के निवासी

किसी साल के लिए बृटिश भारत का निवासी वह होगा —

(क) जो उस साल मे बृटिश भारत मे कुल मिलाकर १८२ दिन या उससे अधिक रहा हो, या

(ख) जिसने उस साल मे कम-से-कम सब मिलाकर छः महीनों के लिए बृटिश भारत मे रहने का मकान रक्खा हो और कम-से-कम एक दिन के लिए भी वह उस साल मे बृटिश भारत मे आय हो, या

(ग) जो उस साल के पूर्व के ४ सालों मे बृटिश भारत मे कुल मिलाकर ३६२ दिन या अधिक रह चुका हो और उस साल कितने ही समय के लिए बृटिश भारत मे रहे बशर्ते कि यह रहना आकस्मिक या अचानक सफर के रूप मे न हो।

उपरोक्त तीनो बातों में से किसी एक के भी लागू पड़ने पर व्यक्ति बृटिश भारत का निवासी माना जायगा। यह जरूरी नहीं है कि तीनों बातें एक साथ लागू हों।

(२) बृटिश भारत में निवास नहीं करने वाले

उपरोक्त तीनो बातों मे से एक भी बात जिसके प्रति लागू नहीं होगी वह इस द्वितीय श्रेणी के अन्तर्गत आयगा अर्थात् नॉन रेजिडेंट —बृटिश भारत में निवास नहीं करने वाला समझा जायगा।

(३) बृटिश भारत के निवासी और समान्य तौर पर
बृटिश भारत में रहने वाले

किसी वर्ष के लिए इस श्रेणी मे वह व्यक्ति आयगा जो —

(१) उस वर्ष के पूर्व के दस वर्षों मे से नौ वर्ष बृटिश भारत का निवासी रहा हो, तथा

(२) जो पिछले सात वर्षों मे निरन्तर या कुल मिला कर दो वर्ष से अधिक बृटिश भारत में रहा हो।

(४) बृटिश भारत के निवासी पर सामान्य तौर पर बृटिश भारत में नहीं रहने वाले

बृटिश भारत के निवासी और सामान्य तौर पर बृटिश भारत मे रहने वाले की श्रेणी मे आने के लिए किसी व्यक्ति को पिछले १० सालों में से कम-से-कम ६ साल तक बृटिश भारत के निवासी होने के साथ-साथ पिछले ७ वर्षों मे ७३० दिन बृटिश भारत में रहना होगा। इन दोनों शर्त्तों को एक साथ पूरा करने पर ही कोई व्यक्ति इस कोटि के अन्तर आयगा अन्यथा वह बृटिश भारत के निवासी पर सामान्य तौर पर बृटिश भारत मे नहीं रहने वाले व्यक्ति की श्रेणी मे आयगा।

बहुत-से ऐसे भारतीय व्यापारी है जो विदेश मे व्यापार करते है परन्तु उनके बृटिश भारत मे रहने के मकान है और बीच-बीच मे वे बृटिश भारत मे आते रहते है। उनका बृटिश भारत के साथ जो सम्बन्ध है वह यहां पर पैत्रिक मकान होने से है और उनका बीच-बीच में आना होता है वह मृत्यु, शादी आदि अवसरों पर होता है। मकान होने और बीच-बीच में यहां आने से वे, बृटिश भारत के निवासी वाली श्रेणी में आ जाते है। परन्तु बृटिश भारत के निवासी और सामान्य तौर पर बृटिश भारत में रहने वाले वे तभी कहलायेंगे जब कि इसके साथ-साथ पिछले १० मे ६ वर्ष वे बृटिश भारत के निवासी रहे हों और पिछले सात वर्षों मे ७३० दिन बृटिश भारत मे रहे हों। इन शर्तों के पूरा न होने पर कोई बृटिश

भारत का निवासी पर बृटिश भारत मे सामान्यतया न रहने वाला माना जायगा। कहने का तात्पर्य यह है कि उपरोक्त कोई भारतीय व्यापारी जब तक ७ वर्षों में २ वर्ष से कम अर्थात् वर्ष मे ३ महीने से कुछ ऊपर तक बृटिश भारत मे आकर रहेगा तब तक भी वह सामान्य तौर पर बृटिश मे रहने वाला नहीं माना जायगा।

विदेशी व्यापारी जो भारत वर्ष मे आकर व्यापार करता है उसके सम्बन्ध मे भी उपरोक्त नियम लागू है। मान लीजिए कोई अंग्रेज ८ वर्षों से बृटिश भारत में नौकरी करता है और बीच मे उसने छुट्टी नहीं ली है। वह प्रत्यक्षत: ही बृटिश भारत का निवासी पर सामान्य तौर पर बृटिश भारत मे नहीं रहने वाला है क्योंकि १० वर्षों मे ९ वर्ष वाली शर्त पूरी नहीं होती।

अब तक जो भारत के निवासी आदि श्रेणी भेदों की चर्चा की है वह व्यक्ति को दृष्टि मे रख कर। अब अन्य शख्सों के सम्बन्ध मे इन पर विचार किया जाता है।

एक कम्पनी किसी साल के लिए बृटिश भारत मे बसने वाली समझी जायगी यदि

(१) उस वर्ष मे उसके कार्यों की देख-रेख और संचालन सम्पूर्ण रूप से बृटिश भारत मे रहा होगा, या

(२) उस वर्ष उस कम्पनी को बृटिश भारत मे जो आय उपजी होगी वह बृटिश भारत के बाहर हुई आय से अधिक होगी।

पहले कम्पनी का कार्य संचालन और प्रबन्ध सम्पूर्णत. बृटिश भारत मे होता था तो ही वह बृटिश भारत मे बसने वाली कम्पनी मानी जाती थी। अब यदि उसका अधिकाश लाभ बृटिश भारत से होता होगा तब भी वह बृटिश भारत मे बसने वाली कम्पनी मानी जायगी। इस तरह यह साफ है कि यदि एक कम्पनी बृटिश भारत के बाहर स्थापित हुई होगी, वहीं पर रजिष्टर्ड हुई होगी और वहीं संचालकों

की मीटिंग होती होगी और वहीं से आदेश मिलते होंगे तो भी यदि उस कम्पनी का अधिकाश लाभ बृटिश भारत से हुआ होगा तो वह भारत मे वसने वाली कम्पनो मानी जायगी।

सयुक्त हिन्दू परिवार, फर्म या व्यक्तियों के अन्य समुदाय का वास-स्थान बृटिश भारत समझा जायगा यदि इनके कार्यों की देख-रेख और संचालन सम्पूर्ण तौर पर बृटिश भारत के वाहर अवस्थित न होगा।

कोई भी अविभक्त हिन्दू परिवार बृटिश भारत का निवासी और सामान्य तौर पर बृटिश भारत मे रहने वाला माना जायगा अगर उसका सचालक (manager) बृटिश भारत का निवासी और सामान्य तौर पर बृटिश भारत मे रहने वाला होगा।

जो कम्पनी, फर्म या व्यक्तियों की अन्य समुदाय भारत मे वसने वाली होगी वह सामान्य तौर पर बृटिश भारत में रहने वाली भी होगी। —धारा : ४ ए, ४ बी

३—उपरोक्त श्रेणी भेद के अनुसार कर का दायित्व

५—एसेसियों की उपरोक्त चारों श्रेणियों को खयाल मे रखना वड़ा ही जरूरी है। किस मनुष्य (Person) को किस-किस आमदनी के सम्बन्ध मे टैक्स देने के लिए दायक होना होगा यह वह किस श्रेणी के अन्तर पड़ता है इस पर निर्भर है। उपर वताए गये चार श्रेणियों के मनुष्यों का टैक्स विपयक दायित्व निम्न प्रकार से जुदा-जुदा है:—

(१) बृटिश भारत में निवास नहीं करने वाले मनुष्य को किसी 'गत वर्ष' के लिए उस आय[१] के सम्बन्ध मे टैक्स देना होगा जो उस वर्ष

१—'आय' इस शब्द मे यहाँ पर आमदनी, मुनाफा और लाभ के—चाहे वे किसी भी साधन से प्राप्त हुए हो—अन्तर्गत समझने चाहिए।

मे उसको बृटिश भारत मे उपजी होगी या मिली होगी या उपजी या मिली समझी जायगी। बृटिश भारत के बाहर उसे जो आय हुई होगी उस पर उसे कर नहीं देनी होगी। परन्तु यदि वह अपनी बृटिश भारत के बाहर की आमदनी मे से, जो कि उसकी कुल आय मे सामिल नहीं की गई हैं, कोई रकम अपनी स्त्री, जो बृटिश भारत की निवासिनी हो उसको भेजे तो वह रकम उसकी स्त्री की बृटिश भारत में उपजी हुई आय समझी जायगी और उस पर उसकी स्त्री को टैक्स देना होगा।

(२) बृटिश भारत के निवासी पर सामान्य तौर पर बृटिश भारत में नहीं रहने वाले मनुष्य को गत वर्ष मे बृटिश भारत में जो आय उपजी होगी या मिली होगी उसके उपरात—

(क) बृटिश भारत के बाहर अर्थात् परदेश मे उपार्जित आय जो बृटिश भारत मे लाई गई होगी या प्राप्त की गई होगी उस पर तथा

(ख) भारत (जिस मे देशी राज्य भी सामिल हैं) मे से देख-रेख और सचालित किए जाते हुए सब कारबार से और भारत मे स्थापित पेशे, धन्धे-रोजगार (Profession) या हुन्नर-उद्योग (Vocation) से उसको परदेश मे जो आय हुई होगी चाहे वह बृटिश भारत मे लाई जाय या नहीं उस पर टैक्स देना होगा।

इस तरह यह स्पष्ट है कि जो सामान्य तौर पर बृटिश भारत मे नहीं रहने वाला होगा उसको उस आय पर टैक्स नहीं देना होगा जो कि (१) वह बृटिश भारत के बाहर ऐसे कारबार, धन्धे-रोजगार या हुन्नर-उद्योग से उपार्जन करता है जिसकी देख-रेख या सचालन भारत से नहीं होता और (२) भारत से सचालित कारबार या बृटिश भारत मे स्थापित धधे-रोजगार या हुन्नर-उद्योग के सिवा अन्य किसी साधन से उपार्जन करता है। इन आयों पर भी टैक्स

लागू हो जायगा यदि वे बृटिश भारत मे लाई जायंगी या उसके द्वारा यहाँ पर प्राप्त की जायँगी।

(३) बृटिश भारत के निवासी को, उस आय पर, जो गत वर्ष मे उसको या उसके लिए किसी दूसरे को बृटिश भारत मे मिली होगी या मिली समझी जायगी, टैक्स देने के उपरात निम्नलिखित आयों पर टैक्स देना होगाः—

(क) गत वर्ष मे जो भी आय, मुनाफा या लाभ उसने बृटिश भारत में उपार्जन किया या उठाया होगा या उसके उपार्जन किया या उठाया हुआ समझा जायगा।

(ख)[१] उस 'गत वर्ष' बृटिश भारत के बाहर जो भी आय, मुनाफा या लाभ उसने उपार्जन किया या उठाया होगा। इस सम्बन्ध मे इतना ध्यान मे रखने का है कि उपरोक्त आय मे से जितनी रकम बृटिश भारत में नहीं लाई जायगी उसमे से ४५००) बाद देकर बाकी की रकम को ही कुल रकम मे पकडा जायगा। परन्तु इससे कोई यह न समझे कि यदि ये ४५००) बृटिश भारत मे लाए जायँगे तो भी उन पर टैक्स नहीं लगेगा। बाद में बृटिश भारत मे लाए जाने पर इन रुपयों पर भी टैक्ट लागू होगी।

(ग)[१] बृटिश भारत के बाहर सन् १९३३ की पहली अप्रेल के बाद और गत वर्ष के पहले उसने जो आय, मुनाफा या लाभ उपार्जन किया या उठाया होगा उसमे से जो रकम गत वर्ष में बृटिश भारत मे लाई या प्राप्त की गई होगी।

१—ता० ३१ मार्च सन् १९४० को शेष होने वाले वर्ष मे टैक्स लगाते समय ये दोनो आएँ कुल आमदनी मे सुमार नही की जायँगी परन्तु उनमें से जो अधिक होगी वही सामिल की जायगी।

(४) वृटिश भारत के निवासी और सामान्य तौर पर वृटिश भारत मे रहने वाले मनुष्य को भी वृटिश भारत के निवासी की तरह ही वृटिश भारत मे प्राप्त हुए नफे पर ही नही दुनिया भर मे उपार्जन हुए नफे के आधार पर टैक्स देनी होगी। वह उपरोक्त उन सब आयों पर टैक्स देने के लिए जिम्मेवार होगा जिनके विषय मे कि वृटिश भारत के निवासी पर टैक्स लागू होती है।

वृटिश भारत के बाहर उपार्जित या उठाई हुई आय, केवल इसी लिए वृटिश मे प्राप्त की हुई या लाई हुई नहीं मान ली जायगी कि वृटिश भारत मे वनाए गए चिट्ठे के हिसाब मे वह सामिल की गई हो।

कोई आमदनी, जो यदि वृटिश भारत मे दी जाती तो नौकरी के शीर्षक के नीचे उस पर टैक्स लग सकती, वृटिश भारत मे उपार्जन हुई या उठाई समझी जायगी चाहे वह कहीं दी गई हो वशर्ते कि वह वृटिश भारत मे कमाई हुई होगी और भारत के वाहर पेंशन के वतौर नहीं दी जाती होगी।

कोई डिविडेंड जो कि वृटिश भारत के बाहर दिया होगा उस हद तक वृटिश भारत मे उपार्जित या उठाया हुआ समझा जायगा जिस हद तक वह ऐसे मुनाफे से दिया गया होगा जिस पर वृटिश भारत में टैक्स लगती है।

इस विपय को स्पष्ट करने के लिए एक चार्ट दिया जाता है जिसे देखने से ही मालूम देगा कि किस मनुष्य पर किस-किस आय के सम्बन्ध मे टैक्स लगती है:—

अपवादों को छोड़ कर, किसी भी शख्श की गत वर्ष की
और प्राप्तियाँ सामिल

कर दाताओं की श्रेणियाँ	१ उस वर्ष मे उस शख्स या उसके लिये किसी द्वारा वृटिश इण्डिया में प्राप्त (Received) हुई होंगी	२ उस वर्ष मे उस शख्स या उसके लिये किसी द्वारा वृटिश इण्डिया मे प्राप्त हुई (deemed to be received) समझी जायगी	३ उस वर्ष मे उसको वृटिश भारत मे उपजी या हुई होगी (accrue or arise)
१—वृटिश भारत मे निवास नहीं करने वाले को	+	+	+
२—साधारण तौर पर वृटिश भारत मे नही रहने वाले को	+	+	+
३—वृटिश भारत के निवासी को	+	+	+
४—साधारण तौर पर वृटिश भारत में रहनेवालेको	+	+	+

नोट न० १—जिस आय के सामने + चिन्ह है वह जोडी जायगी और – चिन्ह

२—जो साल ३१ मार्च १९४० को समाप्त होगी उसमे टैक्स लगाते समय दोनो रकमे शामिल नही की जायगी।

कुल आय में किसी भी जरिए से हुई आमदनियाँ, मुनाफे होंगी जो कि

४	५		६
उस वर्षमें उसको बृटिश इण्डिया मे उपजी या हुई (deemed to accrue or arise) समझी जायगी	उस वर्ष में उसको बृटिश इण्डियाके बाहर उपजी या हुई होगी—		ता० १ अप्रेल, १९३३ के बाद और उस वर्ष के आरम्भ के पहिले बृटिश भारत के बाहर उपजी या हुई जाकर जो आय उस वर्ष में बृटिश भारत मे लाई या प्राप्त की जायगी
	(क) चाहे वह बृटिश इण्डिया में लाई जाय या प्राप्त की जाय।	(ख) अथवा वह न लाई जाय या प्राप्त की जाय	
+	–	–	–
+	+	उसी हालत में देनी होगी जब कि यह भारतवर्ष में से देख रेख और सचालित कारवार पेशे या, हुनर उद्योग या भारतवर्ष मे स्थापित पेशे या हुनर उद्योग से प्राप्त होगी।	–
+	+	देनी होगी परन्तु बृटिश इण्डिया में लाने के बाद जो रकम बचेगी उसमें से ४५००) बाद देकर अवशेष रकम ही नफा मे जोड़ी जायगी।	+
+	+	+	+

है वह नहीं जोड़ी जायगी।

कालम न० ६ और ५ की रकमों मे जो बड़ी रकम होगी वही हिसाब में ली जायगी

अपवाद

निम्न लिखित प्रकार की आएँ कुल आय में नहीं जोड़ीं जायंगी अर्थात् उन पर टैक्स नहीं लगेगी:—

(१) ऐसी किसी जायदाद (Property) की आय जो कि पूर्ण रूप से धार्मिक या खैराती कार्यों[१] के लिए ट्रस्ट के सुपर्द हो या अन्य कानूनी तरह से इन कार्यों के लिए बंधी हुई हो। यदि जायदाद की समूची आय इन कार्यों में न लग कर केवल अंश रूप ही लगती हो तो उस हालत में उतनी आय जितनी की इन कार्यों मे लगाई गई होगी या लगाने के लिए अलग कर दी गई होगी।

(२) धार्मिक या खैराती संस्थाओं की ओर से किये जाते हुए कारबार से होने वाली आय यदि वह सम्पूर्णतः संस्था के उद्देश्यों में लगायी जाती हो। परन्तु यह आय उसी हालत में बाद पड़ सकेगी जब कि (१)ऐसी संस्थाओं द्वारा किया जाता हुआ कारबार उन संस्थाओं के प्रमुख उद्देश को पूरा करने के लिए किया जाता होगा, या (२) ऐसे कारबार के सब कार्य प्रधानतः उन मनुष्यों द्वारा किए जाते होंगे जिन को लाभ पहुँचाना इन संस्थाओं का उद्देश्य है।

(३) किसी धार्मिक या खैराती संस्था की कोई भी आय जो कि स्वेच्छा से दिए जाते हुए चन्दों से होगी और एकमात्र धार्मिक या खैराती कामों में ही लगाये जाने की होगी।

१—इसमें तथा बाद के अपवादों मे खैराती उद्देश्यों का अर्थ है गरीबों की सेवा, शिक्षा, डाक्टरी सहायता, तथा सार्वजनिक हित के अन्य कार्यों की उन्नति के कार्य परन्तु अपवाद (१), (२), (३) के कारण किसी खानगी (Private) धार्मिक ट्रस्ट की वह आमदनी बाद नहीं दी जायगी जो कि सार्वजिनक कार्यों में नहीं लगाई जाती।

(४) स्थानीय अधिकारियों की आय। संशोधन के पहले के कानून अनुसार स्थानीय अधिकारियों की सब आय टैक्स से बरी थी परन्तु अब वही आय टैक्स से बरी रहेगी जो कि उसके द्वारा अपने क्षेत्र मे (own Jurisdiction) वस्तु या सेवा प्रदान करने रूप तिजारत या कारबार से पैदा की गई होगी।

(५) उन जमानतों का ब्याज जो कि किसी ऐसे प्रोविडेंट फण्ड के कब्जे मे हों या उसकी जायदाद हो, जिसके प्रति प्रोविडेंट फण्ड एक्ट सन् १९२५ ई० का लागू पड़ता हो।

(६) कोई विशेष अलाऊएन्स, फायदा, या पद-विषयक अलाऊएन्स (perquisite) जो कि खास तौर पर किसी पद सम्बन्धी या नफे के काम सम्बन्धी कर्त्तव्यों को पूरा करने मे ही जरूरी रूप से खर्च करने के लिए दिया जाता हो।

(७) ऐसी आय जो आकस्मिक—सयोग वश हुई हो और बराबर न होने वाली हो। परन्तु यदि ऐसी आय कारवार से या किसी धन्धे-रोजगार या हुन्नर-उद्योग से हुई होगी तो उस पर टैक्स लगेगी। उसी तरह से यदि वह किसी नौकर के वेतन मे वृद्धि करने की दृष्टि से मिली होगी तो उस पर भी टैक्स लगेगी।

(८) कृषि की आय।

(९) धारा ५८ ए क्लाज (ए) में प्रोविडेन्ट फण्ड की जो परिभाषा दी है वैसे प्रोविडेन्ट फण्ड के ट्रस्टियों को ट्रस्ट के लिए प्राप्त हुई आय।

—धारा: ४

अध्याय-२

इन्कम टैक्स अधिकारी

५-ए—इन्कम टैक्स एक्ट के प्रयोजनों के लिए इन्कम टैक्स अधिकारियों की निम्न लिखित श्रेणियाँ है :—

(१) सेन्ट्रल वोर्ड ऑफ रेविन्यू;

(२) कमिश्नर ऑफ इन्कम टैक्स,

(३) असिस्टेन्ट कमिश्नर ऑफ इन्कम टैक्स। ये दो तरह के होंगे—(१) अपीलेट असिस्टेन्ट कमिश्नर और (२) इन्स्पैक्टिंग असिस्टेन्ट कमिश्नर।

(४) इन्कम टैक्स आफिसर।

पहली श्रेणी के कमिश्नर, आफिसरों के हुक्मों के खिलाफ अपीलों की सुनाई करेंगे और दूसरी श्रेणी के कमिश्नर अपील सुनने के वजाय वे सव काम करेंगे जो कमिश्नर द्वारा उनको सौंपे जायेंगे। आम तौर पर इनका काम आफिसरों के व अन्य अधीनस्थ अधिकारियों के काम का निरीक्षण और देख भाल करना होगा।

इन्कम टैक्स आफिसरों का काम एसेसी पर टैक्स लगाना और टैक्स लगाने के लिए आवश्यक कार्रवाही करना होगा।

इन आफिसरों को नियुक्त करने का अधिकार केन्द्रीय सरकार को होगा।

अपीलेट असिस्टेन्ट कमिश्नर, सैन्ट्रल वोर्ड आफ रेविन्यू की वन्दोवस्ती मे रहेंगे और उसकी आज्ञानुसार कार्य करेंगे।

इन्सपेक्टिंग असिस्टेंट कमिश्नर और इन्कम टैक्स आफिसर कमिश्नर के नीचे रह कर काम करेंगे।

इन्कम टैक्स एक्ट को कार्यान्वित करने के लिए जो भी आफिसर या व्यक्ति नियुक्त किए जायगे उनको सैन्ट्रल वोर्ड आफ रेविन्यू की आज्ञाओं, सलाहों और आदेशों का पालन करना होगा।

—धारा ' ५

(५) अपीलेट ट्रीव्यूनल

ता० १ अप्रेल, १६३६ के दो वर्ष के भीतर एक अपीलेट ट्रीव्यूनल स्थापित किया जायगा। इसमे अधिक-से-अधिक १० व्यक्ति रहेंगे जिन मे से आधे कानूनज्ञ अर्थात् जिला जज के अधिकारो को काम मे लाये हुए या उस पद की योग्यता वाले और आधे हिसाव-विशेषज्ञ अर्थात् जो कम-से-कम छ वर्ष तक रजिष्टर्ड अकांउन्टेण्ट रह कर यह पेशा कर चुके होंगे या जो हिसाव और कारवार सम्वन्धी जानकारी और अनुभव रखने वाले सदस्य होंगे।

इस ट्रीव्यूनल का एक अध्यक्ष रहेगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नायज्ञ सदस्यों मे से नियुक्त किया जायगा। कार्य की सुगमता के लिए अध्यक्ष ट्रीव्यूनल के सदस्यों मे से कम-से-कम दो-दो की एक वेंच कर उससे ट्रीव्यूनल का कार्य करा सकेगा। प्रत्येक वेंच मे दोनों प्रकार के सदस्य समान संख्या मे रहेंगे यदि असमानता रहेगी तो एक सदस्य से अधिक की नहीं रहेगी। यदि किसी विपय पर वेंच के सदस्य एक मत नही होंगे तो वहुमत होने पर वहुमत से निर्णय किया जायगा। पर समान सख्या मे भिन्न-भिन्न निर्णय के होंगे तो मत विभिन्नता वाली वात या वातें अध्यक्ष के सामने लाई जायगी जो उनको ट्रीव्यूनल के अन्य एक या अधिक सदस्यों के पास निर्णय के लिए भेजेगा और यहाँ पर जो निर्णय होगा वह सुनाई करने वाले सदस्यों के—जिनमे पुराने सदस्य भी सामिल रहेंगे—वहुमत से होगा।

यह ट्रीव्यूनल सम्पूर्ण रूप से अलग और स्वतन्त्र न्याय विभाग होगा। और किसी भी तरह से कमिश्नर की अधीनता मे न होगा।

इस ट्रीब्यूनल को अधिकार रहेगा कि वह अपने कर्त्तव्यों के करते हुए जो भी वातें आवे उनके सम्वन्ध मे अपनी और अपनी वेंचों की कार्यप्रणाली को सचालित करे। वेचों की वैठकें कहा हों—यह ठीक करने का हक भी ट्रीब्यूनल को ही है।

—धारा : ५-ए

अध्याय-३

१—आय के शीर्षक

६—आय के अनेक जरिए हो सकते है। इन्कम टैक्स एक्ट मे इन जरियों को पांच शीर्पकों मे बांट दिया है जो इस प्रकार है:—

(१) वेतनें

(२) जमानतों का व्याज

(३) जायदाद से आय

(४) कारवार, पेशे या रोजगार के मुनाफे और लाभ

(५) अन्य जरियों से आय।

प्रत्येक एसेसी को हर वर्ण यह वतलाना पडता है कि उसने 'गत वर्प' मे किस शीर्पक के अन्तर कितनी आमदनी की है अतः यहाँ पर विस्तार पूर्वक खुलासा कर देना जरूरी है। वह नीचे दिया जाता है।

—धारा : ६

२—वेतनें

७—(१) 'वेतनें' यह शव्द वहुवचन है। इसके अन्तर (१) वेतन या मजदूरी, (२) वार्पिक वजीफा, (annuity) (३) पेन्शन या इनाम (gratuity) और (४) कोई फीस, (५) कमीशन, या (६) वेतन या मजदूरी के वदले या उसके उपरात जो सुभीता (per quisites) या मुनाफा दिया जाता है—वे सव सामिल है।

'वेतन' का अर्थ होता है बदला जो कि किसी दूसरे के कारबार के लिए अपनी सेवाएँ देने से प्राप्त होता है। एक अवधि के बाद मिलने वाला निश्चित दरमाहा जो कि किसी कारीगरी या दस्तकारी के सिवा अन्य किसी प्रकार की सेवाओ के लिए दिया जाय—वेतन कहलाता है।

कारीगरों या मजदूरों को जो तनख्वाह दी जाती है उसे मजदूरी कहते हैं।

वार्षिक रूप से जो भत्ता या वृत्ति मिलती है उसे वार्षिक वजीफा कहते हैं।

भारत सरकार की आमदनी मे से पूर्व सेवाओं के लिए या खास योग्यता के लिए जो वृत्ति दी जाती है उसे पेनशन कहते है। राजगद्दी से उतारे हुए राजाओं उनके परिवार और मातहतों को जो क्षति पूर्ति के स्वरूप रकम दी जाती है और परस्पर सन्धि-पत्रों के कारण जो रुपये दिए जाते हैं वे भी इसमे सामिल है।

यदि नौकर के साथ यह बात हो कि यदि उसकी सेवाएँ सतोष-जनक हुईं तो उसे अमुक रकम और मिलेगी—तो यह एक प्रकार का इनाम (Gratuity) कहलाता है।

यदि मालिक की ओर से रहने के लिए मुफ्त मे मकान मिले तो यह सुभीता (Perquisites)—कहलाता है। इसी प्रकार मुफ्त मे रोशनी काम मे लाने का हक हो तो वह भी परक्वीजिट्स है। ऐसी रकम जो कि एसेंसी को अपने मालिक से या भूतपूर्व मालिक से या किसी प्रोविडेन्ट फण्ड या अन्य फण्ड से नौकरी खत्म होने पर या खत्म होने के सम्बन्ध मे मिली हो या पावनी हो वह वेतन के बदले मिला हुआ लाभ समझी जायगी। और टैक्स लगाते समय उसको आमदनी मे गिन लिया जायगा चाहे नौकरी उस समय खत्म हुई हो या न हुई हो या बाद मे खत्म होने को हो या न हो।

अगर एसेसी यह साबित कर देगा कि (१) जो रकम इस प्रकार मिली है या पावनी है वह उसके द्वारा दी हुई रकम या उसका सूद है या (२) जो रकम दी गई है वह पिछली नौकरी की वेतन नहीं है परन्तु केवल नौकरी छूट जाने के बदले मे दी गई क्षति पूर्ति की रकम है तो वह वेतन के बदले प्राप्त लाभ नहीं मानी जायगी।

परन्तु निम्नलिखित रूप से दी हुई रकमों पर किसी हालत में टैक्स नहीं लगेगा :—

(१) उस रकम पर जो कि ऐसे प्रोविडेंट फण्ड से दी गई हो जिसके प्रति प्रोविडेट फण्डस एक्ट, १६२५ लागू पडता हो, या

(२) इन्कम टैक्स एक्ट के अध्याय ६-ए के अर्थ के अनुसार स्वीकृत हुए किसी प्रोविडेट फण्ड से जो रकम दी गई हो वशर्ते कि अध्याय ६-ए के विधान से वह टैक्स से वरी हो, या

(३) अध्याय ६-वीं के अर्थ के अनुसार स्वीकृत हुए किसी सुपरएनूएसन फण्ड से जो रुपया किसी वेनीफिसीयरी की मृत्यु पर या किसी वार्षिक वजीफे के बदले मे या उसके निपटारे में (बदले मे) (Commutation) या किसी वेनीफिसीयरी के मरने पर या नौकरी छोड़ने पर, जिस नौकरी के सम्बन्ध मे कि फण्ड की स्थापना हुई है, रिफण्ड के बतौर जो रुपया दिया गया हो।

उपरोक्त वेतनों पर, चाहे वे सरकार, स्थानीय अधिकारी, कम्पनी, अन्य सार्वजनिक सस्था द्वारा या उनकी ओर से दी जाती हो या किसी खानगी मालिक द्वारा या उसकी ओर से दी जाती हों, टैक्स लगेगी।

पहिले वेतन आदि प्राप्त होने पर ही उन पर टैक्स ली जाती थी परन्तु इस सशोधित एक्ट के अनुसार वेतने दी जाय या नहीं जैसे ही वे पावनी होंगी, उन पर टैक्स लगा दिया जायगा।

वेतनों के विषय में यदि उधार के तौर पर या अन्य किसी रूप मे कोई रकम पेशगी ली जायगी तो वह रकम वेतन समझी जायगी और यह माना जायगा कि उतनी रकम, पेशगी लेने के दिन पावनी हो चुकी थी।

इस सशोधन के द्वारा, पेशगी लेकर या वेतन नहीं उठा कर टैक्स से वचने का जो तरीका था, उसको रोका गया है।

उस रकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा जो रकम कि एसेसी को नौकरी की शर्तों के अनुसार अपनी तनख्वाह मे से सम्पूर्ण रूप से जरूरी तौर पर, और केवल मात्र नौकरी के कर्त्तव्यों को पूरा करने के लिए खर्च करनी पडती हो।

उदाहरण स्वरूप इन्स्योरेंस के दलालों को लीजिए। वहुत से दलाल ऐसे मिलेंगे जिन्हें कम्पनी की ओर से मोट रकम दे दी जाती है। उन्हे कम्पनी के साथ हुई शर्तों के अनुसार मोटरकार रखनी पडती है। कम्पनी के काम के लिए मोटर का जो खर्च होगा वह मोट रकम से वाद दे दिया जायगा और वाकी रकम को उनकी वेतन समझा जायगा।

किसी व्यक्ति को भविष्य में वार्षिक वजीफा मिल सके इस उद्देश्य से या उसकी स्त्री या वच्चों के निर्वाह के प्रवन्ध के उद्देश्य से जो रकम नौकरी की शर्तों के अनुसार सम्राट् के किसी नौकर की वेतन में से काटी जायगी उसके विपय मे टैक्स नहीं देनी होगी। परन्तु इस प्रकार काटी हुई रकम वेतन की रकम के छठे हिस्से से अधिक नहीं होनी चाहिए।

इस शीर्षक के नीचे जिस आमदनी पर टैक्स लगती है, वैसी आमदनी अगर कोई किसी को दे तो उसे उस आमदनी पर धारा १८ के अनुसार, टैक्स काट लेनी पड़ती है। ऐसा हो सकता है कि टैक्स उपरोक्त प्रकार से काट ली गई हो परन्तु मालिक (Emplo) e1) द्वारा

जमा नहीं दी गई हो, ऐसी हालत मे एसेसी से दूसरी बार टैक्स अदा नहीं की जा सकेगी। यदि वेतन बिना टैक्स काटे दे दी गई होगी तो टैक्स एसेसी से वसूल की जा सकेगी।

(२) यदि बृटिश प्रजा या श्रीमान् भारत सम्राट् के किसी कर्मचारी को भारत के किसी भाग में सम्राट् द्वारा या किसी ऐसे स्थानीय अधिकारी द्वारा, जिसको कि सम्राट्-प्रतिनिधि या केन्द्रीय सरकार ने कायम किया हो, या उनकी तरफ से कोई आमदनी दी गई होगी और यदि यह आमदनी ऐसी होगी जिस पर कि यदि वह बृटिश भारत मे दी जाती तो इस शीर्षक के अन्तर कर लागू होता तो उस हालत में वह ऐसी आमदनी समझी जायगी जिस पर कि कर लगाया जा सके।

उदाहरण स्वरूप देशी राज्यों में रेजिडेन्ट के द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को जो वेतन दी जाती है उस पर बृटिश भारत मे टैक्स लगाई जायगी परन्तु भारत के बाहर मान लीजिए अफ्रिका मे कोई सम्राट् का कर्मचारी हो और उसको भारतीय कोष से वेतन दी जाती हो तो उसकी इस वेतन पर भारत में टैक्स नहीं ली जा सकेगी।

—धाराः ७

३—जमानतों का व्याज

८—इन्कम टैक्स एक्ट में 'जमानत' (सिक्योरिटी) शब्द की परिभाषा नहीं दी हुई है। इस शब्द में केन्द्रीय सरकार, या प्रांतीय सरकार की जमानतें या किसी स्थानीय अधिकारी या कम्पनी द्वारा या उनकी तरफ से निकाले हुए डिबेंचर या रुपयों की अन्य जमानत शामिल है। ऐसी जमानतों से व्याज की जो आमदनी होती है उस पर टैक्स लगती है।

इस शीर्षक की आमदनी की कूत करते समय निम्नलिखित खर्चे बाद दे दिए जाते हैं:—

(१) जमानतों के व्याज को निकलवाते समय बैंक द्वारा कमीशन के बतौर जो रकम काटी गई हो।

(२) जो रकम उन रुपयों के व्याज स्वरूप दी गई हो जो कि इन जमानतों मे लगाने के लिए उधार लिए गये हों।

यदि यह व्याज ब्रृटिश भारत के बाहर दिया गया होगा तो उसी हालत मे वह बाद दिया जायगा जब कि—

(१) उसमे से धारा १८ के अनुसार टैक्स काट लिया गया था दे दिया गया होगा, या।

(२) बृटिश भारत मे ऐसा कोई शख्स होगा जो कि धारा ४३ के अनुसार इस व्याज के सम्बन्ध मे टैक्स देने के लिए एजेण्ट बनाया जा सकेगा, या

(३) वह किसी ऐसे ऋण के सम्बन्ध मे दिया गया होगा जो कि ता० १ अप्रेल, ३८ के पहले सार्वजनिक चन्दे के लिए निकाला गया होगा।

भारत सरकार की उस जमानत के व्याज पर इन्कम टैक्स नही देनी होगी जो कि इन्कम टैक्स से बरी निकाली गयी था घोपित कर दी गई हो।

जो जमानतें किसी प्रांतीय सरकार द्वारा इन्कम टैक्स से बरी निकाली गई होंगी, उन के व्याज पर टैक्स उसी प्रांतीय सरकार द्वारा दिया जायगा, जिसके द्वारा वे इस प्रकार निकाली गई होंगी।

—धारा: ८

४—जायदाद की आय

९—(१) जायदाद का अर्थ है मकान या मकान के साथ लगी हुई जमीन। इस शीर्षक के नीचे मकान या मकान के साथ लगी हुई जमीन की आय आती है। खुली जमीन की आय इस शीर्षक में नहीं धरी जाती। टैक्स जायदाद के 'उचित वार्षिक मूल्य'[१] पर देनी पडती है। वह जायदाद के मालिक पर लगाई जाती है।

जायदाद के उस हिस्से के वार्षिक मूल्य पर टैक्स नहीं लगायी जायगी जो हिस्सा एसेसी अपने कारवार, पेशे या रोजगार के निमित्त काम मे लायगा केवल शर्त इतनी ही है कि यह कारवार, पेशा या रोजगार ऐसा होना चाहिए जिसके नफे पर टैक्स लागू हो सके। इस संशोधित कानून के पहले नफे पर टैक्स लग सके या नहीं कारवारादि के प्रयोजन के लिए उपयोग में लाए जाते हुए हिस्से के वार्षिक मूल्य पर टैक्स नहीं धरा जाता था परन्तु अव उपरोक्त शर्त जोड़ दी गई है।

जायदाद के वार्षिक मूल्य में से निम्नलिखित अलाउऐंस वाद दे दिए जायंगेः—

(१) जव जायदाद मालिक के उपयोग मे (अधिकार मे) होगी तो मरम्मत खर्च के लिए एक ऐसी रकम जो वार्षिक मूल्य के छठे भाग के वरावर होगी;

यदि जायदाद किसी को भाड़े पर दी हुई होगी और उसका मरम्मत खर्च जायदाद—मालिक के जिम्मे होगा तो उस हालत मे भी उपरोक्त रकम मरम्मत खर्च के वतौर वाद दे दी जायगी[१]।

(२) यदि मरम्मत खर्च किरायेदार के जिम्मे होगा तो वार्षिक मूल्य में और किराये में जो फर्क होगा उतनी रकम वाद दे दी जायगी

१—इसके अर्थ के लिए देखिये आगे उपधारा (२) पृ० ३१-३२

परन्तु इस प्रकार वाद दी जाने वाली रकम किसी भी हालत मे वार्षिक मूल्य के छठे भाग से अधिक नहीं होगी।

(३) जायदाद को क्षति या नष्ट होने की जोखिम से वचाने के लिए वेची गई वीमा का वार्षिक प्रीमियम।

(४) यदि जायदाद गिरवी रखी हुई होगी या उस पर अन्य कोई केपिटल चार्ज होगा तो गिरवी या चार्ज की रकम का व्याज,

यदि जायदाद पर किसी ऐसे वार्षिक चार्ज की लाग होगी जो कि केपिटल चार्ज नहीं है तो उस चार्ज की रकम,

यदि जायदाद किराए की जमीन पर होगी तो उस जमीन का किराया, और

यदि जायदाद उधार लिए हुए रुपयों से खरीदी गई, वनाई गई, मरम्मत की गई, सुधारी गई या फिर से वनाई गई होगी तो इन रुपयों का व्याज।

सशोधन के पूर्व जायदाद पर किसी प्रकार का केपिटल चार्ज होता तो चार्ज की रकम का व्याज वाद दे दिया जाता था चाहे उधार लिया हुआ रुपया खानगी उद्देश्यों से ही लिया गया हो, उसी प्रकार जायदाद खरीदने के लिए जो रुपये उधार लिए जाते थे उनका व्याज भी वाद दे दिया जाता था चाहे जायदाद पर कोई चार्ज न हो, अव सशोधन के अनुसार यदि जायदाद पर कोई वार्षिक चार्ज होगा और यदि ऐसा चार्ज केपिटल चार्ज नहीं होगा तो वह भी वाद दे दिया जायगा। तथा रुपये जायदाद खरीदने के लिए नहीं परन्तु जायदाद वनाने के लिए, या उसे मरम्मत करने, सुधारने या फिर से वनाने के लिए उधार लिए गये होंगे तो भी उनका व्याज वाद दे दिया जायगा।

(गिरवी रखने में जायदाद के प्रति किसी दूसरे का हक कर

दिया जाता है—परन्तु चार्ज में जायदाद सम्बन्धी हकों को हस्तान्तरित नहीं किया जाता। 'चार्ज' लागू करनेवाला केवल यह कहता कि अमुक फण्ड मे से वह अमुक कर्ज चुकायगा। जब कि दोनों ओर के पक्षों के कार्यों से या कानून के बल से किसी एक व्यक्ति की जायदाद दूसरे किसी को रुपये देने के लिए जमानत बना दी जाती है परन्तु रेहन नहीं रखी जाती तो इस दूसरे व्यक्ति का उस जायदाद के प्रति एक चार्ज कहलायगा। इस तरह का चार्ज कोर्ट के हुक्म से या वसीयतनामे द्वारा हो सकता है। उदाहरण स्वरूप:—

यदि कोर्ट की डिग्री के अनुसार किसी हिन्दू को अपनी पैतृक जायदाद मे से कोई रकम किसीको निर्वाह के खर्च के रूप में देनी पड़ती हो तो यह रकम वार्षिक मूल्य मे से बाद दे दी जायगी।)

यदि ब्याज या चार्ज की रकम बृटिश भारत के बाहर देनी होगी तो उसी हालत में उस पर टैक्स नहीं लगेगी जब कि

(क) धारा १८ के अनुसार टैक्स दे दिया गया होगा या काट लिया गया होगा, या

(ख) बृटिश भारत में ऐसा कोई एजेण्ट होगा जो कि धारा ४३ के अनुसार ऐसे ब्याज या चार्ज पर टैक्स देने के लिए जिम्मेवार बनाया जा सकेगा।

यदि यह ब्याज ऐसे उधार पर होगा जो कि ता० १ अप्रैल, ३८ के पहले सार्वजनिक चन्दे के लिए निकाला गया होगा तो बृटिश भारत के बाहर देने पर भी और उपरोक्त दोनों शर्तों के पूरा न होने पर भी वह बाद दे दिया जायगा।

(५) जायदाद के सम्बन्ध में मालगुजारी की जो रकम दी जायगी।

(६) भाडा अदा करने के खर्चों के बाबत में उतनी रकम तक जितनी कि कानून द्वारा निश्चित की हुई होगी। इस सम्बन्ध में यह

नियम किया हुआ है कि वार्पिक मूल्य के छः प्रतिशत से अधिक खर्च वाद नहीं दिया जायगा। किराया वसूल करने में जो खर्च होगा उसकी सबूत देनी होगी। वास्तव मे जितना खर्च हुआ होगा उतना वाद दे दिया जायगा परन्तु यदि ऐसा खर्च नियत प्रतिशत से अधिक होगा तो जितना अधिक होगा उतना वाद नहीं दिया जायगा।

परन्तु किराया अदा करने के लिये यदि कानूनी कार्रवाही की गई होगी तो वह खर्चा भी वाद मिल सकेगा।

(क) केवल पक्के कानूनी खर्च ही वाद दिए जायंगे,

(ख) जो खर्च मिला होगा, उसको वाद देकर जो वास्तविक खर्चा हुआ होगा वह उसी वर्प मे वाद मिल सकेगा जिस वर्प में डिक्री हुई होगी।

(ग) इन कानूनी खर्चों को लेकर सव अदाई खर्च ६ प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिये।

(७) अगर जायदाद समूची या उसका कोई हिस्सा किसी समय के लिए खाली रहेगा तो जायदाद के वार्पिक मूल्य मे से उपरोक्त खर्चें वाद दे देने के वाद जो रकम रहेगी उसमे से उतनी रकम और वाद दे दी जायगी जो कि खाली रहने के समय के हिसाव से होगी।

संशोधन के पहले ऐसा कानून था कि उपरोक्त कुल अलाउएन्सों की जोड वार्पिक मूल्य से अधिक नहीं होने दी जाती थी परन्तु नए सशोधन के अनुसार अव यह वात नहीं रही। अव ये सव अलाउएस मिलकर यदि वार्पिक मूल्य से अधिक होंगे तो जायदाद के शीर्पक मे नुकसान हुआ समझा जायगा और धारा २४ के अनुसार अन्य शीर्पकों की आमदनी मे से वाद लिया जा सकेगा।

(२) इस धारा के प्रयोजन के लिए उचित वार्पिक मूल्य का अर्थ उस रकम से है जिस पर कि जायदाद साल-साल के लिए किराये पर उठ जाने की उचित रूप से आशा की जा सके। परन्तु जब जाय-

दाद अपने रहने के लिए जायदाद-मालिक के कब्जे में होगी तो वार्षिक मूल्य मालिक की कुल आमदनी के दस प्रति सैकड़े से अधिक नहीं माना जायगा।

(३) यदि जायदाद दो या अधिक मनुष्यों की सम्पत्ति होगी और उनका प्रत्येक का हिस्सा निश्चित होगा और निर्धारित किया जा सकेगा तो उन मनुष्यों पर उस जायदाद की आय के सम्बन्ध में जो टैक्स लगाया जायगा वह उन मनुष्यों को व्यक्तियों का समुदाय समझ कर नहीं लगाया जायगा। परन्तु जायदाद की जो आय उपरोक्त ढग पर कूँती जायगी, उसके हिस्सेवार भाग कर उसे प्रत्येक मनुष्य की कुल आमदनी में जोड़ दिया जायगा।

—धारा : ९

(७) कारबार, पेशे या रोजगार के मुनाफे या लाभ

१०—(१) कारबार, पेशे या रोजगार से जो भी मुनाफा या लाभ होता है वह इस शीर्षक के अन्तर आता है। ऐसी आय पर कारबार आदि चलाने वाले को टैक्स देना होता है।

(२) इस शीर्षक की आमदनी की कूंत करते समय निम्न-लिखित अलाउन्स (खर्चे) बाद दे दिये जाते हैं:—

(क) कारबार आदि जिस इमारत या स्थान में किया जाता हो उसका भाड़ा। यदि इस स्थान का काफी भाग एसेसी द्वारा अपने रहने के लिए काम में लाया जाता होगा तो अलाउन्स उतना बाद दिया जायगा जितना कि इन्कम टैक्स आफिसर इस प्रकार वर्ते जाते हुए भाग की वार्षिक कीमत को देखते हुए अनुपात से आंकेगा।

(ख) मकान मरम्मत का खर्च। अगर एसेसी भाडेती हो और मरम्मत का खर्च उसने अपने जिम्मे लिया हो तो मरम्मत के

लिए उसने जो खर्च किया होगा, वह मुजरा मिलेगा। अगर मकान का काफी भाग एसेसी द्वारा रहने के मकान के वतौर व्यवहार मे लाया जाता होगा तो मरम्मत खर्च मे से इस हिस्से की मरम्मत का खर्च कम कर दिया जायगा।

(ग) कारवार आदि के लिए यदि कोई पूजी उधार ली गयी होगी तो उसके विषय मे दिया हुआ व्याज। परन्तु यदि व्याज ऐसा होगा जिस पर कि टैक्स लगती हो और वह वृटिश भारत के वाहर दिया गया होगा तो उसी हालत मे वह वाद दिया जायगा जब कि इस व्याज पर धारा १८ के अनुसार टैक्स दे दिया गया या काट लिया गया होगा, या (२) वृटिश भारत मे ऐसा कोई एजेन्ट होगा जिससे कि धारा ४३ के अनुसार इस व्याज पर टैक्स लिया जा सके। यदि यह व्याज किसी ऐसे उधार (Loan) के वारे में होगा जो कि ता० १ अप्रल, ३८ के पहिले सार्वजनिक चन्दे के लिए निकाला गया होगा तो वृटिश भारत के वाहर देने पर भी वह वाद दे दिया जायगा। उसके लिए उपरोक्त दोनों शर्तें लागू नहीं होंगी। यदि व्याज फर्म के किसी हिस्सेदार को दिया गया होगा तो वह वाद नहीं दिया जायगा।

वार वार दिये जाने वाले चन्दे (Recurring Subscriptions), जो स्वीकृत म्युच्युअल वेनिफिट सोसाइटियों के शेयर-होल्डर या चन्दा दाताओं द्वारा निर्दिष्ट अवधियों पर दिए जाते है, उधार ली हुई पूजी समझी जायगी और उनका व्याज वाद दे दिया जायगा।

(घ) कारवार आदि के प्रयोजन के लिए व्यवहार मे आती हुई इमारतों, कलों, प्लैन्ट (plant),[1] सामान (furniture),

---

१—'प्लैन्ट' में, गाड़िया, किताबें, वैज्ञानिक यन्त्र, और चीरे फाड़े के सामान—जो कि कारवार आदि के प्रयोजन के लिये खरीदे गये हों, सामिल हैं।—उपधारा ५

माल-स्टाक या अन्य सामान को क्षति होने या नष्ट होने की जोखिम से बचाने के लिए बेची गई बीमा का प्रीमियम। उदाहरण स्वरूप चोरी, डकैती, आग आदि से होनेवाले नुकशान से बचाने के लिए कराई हुई बीमा का प्रीमियम बाद दिया जायगा। परन्तु बाजार की गिरती हुई हालत को देख कर दामों की घटती से होनेवाले नुकशान से बचने के लिए जो बीमा कराई जायगी उसका प्रीमियम बाद नहीं दिया जायगा।

(ङ) इमारतों, कलें, प्लैन्ट या सामान की चालू मरम्मत (Current Repairs) के बतौर खर्च की हुई रकम। चालू मरम्मत का अर्थ है मशीन आदि को काम देने की अवस्था मे रखने के लिये, साधारण ढग से हुई टूट-फूट के कारण जो मरम्मत जरूरी हो और जो अपेक्षाकृत थोडे समय जैसे दो या तीन वर्षों में एकबार—के अन्तर से पुनः पुनः करानी पड़ती हो। इसमें मामूली (minor) परिवर्तन या सुधार भी सामिल है।

मरम्मत क्या है यह वस्तुस्थिति पर निर्भर करती है। किसी समूची चीज के एक भाग या अङ्ग विशेप को, वह जिस अवस्था में था उस अवस्था में लाना या उसको रद्दोबदल करना, मरम्मत के अन्दर आता है परन्तु समूची चीज को फिर से बनाना मरम्मत नहीं है। उदाहरण स्वरूप छत की पुरानी टालियों की जगह नई टालियाँ लगा देना मरम्मत है परन्तु यदि समूची छत को तोड़ कर नई छत की जाय तो वह मरम्मत नहीं होगी।

(च) किसी कारबार, पेशे या रोजगार में काम मे लाई जाती हुई मशीनें, इमारते आदि यदि एसेसी की सम्पत्ति होंगी तो उनके सम्बन्ध में निर्धारित प्रतिशत के हिसाब से घिसाई की रकम। पुराने कानून के अनुसार यह घिसाई असली कीमत के प्रतिशत से दी जाती थी परन्तु नए संशोधन के अनुसार वह 'घट कर

बची हुई', (written down) कीमत पर कसी जायगी[1]। घट कर बची हुई कीमत' का साधारणत अर्थ उस कीमत से है जो कि असली कीमत मे से पूर्व मे घिसाई के बारे मे जो रकमे बाद दी जा चुकी है उनको बाद देने पर रहती है[2]।

१—इन दोनों पद्धतियों के फर्क को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है।

	खरीद कीमत का तरीका		घटकर बची हुई कीमत का तरीका
वर्ष १, मूल लागत	१०,०००)	२०% घटकर	१०,०००)
अलाउस १५% कीमत पर	१,५००)	बची हुई कीमत पर	२,०००)
वर्ष २, घटकर बची हुई कीमत	८,५००)	”	८,०००)
१५% कीमत पर	१,५००)		१,६००)
वर्ष ३,	७,०००)		६,४००)
१५% कीमत पर	१,५००)		१,२८०)
वर्ष ४,	५,५००)		४,१२०)
१५% कीमत पर	१,५००)		८२४)
वर्ष ५, घट कर बची हुई कीमत	४,०००)		३,२९६)

२—एक्ट की धारा १० की उपधारा ५ में इसका खुलासा इस प्रकार किया है —

(१) अगर मशीन आदि (Assets) गत वर्ष (Previous year) मे खरीदी गई होंगी तो उनकी खरीद कीमत ही 'घट कर बची हुई कीमत' (written down value) समझी जायगी।

(२) अगर मशीनरी आदि गत वर्ष से पहले परन्तु नए कानून जारी होने के बाद खरीदी गई होंगी तो घट कर बची हुई कीमत वह समझी जायगी

परन्तु—

(१) घिसाई बाद देने सम्बन्धी उपरोक्त संशोधन ता० १, अप्रेल १६४० के पहले व्यवहार में नहीं आयगा।

(२) घिसाई खर्च उसी हालत में बाद दिया जायगा जब कि निर्दिष्ट (Prescribed) सारे विवरण नियमानुसार पेश किए गये होंगे।

(३) यदि किसी वर्ष में घिसाई सम्बन्धी अलाउस, मुनाफा या लाभ न होने या पर्याप्त न होने से पूरा बाद नहीं दिया जा सकेगा तो वह अगले वर्ष के अलाउस के साथ जोड़ दिया जायगा और उसका अङ्ग माना जायगा या उस वर्ष का अलाउंस समझा जायगा। आगे के वर्षों में भी ऐसा ही होता रहेगा।

(४) इस तरह जो रकमें मुजरा मिलेंगी उन सब की मोट जोड इमारत आदि की असली लागत कीमत से किसी भी हालत में बेसी नहीं होगी।

जो कि असली लागत मे से इस धारा के अनुसार बाद दी जा सकने वाली घिसाई को बाद देने के बाद रहेगी।

(३) अगर खरीद नए कानून के जारी होने से पहले की होगी तो रिटन डाउन (Written down) कीमत खरीद लागत मे से पुराने कानून के दर से हर साल की घिसाई हुई होगी, वह अब तक की बाद देकर जो रकम रहेगी वह समझी जावेगी।

बशर्ते कि जहाँ धारा २६ की उपधारा २ के अपवाद (proviso) लागू होंगे वहाँ 'क्लाज (१), (२), (३) मे जो करदाता के लिए खरीद कीमत होगी वही उस कारबार आदि के उत्तराधिकारी के लिए भी खरीद कीमत होगी। बशर्ते कि घिसाई का वह अलाउन्स से या उसका कोई हिस्सा जो कि ता० १ अप्रेल, ३९ के पहले खत्म हुए वर्ष के लिए पावना था, परन्तु जो कि उस वर्ष में टैक्स लगाने योग्य नफा या लाभ न होने से या कम होने से बाद नहीं दया जा सकता था, खरीद दाम मे से बाद नहीं दिया जायगा।

(छ) यदि कोई मशीन या प्लैंट पुराने ढग का होने के कारण या रद्दी हो जाने के कारण विक्री कर दिया गया होगा या हटा दिया गया होगा तो 'घट कर बची हुई कीमत' (Written down value) और इस प्रकार विक्री से या स्क्रैप से मिली कीमत मे जो फर्क होगा उतना बाद दिया जायगा। बशर्ते कि ऐसेसी की बहियों मे यह फर्क की रकम वास्तव मे (Actually) भुगता दी गई होगी। यदि विक्री से प्राप्त मूल्य या स्क्रैप (रद्दी) की कीमत 'घट कर बची कीमत' से अधिक उठेगी तो दोनों का फर्क उस गत वर्ष के नफे मे सुमार कर लिया जायगा जिसमे कि रद्दी मशीन बेची गई है।

(ज) कारबार पेशे या रोजगार के प्रयोजन के लिए यदि कोई पशु काम मे लाया जाता हो तो उसके मर जाने पर या हमेशा के लिए उक्त काम के लिए खारिज हो जाने पर, उसकी असली लागत कीमत तथा उस पशु की लाश से या पशु की विक्री से यदि कोई रकम उठेगी तो इन दोनों का फर्क बाद दिया जायगा। परन्तु यदि पशु कारबार के स्टोक के रूप मे होंगे तो ऐसी रकम मुजरा नहीं मिलेगी।

(झ) इमारत के उस हिस्से के बारे मे दी हुई मालगुजारी, स्थानीय कर (Local rates) या म्युनिसीपैलिटी के टैक्सों की रकम जो कि कारबार आदि के प्रयोजन के लिए वर्त्ता जाता है। इसके अपवाद के लिए देखिये आगे —४ (१)

(ञ) कोई रकम जो कि वेतन-भोगी को उसकी सेवाओ के लिए बोनस या कमीशन के रूप मे दी गयी हो, और जब कि उसको यह रकम बोनस या कमीशन के सिवा अन्य रूप में अर्थात् नफे या डिविडेन्ट के रूप में नहीं दी जा सकती थी। परन्तु बोनस और कमीशन की रकम निम्नलिखित दृष्टियों से उचित होनी चाहिये:-

(१) नौकरी की शर्त्तों की दृष्टि से,

(२) कारबार, पेशे या रोजगार के उस साल के नफे की दृष्टि से, तथा

(३) इस प्रकार के कारबार, पेशे आदि में प्रचलित प्रथा की दृष्टि से।

(त) अगर टैक्स देनेवाला हिसाब नगद पद्धति से रखेगा तो उसको उस कर्ज के सम्बन्ध में जिसकी उगाही संदेहजनक है (Bad and doubtful debts) कोई रकम मुजरा नहीं दी जावेगी। परन्तु अगर एसेसी के वही खाते नगद पद्धति पर नहीं रखे जाते होंगे तो इसके सम्बन्ध में जितने रुपये एसेसी के पावने होंगे उनमे से उतनी रकम बाद दे दी जायगी जितनी कि अप्राप्य हो गई होगी। परन्तु एसेसी की वहियों में जितनी रकम अप्राप्य समझ कर भुगताई गई होगी उससे अधिक रकम बाद नहीं दी जायगी। यदि एसेसी के बैंकिंग या रुपया उधार देने का (व्याज का) कारबार होगा तो कारबार के साधारण व्यवहार मे उधार दिए रुपयों के बाबत में उपरोक्त तरीके से ही डूब की रकम बाद दी जायगी।

परन्तु यदि इस प्रकार डूबे हुए रुपयों मे से बाद में जो रकम अदा होगी वह यदि डूब की समूची तथा डूबत के सम्बन्ध मे उपरोक्त प्रकार से मुजरा दी हुई रकम के फर्क से अधिक होगी, तो जितनी रकम अधिक होगी वह उस साल का नफा समझी जायगी जिसमें कि वह अदा होगी और यदि कम होगी तो कमी उस साल का कारबारी खर्च समझी जायगी।

(थ) कोई भी खर्च जो कि सम्पूर्णतः और केवल मात्र कारबार, पेशे या रोजगार के प्रयोजनों के लिए किया गया होगा। उदाहरण स्वरूप कर्मचारियों की वेतन, मजदूरों की जूरीम, छपाई,

स्टेशनरी, डाक व तार खर्च, यात्रा खर्च, कमीशन, कचहरी खर्च, वट्टा, विज्ञापन खर्च आदि वाद मिल सकेंगे।

(३) यदि कोई मकान, मशीन, प्लैंट या सामान, जिसके वारे मे उपधारा (२) के क्लाज घ, ङ, च, छ, के अनुसार अलाउन्स लेना है, सम्पूर्णत. कारवार आदि के ही व्यवहार मे नही आता तो अलाउन्स उस रकम के उचित अनुपात से होगा जो कि यदि मकान आदि सम्पूर्णतः कारवार आदि के प्रयोजन के लिए काम मे लाए जाते तो वाद मिलता।

(४) निम्नलिखित रकमे वाद नही दी जायँगी :—

(१) कोई रकम जो कि नफे के आधार पर सेस, रेट या टैक्स के रूप मे दी गई होगी

(२) कोई वेतन की रकम, जिस पर कि वृटिश भारत मे टैक्स लगता हो, यदि वृटिश भारत के वाहर दी गई होगी और उसमे से टैक्स नही काटा होगा या जमा किया होगा तो वह वाद नहीं दी जायगी।

(३) ऐसी रकम जो कि फर्म ने व्याज, वेतन, कमीशन या पारिश्रमिक के वतौर फर्म के किसी साझेदार को दी होगी,

(४) वेतन-भोगियो (Employees) के लाभ के लिए स्थापित प्रोविडेण्ट फण्ड या अन्य किसी फण्ड मे जो रकम दी जायगी

उस हालत मे जब कि मालिक ने इस वात का पूरा वन्दोवस्त कर दिया होगा कि इस फण्ड मे से ऐसी कोई भी रकम, जिस पर कि वेतन के शीर्षक के अन्तर टैक्स लगता है, देते समय उसमे से टैक्स काट लिया जाय।। तो ऐसी रकम भी मुजरा मिल सकेगी।

(५) यदि कोई भी तिजारत मे या पेशे में लगी हुई या ऐसी ही सस्था जो कि मूल्य लेकर अपने सदस्यों को खास सेवाएँ देती हैं और

यह निश्चित है कि यह मूल्य इन सेवाओं के बदले मे है तो वे इस धारा के अनुसार उन सेवाओं के विषय मे कारबार करनेवाली समझी जावेंगी और इन सेवाओं के मुनाफे या लाभ पर टैक्स लागू होगा।

(६) बीमा कम्पनियों की आय की कूँत खास तरीकों से होती है और टैक्स भी खास तरीके से कसी जाती है। पैरा ८, ६, १०, ११ और १८ के विधान बीमा कम्पनियों के प्रति लागू नहीं पड़ते। उनके प्रति लागू पड़ने वाले खास नियम इन्कम टैक्स एक्ट के सिड्यूल में दिए हुए है।

—धारा १०

६—*अन्य जरियों से आय*

११—(१) कोई भी आमदनी, मुनाफा या लाभ जो ऊपर बताए हुए किसी शीर्षक के अन्तर नहीं आता—वह इस शीर्षक के अन्तर गिना जायगा। यदि इस शीर्षक के अन्तर आती हुई कोई आमदनी, मुनाफा या लाभ, ऐसा होगा जो कि 'कुल आमदनी' में जोड़ा जा सके तो उस पर टैक्स देनी होगी। उदाहरण स्वरूप किसी ऐसी जमीन, जो कि किसी मकान या इमारत के साथ नहीं लगी हुई है, उसकी उचित वार्षिक कीमत पर इस शीर्षक के अनुसार टैक्स लिया जायगा।

(२) इस शीर्षक के नीचे कितनी आय हुई है यह निश्चित करते समय निम्नलिखित खर्च बाद दे दिए जायंगे:—

(क) ऐसे खर्च जो कि पूजी के व्यय (Capital expenditure) के ढंग के न होंगे तथा

(ख) केवल आमदनी आदि उपार्जन करने के लिए किए गये होंगे।

परन्तु निम्न लिखित खर्चे बाद नहीं दिए जायंगे।

(क) एसेसी का घरू (Personal) खर्च,

(ख) वृटिश भारत के वाहर दिये हुए व्याज की रकम, परन्तु यह व्याज निम्न लिखित अवस्थाओ मे वाद दे दिया,जायगा ।

(१) यदि वह ता० १ अप्रेल, ३८ के पहिले निकाले हुए कोई सार्वजनिक लोन सम्बन्धी व्याज होगा ।

(२) यदि व्याज की रकम मे से धारा १८ के अनुसार व्याज काट लिया गया होगा—या दे दिया गया होगा ।

(ग) वृटिश भारत के वाहर दी हुई ऐसी रकम जिस पर कि वृटिश भारत मे आमदनियों के शीर्षक के नीचे टैक्स लगती है ।

यह रकम भी उस हालत मे वाद दे दी जायगी जब कि धारा १८ के अनुसार टैक्स काट ली गई या दे दी गई होगी ।

(३) अगर प्लैन्ट, मशीनें या सामान आदि भाड़े पर दिए हुए होंगे तो एसेसी को बीमा, मरम्मत, घिसाई, तथा उनके पुराने होने पर विक्री करने आदि के सम्बन्ध मे उसी प्रकार से अलाउन्स मिलेगा जिस तरह कि कारवार आदि के प्रयोजन के लिए उन्हे व्यवहार मे लाने से इनके सम्बन्ध मे पूर्व मे दिखाए अनुसार मिलता है ।

देखो पृष्ठ ३३ (घ)—३७ (छ)

—धारा ११

७—*मैनेजिंग एजेंसी की कमीशन*

१२—(१)कभी-कभी ऐसा होता है कि मैनेजिंग एजेन्टो[१] को अपनी कमीशन का अमुक अश दूसरे लोगों को देना पडता है । इस

१—मैनेजिंग एजेंट उस शख्स को कहते हैं जो किसी कम्पनी के साथ हुए इकरारनामे के अनुसार कम्पनी के समस्त कार्यों की व्यवस्था करने का हकदार है । यह व्यवस्था कम्पनी के डाइरेक्टरों की अधीनता मे और इकरारनामे की शर्तों के अनुसार की जाती है । कोई व्यक्ति, फर्म या कम्पनी मैनेजिंग एजेन्ट हो सकता है ।

प्रकार दिया हुआ अंश निम्नलिखित शर्तें पूरी होने पर कमीशन मे से बाद दे दिया जायगा :—

(१) कमीशन का अश जिसको या जिनको दिया जाय उसके या उनके और मैनेजिंग एजेन्ट के बीच इकरारनामा होना चाहिए। यह इकरारनामा समुचित बदले (consideration) के आधार पर होना चाहिए

(२) मैनेजिंग एजेन्ट इस इकरारनामे के अनुसार कमीशन का अंश उस या उन पार्टियों को देने के लिए बाध्य हो।

(३) मैनेजिंग एजेन्ट और उस पार्टी या पार्टियों को मिल कर एक घोषणा (Declaration) पेश करनी होगी जिसमें यह दिखाना होगा कि कमीशन का परस्पर में किस हिसाब से बँटवारा होता है।

(४) इस घोषणा मे जो कुछ लिखा होगा उसकी सत्यता के सम्बन्ध मे इन्कम टैक्स ऑफिसर के सम्मुख सन्तोषजनक सबूत देना होगा।

इन शर्तो के पूरा होने पर मैनेजिंग एजेन्ट, और तीसरी पार्टी या पार्टियों को अपने-अपने अश के सम्बन्ध में ही टैक्स देने के लिए दायक होना पड़ेगा।

(२) उपरोक्त शर्तों के पूरा न होने पर कमीशन का जो अश दूसरों को दिया गया होगा वह बाद नहीं दिया जायगा और मैनेजिंग एजेन्ट को पूरी कमीशन पर टैक्स देना होगा।

—धारा : १२-ए

८—*हिसाब रखने की पद्धति*

१३—इन्कम टैक्स एक्ट में हिसाब रखने की कोई पद्धति का निर्देश नहीं है। एसेसी जिस पद्धति को पसन्द करे और सुविधाजनक समझे

उस पद्धति के अनुसार अपने वही-खाते रख सकता है। परन्तु एक वार किसी पद्धति को चून लेने पर नियमित रूप से उसी पद्धति से वही-खाते रखने होंगे तथा पद्धति चाहे वह कोई हो ऐसी होनी चाहिए कि जिससे एसेसी के लाभ-नुकशान की पूरी-पूरी कूँत हो सके। एसेसी नियमित रूप से जिस पद्धति के अनुसार हिसाव रखेगा उसी पद्धति से कारवार, पेशे या रोजगार या अन्य जरियों से होनेवाली उसकी आय की कूत की जायगी।

यदि एसेसी ने किसी खास पद्धति को नियमित रूप से नहीं अपनाया होगा या ऐसी पद्धति को अपनाया होगा जिससे कि इन्कम टैक्स ऑफिसर की राय मे आय की ठीक-ठीक कूंत नहीं होती तो उस हालत मे इन्कम टैक्स ऑफिसर को अधिकार होगा कि वह आमदनी की उस आधार और उस तरह से कूँत करे जैसा कि वह ठीक समझे।

हिसाव रखने की पद्धतियां मुख्य रूप से दो तरह की है—(१) नगद पद्धति इस पद्धति मे जो रकमे वास्तव मे मिलती हैं या दी जाती है वे ही लिखी जाती है, जैसे ही रुपया मिलता है या खर्च किया जाता है वैसे ही जमा कर लिया या खर्च लिख दिया जाता है। प्राय· कार-वारी खाते इस पद्धति से नहीं रखे जाते। पूरं नफे नुकसान की कूत करने के लिये आरम्भिक और शेप के स्टाक को हिसाव मे लेना पडता है। (२) व्यापारिक पद्धति· इस पद्धति मे नफे नुकशान का खाता अर्थात् बट्टा खाता रक्खा जाता है और आरम्भिक तथा अन्तिम स्टाक की कीमत को धरकर नफा-नुकशान निकाला जाता है। इस पद्धति के अनुसार जव रुपये मिलने है या दिए जाते हैं उस तारीख के दिन वे नहीं लिखे जाते परन्तु जिस दिन खरीद-विक्री होती है उसी दिन जमा-खर्च कर लिया जाता है। रुपये के लेन-देन की तारीख के साथ उसका कोई सम्बन्ध नहीं होता। उदाहरण स्वरूप जव माल वेचा

जाता है तो उसी समय माल खाते माल की कीमत जमा कर ली जाती है, भले ही रुपये उस समय न मिले हों, उसी तरह से जब माल खरीदा जाता है तो उसी समय माल बेचने वाले के रुपये जमा कर माल खाते नामे लिख दिये जाते है। एसेसी जिस पद्धति को चुनेगा उसी के अनुसार उसे समूचा हिसाब रखना पड़ेगा। अमुक आय या अमुक खर्च किस वर्ष का नफा है या व्यय है यह बहुत कुछ हिसाब रखने की पद्धति पर निर्भर करेगा। तथा अमुक खर्च बाद दिया जाय या नहीं यह भी इसी बात पर निर्भर करेगा।

बहुत से खर्च ऐसे है जिन्हे देने का प्रश्न दूसरी पद्धति से हिसाब रखने के कारण उठता है। नगद पद्धति से हिसाब रखने पर उन्हे बाद देने का प्रश्न ही नहीं उठता। उदाहरण स्वरूप नगद पद्धति से हिसाब रखने पर 'बैड डेट' का कोई अलाउन्स नहीं होगा। जैसा कि ऊपर दिखाया है व्यापारिक पद्धति से हिसाब रखने पर ज्यों ही माल बिक्री होता है उसकी कीमत जमा कर ली जाती है, भले ही वह उस समय न मिले। इस तरह माल की बिक्री से जो नफा होगा वह बहियों में माल बिक्री होते ही आ जाता है। यह संभव है कि इस प्रकार उधार बेचे हुए माल की कीमत कभी अदा ही न हो, इसलिए यह जरूरी होगा कि, जब रुपये अप्राप्य हो जाय तो वह बहियों में गल्त बाकी बोल कर भुगता दिए जाय। ऐसे समझे जाकर वे जिस वर्ष भुगताए जायंगे उस वर्ष उनको नफे मे से बाद दे दिया जायगा।

ऊपर मे जो कुछ कहा गया है उससे यह नहीं समझना चाहिए कि कोई एसेसी अपने हिसाब रखने की पद्धति को बदल नहीं सकता। वह अपनी पुरानी नियमित पद्धति को एक नई नियमित पद्धति शुरू करने के लिए छोड़ सकता है परन्तु केवल थोड़े समय के लिए नई पद्धति को काम में लाने के लिए नहीं छोड़ सकता।

इन्कम टैक्स ऑफिसर को इस बात की खातिरी दिला कर कि

इस प्रकार कर वह किसी तरह से टैक्स को नहीं टाल रहा है, वह अपनी पद्धति को उसकी रजा से बदल सकता है।

—धारा · १३

६—आम छूटें

१४—(१) एसेसी को उस रकम पर टैक्स नहीं देना होगा जो कि वह हिन्दू अविभक्त परिवार के सदस्य के तौर पर पाता है।

जो रकम मिली है वह इन्कम टैक्स से बरी है—यह दिखाने का जिम्मा एसेसी का है। उसे यह दिखाना होगा कि (१) वह हिन्दू अविभक्त परिवार का सदस्य है, (२) जो रकम उसे मिली है वह उस आमदनी मे से मिली है जिस में उसका हक है अर्थात वह परिवार की सम्मिलित आय में से मिली है।

इन्कम टैक्स एक्ट के लिए हिन्दू अविभक्त परिवार का स्वतन्त्र व्यक्तित्व माना गया है। जिस तरह एक व्यक्ति पर टैक्स लगती है उसी तरह से हिन्दू सयुक्त परिवार की कुल आय पर भी टैक्स लगती है। जब परिवार के सदस्यों पर उनकी निज की कुल आमदनी के सम्बन्ध मे टैक्स लगाई जाती है तो परिवार से उन्हें जो आमदनी मिली हो वह हिसाब मे नहीं ली जाती। यदि परिवार की आमदनी २०००) से कम होने से उस पर कोई टैक्स नहीं लगाई गई होगी तो भी वह सदस्यों के हाथ मे आने पर उस पर टैक्स नहीं लगाई जायगी। इस तरह इस विधान द्वारा परिवार के सदस्य के हाथ में उस आमदनी को टैक्स लगने से बचाया गया है जिस आमदनी पर कि परिवार के हाथ मे टैक्स लगती, चाहे वास्तव में उस पर टैक्स लगी हो या नहीं।

उदाहरण स्वरूप एक विधवा को ले लीजिए। वह अपने पति के अविभक्त परिवार की सदस्या है। परिवार से परवरिश के लिए उसे जो रकम मिलेगी उस पर टैक्स नहीं लगेगी। उसी तरह निर्वाह

के लिए दिए जाने वाले रुपये बाकी पड़ जायँगे तो जब वे मिलेंगे तो उन पर भी टैक्स नहीं लगेगी।

अब एक पिता को लीजिए। उसका लड़का अपने नाना की सम्पत्ति का उत्तराधिकारी होता है और उसमें से उसे (पिता को) वार्षिक अलाउंस देता है। पिता को इस प्रकार जो रकम मिलेगी उस पर उसे टैक्स देनी होगी। क्योंकि जिस सम्पत्ति में से उसे अलाउंस दिया जाता है वह हिन्दू संयुक्त परिवार की सम्पत्ति नहीं है।

(२)—(ए) यदि एसेसी किसी फर्म का साझेदार होगा तो उसके हिस्से की आय की कूँत इस प्रकार की जायगी :—

फर्म से उसे जो भी तन्खाह, ब्याज, कमीशन, या अन्य पारिश्रमिक गत वर्ष में मिला होगा उसके साथ फर्म के नफे की पाती जोड़ दी जायगी और घाटा होगा तो वह पांती बाद दे दी जायगी।

यदि फर्म अन्‌रजिस्टर्ड होगा और उसने हिस्सेदारों के नफे के किसी भाग पर टैक्स दे दिया होगा तो नफे के उस भाग पर हिस्सेदारों को टैक्स नहीं देना होगा।

(बी) एसेसी यदि संयुक्त हिन्दू परिवार, कम्पनी, या फर्म के सिवा किसी अन्य शख्सों की समुदाय का सदस्य होगा तो उसे उस रकम पर टैक्स नहीं देना होगा जो कि वह उस समुदाय से पाने का हकदार होगा और जिस पर कि समुदाय द्वारा टैक्स दे दिया गया होगा।

यहाँ यह खयाल में रखना चाहिए कि यद्यपि, (२) (ए)-(२) (बी की रकमों पर टैक्स नहीं लगेगी तो भी वे एसेसी की कुल आमदनी में,टैक्स विषयक उसके दायित्व को जानने के लिए तथा टैक्स किस दर से लागू पड़ेगा यह जानने के लिए जोड़ी जायगी।

—धारा : १४

१०—जीवन बीमा के सम्बन्ध में छूट

१५—(१) (क) अपनी, अपनी स्त्री या अपने पति की जीवन बीमा के लिए जो प्रीमियम की रकम दी जायगी उस पर एसेसी को टैक्स नहीं देना होगा,

(ख) न किसी ऐसी रकम पर उसे कर देना होगा जो कि उसने अपनी, अथवा अपनी स्त्री या अपने जीवन के विपय मे आगे मिलनेवाले वार्षिक वजीफे (Deferred annuity) के कन्ट्रेक्ट के सम्बन्ध में दिया होगा और

(ग) न उस रकम पर टैक्स लगेगा जो कि चन्दे के रूप किसी ऐसे प्रोविडेण्ट फण्ड मे दी गई होगी जिसके प्रति प्रोविडेण्ट फण्ड एक्ट, सन् १९२५ का लागू हो।

(२) यदि एसेसी हिन्दू अविभक्त परिवार होगा तो (१) उस संयुक्त परिवार के पुरुप सदस्यो, तथा (२) उन पुरुप सदस्यों की स्त्रियो की जीवन बीमा कराने के सम्बन्ध मे जो रकम दी गई होगी वह टैक्स से बरी रहेगी

(३) (क) जो रकमे न० (१) और (२) के अनुसार टैक्स से बरी हैं उनकी जोड़, (ख) नौकरी की शर्तों के अनुसार सम्राट् द्वारा बंधे हुए हद तक तन्ख्वाह मे से काटी गई कोई रकम जो कि डिफर्ड एनूइटी या एसेसी के बच्चो और स्त्री के निर्वाह की दृष्टि से काटी गई होगी, तथा (ग) स्वीकृत प्रोविडेण्ट फण्ड मे नौकर ने अपने खाते मे जो बंधे हुए हद तक चन्दा दिया होगा—इन सब की जोड़ एसेसी की कुल आमदनी के छठे भाग से अधिक नहीं होगी अर्थात् सब प्रीमियम मिला कर कुल आमदनी के छठे भाग तक ही टैक्स से बरी रहेंगे।

परन्तु यदि एसेसी एक व्यक्ति होगा तो कुल प्रीमियमों के सम्बन्ध मे अधिक-से-अधिक रु० ६,०००) तक बाद मिल सकेंगे और एसेसी यदि संयुक्त परिवार होगा तो अधिक-से-अधिक रु० १२,०००) तक ही बाद मिल सकेगा।

इस सशोधन के पूर्व प्रीमियमों की सीमा कुल आमदनी की छठांश थी परन्तु ६,०००) और १२,०००) की कोई हद न थी। अब व्यक्ति और संयुक्त परिवार को अधिक से अधिक क्रमशः ६,०००) या १२,०००) तक ही प्रीमियम के बारे में बाद मिल सकेंगे चाहे कुल आमदनी के $\frac{1}{6}$ भाग से ये रुपये कितने ही कम हों। यहाँ इतना खयाल रखना चाहिए कि टैक्स देने के दायित्त्व को मालूम करने तथा टैक्स के रेट को मालूम करने के लिए, इस प्रकार बरी की हुई रकमें कुल आमदनी में जोड़ी जायगी और फिर उनपर एवरेज (गड पड़ता) दर से टैक्स वापिस (Refund) दे दिया जायगा।

—धाराः १५

११—कुल आय को कूंत करने में जो आएँ बाद दे दी जाती या अलग रक्खी जाती है

१६—(१) किसी एसेसी की कुल आमदनी मालूम करने के लिए निम्नलिखित रकमे उसमें जोड़ दी जायंगी :—

(ए)-(१) वह रकम जो कि सम्राट् द्वारा या उसकी ओर से, किसी व्यक्ति को वेतन देते समय, नौकरी की शर्तों के अनुसार इस उद्देश्य से काट ली गयी हो कि उसको बाद में वार्पिक वजीफा मिल सके या उसकी स्त्री या बच्चों के निर्वाह का प्रबन्ध हो सके।

(२) भारतीय सरकार की किसी ऐसी जमानत के व्याज की रकम जो कि इन्कम टैक्स से मुक्त है।

(३) प्रातीय सरकार द्वारा निकाली हुई किसी ऐसी जमानत के व्याज की रकम जो कि इन्कम टैक्स से मुक्त है और जिस पर प्रातीय सरकार इन्कम टैक्स देती है।

(४) अन् रजिष्टर्ड फर्म के किसी साझेदार की पाँती मे आया हुआ नफे का भाग जिस पर की फर्म ने टैक्स दे दी है।

(५) किसी एसोसियेशन के नफे का भाग जिसपर कि एसोसियेशन ने टैक्स दे दी है।

(६) इन्स्योरेंस के प्रीमियम के रूप मे दी हुई रकमे जब कि वे अपनी, अपनी स्त्री या पति या किसी हिन्दू अविभक्त परिवार के किसी पुरुष सदस्य या उस सदस्य की स्त्री की जीवन बीमा कराने या किसी बाद मे मिलने वाले वार्षिक वजीफे के कन्ट्राक्ट के प्रीमियम के रूप मे दी गयी हों।

(बी) यदि एसेसी किसी फर्म का साझेदार होगा तो उसका हिस्सा इस प्रकार मालूम किया जायगा

साझेदारों को व्याज, वेतन, कमीशन या अन्य पारिश्रमिक के बतौर खर्च मे जो रकमे लिखी गई होंगी उनको बाद देकर फर्म के नफे या नुकसान की रकम निकाल ली जायगी और साझेदारों मे, हिस्से के अनुसार, उस नफे या नुकसान का बटवारा कर प्रत्येक साझेदार की पाती मे आई हुई रकम मालूम कर ली जायगी। यदि यह रकम नफा होगी तो उसमे उसको मिली व्याज, वेतन आदि की रकमे जोड दी जायगी और यदि यह रकम नुकसान होगी तो वह व्याज वेतन आदि की रकमों मे से बाद दे दी जायगी।

इस प्रकार उसकी आमदनी निकालने पर यदि नुकसान रहा हो तो वह आगे के वर्षों मे टान कर ले जाया जायगा या अन्य कोई आय का जरिया होगा तो उससे बाद मिल सकेगा। इस सम्बन्ध मे विशेष विगत आगे मिलेगी। ऊपर जो कहा है उसे एक उदाहरण

द्वारा समझा देना जरूरी है। मान लीजिये बट्टे-खाते में १०,०००) नुकसान आता है। खर्च खाते दो साझेदारी की तनख्वाह रूप मे १,२००)+१,७००) भुगताए है तथा साझेदारों को व्याज के रूप मे २००)+३००) दिए हैं। कुल मिलाकर २,९००)+५००)=३४००) साझेदारों को दिए है। इस रकम को खर्च में नहीं धरने से फर्म के केवल ६,६००) नुकसान रहेगा। आठ आना पांती के हिसाब से प्रत्येक के ३३००) रुपया नुकसान का पाती आयगा। पहले साझेदार के निम्नलिखित नुकसान रहेगा—

फर्म का नुकसान		३,३००)
बाद—		
नौकरी का	१,२००)	
व्याज का	२००)	१,४००)
नुकसान		१,९००)

दूसरे के नुकसान इस तरह रहेगा—

फर्म का नुकसान		३,३००)
बाद—		
नौकरी का	१७००)	
व्याज का	३००)	२,०००)
नुकसान		१,३००)

(सी) कभी कभी ट्रस्ट, इकरारनामे, परस्पर वदेज (Covenant) या कोई अन्य व्यवस्था द्वारा जायदाद (Assets) का इस प्रकार वन्दोवस्त (Settlement or disposition) कर दिया जाता है कि जायदाद तो निज की रह जाती है पर उसकी आमदनी अन्य शख्स को मिलने लगती है। यह इसलिए किया जाता है कि उस अन्य शख्स के दूसरी आमदनी न होने से या कम होने से

टैक्स का दर नीचा लग सके या टैक्स न लगे। इसी तरह से जायदाद (Assets) को हस्तान्तरित (Transfer) कर दिया जाता है जिससे कि उसकी आमदनी दूसरे को मिलने लगती है।

इस प्रकार के बन्दोवस्त या ट्रान्सफर दो तरह के हो सकते हैं। चाहे तो ऐसा हो सकता है कि आमदनी या जायदाद को अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूपसे वापिस हस्तान्तर कर देने या आमदनी या जायदाद पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अधिकार करने की व्यवस्था हो या ऐसी व्यवस्था न हो। पहली हालत मे बन्दोवस्त या ट्रान्सफर को रिवोकेब्ल और दूसरी अवस्था मे इर्रिवोकेब्ल कहते हैं।

बन्दोवस्त चाहे दोनों मे से किसी प्रकार का हो यह कानून कर दिया है कि इस प्रकार बन्दोवस्त की हुई जायदाद की कोई भी आमदनी बन्दोवस्त करने वाले की आमदनी समझी जायगी। बन्दोवस्त चाहे ता० १ अप्रेल, ३९ के पहले किया हो या बाद मे उपरोक्त नियम लागू होने मे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।

उपरोक्त कानून तो केवल एक अपवाद है। यदि बन्दोवस्त छः वर्ष से उपरान्त समय या उस शख्स के जीवन पर्यन्त 'रिवोक' नहीं किया जा सकेगा जिसको कि आमदनी मिलने का बन्दोवस्त किया गया है और यदि प्रगट या अप्रगट रूप से बन्दोवस्त करने वाला उस आमदनी से कोई फायदा नहीं उठाता तो उस हालत मे वह आमदनी बन्दोवस्त करने वाले की नहीं समझी जायगी। परन्तु जैसे ही रिवोक करने का अधिकार बन्दोवस्त करने वाले के हाथ मे आ जायगा वैसे ही वह आमदनी पर टैक्स देने के लिए जिम्मेवार हो जायगा।

उसी तरह से यदि जायदाद का ऐसा हस्तान्तर किया हुआ होगा जो कि रिवोकेब्ल है तो उससे जो आमदनी होगी वह हस्तान्तर करने वाले शख्स (Transferor) की आमदनी समझी जायगी।

(२) डिविडेन्ड की आय भी, उसमें कम्पनी द्वारा दिए गये इन्कम टैक्स की रकम को जोड़ कर, कुल आमदनी में सामिल की जायगी।

(३) एक शख्स की कुल आमदनी में नीचे बताई हुई उसकी स्त्री तथा बच्चे की आमदनी जोड़ कर उस पर टैक्स लगायी जाती है:—

(ए) (क) वह शख्स जिस फर्म में भागीदार हो उस फर्म मे यदि उसकी स्त्री अथवा नाबालिग बच्चा भी भागीदार हो तो उसकी स्त्री अथवा नाबालिग बच्चे को उस फर्म से आमदनी का जो भाग मिले।

(ख) उस शख्स ने उचित बदले (Consideration) विना अपनी कोई मिलकियत अपनी स्त्री के नाम पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरह से कर दी हो तो उस मिलकियत की आमदनी।

(ग) उस शख्स ने उचित बदले विना अपनी कोई भी मिलकियत विवाहित लड़की न हो ऐसे नाबालिग के नाम पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रकार से कर दी हो तो वैसी मिलकियत की आमदनी।

(बी) उस शख्स ने अपनी स्त्री अथवा नाबालिग बालक अथवा दोनों के लाभ के लिए अपनी कोई भी मिलकियत उचित बदले विना कोई भी शख्स या शख्सों के समुदाय के नाम कर दी हो, तो वैसी मिलकियत से उस शख्स अथवा शख्सों के समुदाय को हुई आमदनी।

—धारा : १६

१२—कई खास परिस्थितियों में टैक्स की छूट

१७—(१) नन् रेजिडेन्ट - बृटिश भारत मे निवास नहीं करने वाले मनुष्यों की दो श्रेणियाँ की गई हैं :—

(क) वे जो बृटिश भारत, देशी राज्यों या वर्मा की प्रजा हैं, और

(ख) वे जो उपरोक्त श्रेणी मे नहीं आते अर्थात् विदेशी प्रजा हैं।

प्रथम कोटि वालों पर टैक्स और सुपर टैक्स उस गडपडता (एवरेज) दर से लगाया जायगा जो कि उनकी दुनिया की कुल आमदनी पर पड़ेगा। अगर दुनिया की आमदनी नुकसान होगी तो बृटिश भारत की आय पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। ऐसे एसेसी की कुल आमदनी पर टैक्स कसने का फॉरमूला इस प्रकार है:—

$$\text{कुल आमदनी पर टैक्स} = \frac{\text{दुनिया भर की आमदनी पर टैक्स} \times \text{कुल आमदनी}}{\text{दुनिया भर की आमदनी}}$$

उदाहरण स्वरूप बीकानेर रियासत के निवासी को ले लीजिए। बृटिश भारत मे उधार दिए हुए रुपयों से उसको ३,०००) व्याज की आमदनी होती है। रियासत मे उसको ७,०००) की आमदनी है। और कहीं उसके कोई आमदनी नहीं होती। उसकी दुनिया की कुल आय १०,००० हुई। बृटिश भारत मे उपार्जित कुल आमदनी रुपया ३,००० पर टैक्स निम्नलिखित होगी:—

आमदनी	दर	टैक्स
१,५००)	—	—
३,५००)	—६ पाई प्र० रु० =	३१,५०० पाई
५,०००)	—१ आ० ३ पा० =	७५,००० पाई
दुनिया की कुल आमदनी १०,०००)	कुल टैक्स	१०६,५०० पाई
१)		$\frac{१०६,५००}{१०,०००}$ पाई
कुल आमदनी ३,०००)		$\frac{१०६,५००\times३,०००}{१०,०००}$ पाई
		= १६६।=)।।

दूसरी कोटि वाले नन् रेजिडेण्ट की कुल आमदनी पर ऊँचे-से-ऊँचे (maximum) दर से इन्कम टैक्स ली जायगी तथा सुपर टैक्स उस गडपड़ता (Average) दर से ली जायगी जो कि दुनिया की कुल आय पर पड़ेगा। यह ठीक ऊपर दिए हुए उदाहरण की तरह कसी जायगी।

(२) जब कि एसेसी की कुल आमदनी में ऐसी कोई आमदनी सम्मिलित होगी जो कि इन्कम टैक्स से बरी है तो उस हालत में निम्नलिखित फॉरमूले से इन्कम टैक्स देनी होगी।

खर्चों को बाद देकर बची आमदनी पर इन्कम टैक्स = (सुपरटैक्स को छोड़ कर इन्कम टैक्स जो कि कुल आमदनी पर देना होता यदि उसमें बरी आमदनी सामिल न होती X बरी आमदनी को बाद देकर कुल आमदनी) / (कुल आमदनी जिसमें बरी आमदनी भी सामिल है।)

उदाहरण स्वरूप किसी की कुल आमदनी १०,०००) रुपया है जिसमें १,०००) इन्स्योरेन्स-प्रीमियम के हैं जिस पर कोई टैक्स नहीं लगती। केवल ९,०००) पर ही टैक्स लग सकती है। टैक्स इस प्रकार फलाई जायगी :—

१०,०००) पर टैक्स	१०६,५०० पाई
१) "	१०६,५०० / १०,००० पाई
९,०००) पर "	१०६५००×९,००० / १०,००० पाई
	= ९५,८५० पाई
	= ४९९≡)॥

—धारा : १७

अध्याय-४

कर अदाई के तरीके और कर-निरूपण

१—कर अदाई के तरीके

१८—(१) कर अदा करने का साधारण तरीका है उसे एसेसी से अदा करना परन्तु टैक्स अदा करने के लिये इन्कम टैक्स कानून मे एक और तरीके का भी विधान है। इसके अनुसार जिसके मार्फत आमदनी होती है उसी को उस आमदनी मे से टैक्स काट लेनी पडती है। एसेसी के हाथ मे आमदनी टैक्स कट कर ही आती है। परन्तु यह सामान्य नियम नहीं है। कोई-कोई अवस्थाओं मे ही इसका विधान है। यह विधान टैक्स अदा करने की सुगमता, कम खर्च, तथा अनुचित रूप से टैक्स बचा लेने की चालाकी को रोकने की दृष्टि से किया है। निम्न अवस्थाओं मे टैक्स उद्गम स्थान मे ही काट लिया जाता है :—

(२) बृटिश भारत मे वेतन देते समय। वेतन देने वाले को वेतन देते समय वेतन में से इन्कम टैक्स और सुपर टैक्स काट लेना पडता है।

वेतन मे वे सब आमदनियाँ सामिल समझनी चाहिएँ जिन पर वेतन शीर्षक के अन्तर टैक्स लागू पडता है।

टैक्स और सुपर टैक्स उस एवरेज—गडपड़ता दर से काटनी होगी जो दर कि अनुमानिक वेतन पर लागू पड़ेगा।

उदाहरण स्वरूप मान लीजिए किसी की मासिक वेतन १८८)

रुपया है। उसकी वार्षिक आय २,२५६) रुपये हुई। एवरेज दर इस प्रकार निकाला जायगा :—

	आमदनी	दर	टैक्स		
			रु०	आ०	पाई
पहले	१५००)	कुछ नहीं			
वाद के	७५६)	६ पाई प्र० रु०	३५	७	०
कुल आय	२२५६)	कुल टैक्स	३५	७	०

$$\text{एवरेज दर होगा} \frac{३५\text{-}७\text{-}०}{२२५६} = ३.०२ \text{ पाई}$$

प्रति रुपये पीछे इसी दर से टैक्स काट लेना होगा।

वर्ष भर में रु० ३५-७-० इन्कम टैक्स के होते हैं। प्रति महीने $\frac{३५\text{-}७\text{-}०}{१२}$ = रु० २।।।≡)॥ काट लेना होगा।

इसी तरह से मान लीजिए किसी की आमदनी २८,५६०) रुपये है। इस पर सुपर टैक्स निम्न एवरेज दर से काटा जायगा।

आमदनी	दर	टैक्स
२५,०००)	कुछ नहीं	कुछ नहीं
३,५६०)	-) रु०	२२२।।)
कुल आय २८,५६०)	कुल सुपर टैक्स	२२२।।)

$$\text{एवरेज दर} = \frac{२२२।।)}{२८,५६०} = १.४९५ \text{ पाई।}$$

यदि पहले भूल से टैक्स काटनी बाकी रह गई होगी या नीचे दर से काटी गई होगी तो कर काटते समय अधिक रकम काटी जा सकेगी। यदि पहले अधिक रकम काट ली गई होगी तो कम रकम काटी जा सकेगी

(२-ए) चाहे पूर्व में कुछ भी लिखा हो टैक्स और सुपर टैक्स काटने के लिए वेतन मे वह रकम भी सामिल कर लेनी होगी

जो रकम क्राऊन द्वारा या उसकी ओर से एसेसी को भारत के बाहर देनी पड़े।

इस तरह की आमदनी की रुपयों मे कीमत निर्धारित विनियम दर (exchange rate) से की जायगी।

(२-बी) बृटिश भारत मे नहीं बसने वाले शख्स को वेतन देते समय। यदि वेतन किसी ऐसे मनुष्य को दी जाय जो कि बृटिश भारत का वासी नहीं है तो उस हालत मे टैक्स ऊचे-से-ऊचे दर से और सुपर टैक्स उस एवरेज—गड़पड़ता दर से काटनी होगी जो कि उसकी आनुमानिक वेतन पर लागू पड़ेगा।

(३) जमानतों के व्याज को देते समय। जिस आमदनी पर जमानतो के व्याज के शीर्षक के अन्तर टैक्स लागू पड़ती है उसे देते समय ऊचे-से-ऊचे दर से टैक्स काट लेनी पड़ती है। परन्तु सुपर टैक्स नहीं काटनी पड़ती।

यदि केन्द्रीय सरकार की किसी जमानत के विषय मे कोई भिन्न आदेश होगा तो उसी का पालन किया जायगा अर्थात् टैक्स नहीं काटी जायगी।

यदि इन्कम टैक्स ऑफिसर लिखित रूप में प्रमाण-पत्र दे कि जहाँ तक उसकी धारणा है वहाँ तक किसी आमदनी प्राप्त करने वाले (Receipient) की कुल आमदनी या दुनिया की कुल आमदनी इन्कम टैक्स लग सके उतनी नहीं है या उतनी नहीं जितनी पर की ऊचे-से-ऊचे दर से टैक्स लिया जा सके तो उस हालत मे टैक्स नहीं काटी जायगी या कम दर से टैक्स काटी जायगी।

ऐसा प्रमाण-पत्र दरख्वास्त देकर प्राप्त किया जा सकता है। उचित समझने पर इन्कम टैक्स ऑफिसर ऐसा प्रमाण-पत्र देगा। यह प्रमाण-पत्र उस समय तक जारी रहेगा जब तक कि वह रद्द नहीं कर दिया जायगा।

उपधारा २-बी के अनुसार वेतन की आमदनी देने वाले पर भी यह बात लागू पड़ती है।

(३-ए) बृटिश भारत में नहीं बसने वाले को ब्याज या अन्य रकम देते समय। जमानतों के ब्याज को छोड़ कर अन्य ब्याज या ऐसी कोई रकम जिस पर कि इस एक्ट के अनुसार टैक्स लगती है, बृटिश भारत मे नहीं बसने वाले शख्स को देते समय ऊंचे-से-ऊंचे दर से इन्कम टैक्स काट लेनी होगी। परन्तु यदि ब्याज देने वाला खुद ही एजेन्ट के बतौर टैक्स के लिए दायक है तो उसे टैक्स नहीं काटनी होगी।

(३-बी) यदि इन्कम टैक्स ऑफिसर को यह विश्वास करने का कारण हो कि किसी वर्ष में किसी शख्स की, जो बृटिश भारत के बाहर रहता है, दुनिया की कुल आमदनी सुपरटैक्स लग सके उतनी है तो उस हालत मे वह उपधारा (३-ए) के अनुसार ब्याज या अन्य रकम देनेवाले को लिखित हुक्म देकर उस दर से सुपर टैक्स काटने का आदेश कर सकता है, जो दर इन्कम टैक्स ऑफिसर दुनिया की कुल आमदनी को दृष्टि मे रख कर निश्चित करे।

(३-सी) उप धारा ३-ए के अनुसार ब्याज या अन्य रकम देनेवाला वर्ष में कुल मिला कर ऐसी रकम दे जिस पर कि सुपर टैक्स लगती हो तो उस हालत में उसे नियमित दर से सुपर टैक्स काट लेना होगा।

यदि इस प्रकार ब्याज या अन्य रकम देनेवाले को यह विश्वास करने का कारण हो कि आमदनी पानेवाला बृटिश भारत का वासी है, तो उस हालत मे वह सुपर टैक्स नहीं काटेगा।

उपरोक्त दर से सुपर टैक्स उसी हालत में काटेगा जब कि अन्य किसी दर से सुपर टैक्स काटने का आदेश उपधारा (३)-बी के अनुसार

उसे नहीं मिला होगा। यदि आदेश मिला होगा तो उसी के अनुसार सुपर टैक्स काटना होगा।

(३-डी) बृटिश भारत के बाहर रहनेवाले को डिविडेण्ड देते समय। उपधारा (३-बी) की परिस्थिति मे इन्कम टैक्स आफिसर किसी कम्पनी के प्रधान ऑफिसर को यह आदेश कर सकता है कि वह डिविडेण्ड देते समय उस पर अमुक रेट से सुपर टैक्स काट ले।

(३-ई) यदि डिविडेण्ड देनेवाली कम्पनी वर्ष मे कुल मिला कर ऐसी रकम दे जिसके साथ जदि उसके द्वारा काटा गया इन्कम टैक्स मिलाया जाय तो सुपर टैक्स लग सके उतनी रकम हो तो उस हालत में कम्पनी को नियमित दर से सुपर टैक्स काट लेना होगा।

उपरोक्त रूप से सुपर टैक्स उसी अवस्था मे काटा जायगा जब कि प्रधान ऑफिसर को विश्वास करने का कारण होगा कि वह शख्स जिसको डिविडेण्ड दिया जा रहा है बृटिश भारत का वासी नहीं है।

उस हालत मे जब कि अमुक दर से सुपर टैक्स काटने का लिखित आदेश इन्कम टैक्स ऑफिसर से मिल गया होगा तो सुपर टैक्स उपरोक्त दर से न काट कर आदेश दिए हुए दर से काटा जायगा।

(४) इस पैरा के अनुसार जो सब रकमे काटी जायगी वे किसी एसेसी की आमदनी की कूँत करते समय उसके द्वारा प्राप्त आमदनी समझी जायगी।

(५) इस पैरा के अनुसार जो रकम काटी जायगी वह जिस शख्स की आमदनी मे से काटी जायगी उसकी ओर से या जमानतों के मालिक या शेयर होल्डर की ओर से दी हुई इन्कम टैक्स या सुपर टैक्स की रकम समझी जायगी और इस एक्ट के अनुसार आगे के वर्ष के लिए कर की कूँत करते समय उसको जमा समझा जायगा।

उस रकम के सम्बन्ध में भी उपरोक्त बात लागू होगी जिस रकम से कि धारा १६ की उपधारा (२) के अनुसार डिविडेन्ड बढ़ाया गया हो।

यदि ऐसे शख्स ने या मालिक ने इस प्रकार काटी हुई टैक्स के किसी अंश को वापिस प्राप्त कर लिया हो तो जो रिफण्ड की रकम होगी उसको बाद नहीं दिया जायगा।

यदि ऐसा शख्स या मालिक ऐसा शख्स होगा जिस की आमदनी धारा १६ की उपधारा (१) सी या उपधारा (३), धारा ४४ डी या धारा ४४ इ के विधानानुसार किसी अन्य शख्स की आमदनी में जोड़ी जाती हो तो यह अन्य शख्स ही वह शख्स या मालिक समझा जायगा जिसकी ओर से टैक्स दी हुई समझी जायगी और बाद के वर्ष मे कर लगाते समय यह टैक्स उसकी जमा समझी जायगी।

(६) इस पैरा के अनुसार जो रकमे काटी जायंगी वे निर्धारित समय के अन्दर काटने वाले को केन्द्रिय सरकार के खाते में जमा करा देनी होगी।

या केन्द्रिय बोर्ड ऑफ रेभीन्यू के आदेशानुसार दे देनी होगी।

(७) इस पैरा के अनुसार यदि कोई शख्स टैक्स नहीं काटेगा या काट कर जमा नहीं देगा तो टैक्स उस में बाकी समझी जायगी। यही बात उस कम्पनी के सम्बन्ध मे समझी जायगी जिसका प्रधान ऑफिसर टैक्स नहीं काटेगा या काट कर जमा नही देगा।

इसके सिवा अन्य परिणाम से भी वह बरी नहीं हो सकेगा।

इन्कम टैक्स ऑफिसर धारा ४६ की उपधारा (१) के अनुसार किसी दण्ड को ऐसे शख्स से अदा करने का आदेश उस समय तक

नही देगा जब तक कि उसको इसका विश्वास न हो जाय कि टैक्स न काटने और जमा न देने मे इच्छा कर गल्ती की गई हो।

(८) इस पैरा के अनुसार काट कर टैक्स अदा के अधिकार से टैक्स अदा में किसी अन्य तरीके को काम मे लाने में कोई बाधा नहीं आयगी।

(६) उपधार, (३-ए), (३-बी) (३-सी), (३-डी) या (३-इ) के अनुसार टैक्स या सुपर टैक्स काटने वाला शख्स, उस शख्स को, जिसे टैक्स काट कर रकम दी गई है, एक प्रमाण-पत्र इस आशय का देगा कि इन्कम टैक्स या सुपर टैक्स काट ली गई है। उस मे इसका भी विवरण रहेगा कि कितने रुपये काटे गये है, किस दर से टैक्स काटी गई है तथा और भी निर्धारित विवरण दिया जायगा।

—धारा : १८

२—इन्कम टैक्स की अदाई का अन्य तरीका

१९—इन्कम टैक्स एक्ट में कर अदा करने के दो तरीकों की व्यवस्था है : (१) कई अवस्थाओं मे आमदनी देने वालों को ही टैक्स काट कर उमे जमा दे देनी पडती है। उदाहरण स्वरूप वेतन देते समय मालिक को टैक्स काट लेनी पडती है। किन-किन अवस्था मे टैक्स इस प्रकार कटवा कर अदा की जाती है वह एक्ट की धारा १८ में दी हुई हैं तथा उसका खुलासा ऊपर पैरा १८ में कर दिया गया है।

(२) जिन अवस्थाओं में उपरोक्त रूप से टैक्स काट लेने का कानून नहीं है तथा उपरोक्त रूप से टैक्स नहीं काटा गया है उन अवस्थाओं में टैक्स सीधे एसेसी से अदा की जाती है।

—धारा: १९

३—डिविडेण्ड के सम्बन्ध में सूचना देना

१९-(ए)—प्रत्येक कम्पनी के प्रमुख ऑफिसर को ता० १५ जून तक इन्कम टैक्स ऑफिसर को यह सूचना दे देनी पडती है कि कम्पनी के द्वारा पूर्व वर्ष मे किस-किस शेयर होल्डर को निर्दिष्ट रकम से अधिक डिविडेण्ट दिया गया है। साथ मे इन शेयर होल्डर के पूरे पते भी देने पड़ते हैं और यह बता देना पड़ता है कि कुल मिला कर किसको कितनी रकम दी गयी है।

यह सूचना इन्कम टैक्स कानून द्वारा निश्चित फोर्म पर लिख कर देनी पड़ती है और नियमानुसार हस्ताक्षर कर उसे तस्दीक (Verify) कर देना पड़ता है।

—धारा : १९-ए

४—शेयर-होल्डर को टैक्स काट लेने की सार्टिफिकेट

२०—डिविडेण्ड देते समय प्रत्येक कम्पनी के प्रधान ऑफिसर को सार्टिफिकेट या प्रमाण-पत्र दे देना होगा कि जो नफा बाटा जा रहा है उसकी टैक्स कम्पनी द्वारा चुका दी गई है या चुका दी जायगी। यह प्रमाण-पत्र इन्कम टैक्स कानून द्वारा निश्चित रूप में होगा तथा उसमे उन सब बातों का ब्योरा दे देना होगा जो कि देने का नियम होगा।

—धारा : २०

५—ब्याज सम्बन्धी सूचना

(२०-ए) ब्याज देनेवाले प्रत्येक शख्स को ता० १५ जून तक इन्कम टैक्स ऑफिसर को उन सब लोगों के नाम दे देने पड़ेंगे जिनको कि उसने पूर्व के वर्ष में अर्थात् गत आर्थिक वर्ष मे ४००)

से अधिक व्याज दिया होगा। साथ मे ऐसे लोगों के पूरे पत्ते भी लिख देने पड़ेंगे और यह बता देना पड़ेगा कि कुल मिला कर किसको कितनी रकम दी गई है।

यह सूचना इन्कम टैक्स कानून द्वारा निश्चित फोर्म. पर लिख कर देनी पड़ेगी और नियमानुसार हस्ताक्षर कर उसे तस्दीक (Verify) कर देना होगा।

परन्तु यह खयाल रखना चाहिए कि यदि दिया गया व्याज जमानतो विषयक व्याज हो तो उपरोक्त सूचना नहीं देनी होगी।

—धारा : २०-ए

६—*वार्षिक रिटर्न*

२१—प्रत्येक वर्ष मार्च महीने की तारीख ३१ से ३० दिन के अन्दर, प्रत्येक सरकारी दफ्तर के निर्दिष्ट पुरुष को तथा स्थानीय अधिकारी, कम्पनी या अन्य सार्वजनिक सभा या समुदाय के प्रधान ऑफिसर या निर्दिष्ट पुरुष को तथा किसी भी वेतन दाता (employer) को एक रिटर्न भर कर अमुक इन्कम टैक्स ऑफिसर को भेजना होगा, जिसमें निम्नलिखित बातें दिखानी होगी :—

(ए) उन शख्सों के नाम और जहाँ तक मालूम हो पत्ते जिनको उक्त मार्च महीने की तारीख ३१ तक 'वेतनों' के शीर्षक के अन्तर टैक्स लगे उतनी वेतन दी गई होगी, या देनी हो गई होगी या जिनको उक्त तारीख पर उतनी वेतन मिलती होगी,

(बी) जो रुपये हर वेतन भोगी को उपरोक्त तारीख तक दिए गये या उसके बाकी थे, तथा रुपये कब-कब दिए गये या बाकी हुए

(सी) इन्कम टैक्स और सुपर टैक्स के सम्बन्ध में जो रकम प्रत्येक वेतन-भोगी से काटी गई हो।

यह रिटर्न इन्कम टैक्स कानून द्वारा निश्चित किए हुए फोर्म पर देनी होगी तथा उस पर हस्ताक्षर कर तस्दीक (Verify) कर देना होगा।

—धारा : २१

७—*आमदनी की रिटर्न*

२२—(१) हर वर्ष तारीख १ मई के दिन या उसके पहिले इन्कम टैक्स ऑफिसर अखबारों में प्रकाशित कर और नियमित रूप से प्रकाशित एक नोटिस द्वारा सब आदमियों (persons) को जिनकी 'कुल आय' टैक्स लग सके उतनी होगी, अपनी आय की तालिका (return) भर कर पेश करने का आदेश करेगा।

नोटिस में रिटर्न भरने की जो मियाद रहेगी उसके अन्दर ही उसे भर कर पेश कर देना होगा। यह मियाद साठ दिन से कम की नहीं रहेगी।

इन्कम टैक्स ऑफिसर अपनी इच्छा से रिटर्न पेश करने की तारीख को आगे बढ़ा सकेगा। यह तारीख किसी अमुक शख्स के लिए या अमुक शख्सों की श्रेणी के लिए बढ़ाई जा सकेगी।

रिटर्न मे 'गत वर्ष' सम्बन्धी कुल आय और दुनिया की आमदनी दिखानी होगी तथा अन्य वे सब विवरण भी लिख देने होंगे जो कि नोटिस द्वारा मागे जायंगे। रिटर्न इन्कम टैक्स कानून द्वारा निश्चित रूप मे होगा। रिटर्न फोर्म इन्कम टैक्स ऑफिसरों से मिल सकेंगे।

रिटर्न को नियमित रूप से तस्दीक कर देना होगा।

(२) उस हालत में जब कि इन्कम टैक्स ऑफिसर सोचे कि अमुक शख्स की कुल आय टैक्स लग सके उतनी है तो वह उसको नोटिस दे सकता है कि वह अमुक मियाद के अन्दर उपरोक्त

ढग से रिटर्न पेश करे। इस प्रकार दी हुई मियाद कम-से-कम ३० दिन की रहेगी।

इन्कम टैक्स ऑफिसर अपने विचार से रिटर्न पेश करने की तारीख बढा भी सकता है।

(३) किसी शख्स ने उपधारा (१) या (२) की मियाद के अन्दर रिटर्न पेश नहीं किया होगा या रिटर्न पेश कर चुकने पर उसको कोई बात छूट जाने का या गल्त लिखे जाने का अन्देशा होगा तो वह शख्स एक रिटर्न या दुहराया हुआ रिटर्न टैक्स लगाए जाने के पहिले किसी भी समय दाखिल कर सकेगा।

(४) उपधारा (१) के अनुसार नोटिस देने पर जिसने रिटर्न पेश कर दिया हो या जिसको उपधारा (२) के अनुसार नोटिस दे दिया गया हो उसको नोटिस देकर इन्कम टैक्स ऑफिसर आदेश कर सकता है कि वह नोटिस मे दी हुई तारीख पर सब हिसाब-किताब (Accounts) तथा दस्तावेज पेश करे। नोटिस मे लिखा रहेगा कि किस-किस वर्ष के और क्या-क्या वही खाते पेश किए जाँय।

यह ध्यान मे रखना चाहिए कि इन्कम टैक्स ऑफिसर गत वर्ष (Previous year) के पूर्व के तीन वर्षों के हिसाब से सम्बन्ध रखनेवाले खाते-पत्र ही मंगा सकता है।

(५) जो शख्स कारबार, पेशे या रोजगार को करता होगा उसको आय की रिटर्न के साथ—कारबार के प्रमुख स्थान और शाखाओं के नाम और ठिकानों का पूरा विवरण देना होगा।

साझेदारी होने पर प्रत्येक साझेदार का नाम, ठिकाना, हरेक ब्रांच के साझेदारों के नाम-ठिकाने, अपनी पाती और साझेदारों की पाती का ब्यौरा देना होगा।

—धारा • २२

८—आमदनी की कूंत और टैक्स

२३—(१) इन्कम टैक्स ऑफिसर को इस बात का संतोष हो जाने पर कि पैरा २२ के आदेशानुसार पेश किया हुआ रिटर्न शुद्ध और संपूर्ण है वह एसेसी की कुल आय पर टैक्स लगायगा और रिटर्न के आधार पर इसका निर्णय करेगा कि एसेसी को कितने रुपये टैक्स के देने होंगे।

(२) जिस शख्स ने रिटर्न पेश की है उसके हाजिर हुए बिना अथवा सबूत पेश किए बिना इन्कम टैक्स ऑफिसर को इस बात का संतोष नहीं हो कि रिटर्न संपूर्ण और शुद्ध है तो उस हालत मे वह एक नोटिस जारी कर एसेसी को नोटिस में सूचित तारीख पर उपस्थित होने या सब गवाही प्रमाण जिस पर कि वह अपने रिटर्न के समर्थन के लिए निर्भर करता है पेश करने या कराने की आज्ञा करेगा।

(३) उपधारा (२) के अनुसार जो नोटिस दिया गया होगा उसमें लिखी तारीख पर या उसके बाद यथा शीघ्र इन्कम टैक्स ऑफिसर एसेसी द्वारा पेश की हुई साखी-सबूत तथा वह सब गवाही प्रमाण जो कि वह किसी खास बात पर चाहेगा, ले लेने के बाद लिखित हुक्म द्वारा एसेसी की कुल आय की कूत करेगा और कूत की हुई आय के आधार पर जो टैक्स एसेसी को देनी होगी उसका निश्चय करेगा।

(४) यदि कोई शख्स पैरा २२ की उपधार (२) के आदेशा-नुसार रिटर्न भरने में चूक करता है और उसी पैरा की उपधारा (३) के मुताबिक एक रिटर्न या दुहराया हुआ रिटर्न नहीं भरता या उसी पैरा की उपधारा (४) के अनुसार जारी किए नोटिस की सब बातों (terms) के अनुसार कार्रवाही नहीं करता या रिटर्न दाखिल कर देने के बाद इस पैरा की उपधारा (२) के अनुसार जारी किए

नोटिस की सब बातों को पूरा नहीं करता तो उस हालत में इन्कम टैक्स ऑफिसर अपनी समझ से जहाँ तक ठीक अनुमान हो सकेगा उसकी कुल आय की कूत करेगा और इस प्रकार कूत की हुई आय पर ही एसेसी को कितनी टैक्स देनी होगी इसका निश्चय करेगा।

और यदि एसेसी एक फर्म होगा तो इन्कम टैक्स ऑफिसर इसे रजिस्ट्री करना नामञ्जूर कर सकता है और यदि उस फर्म की रजिस्ट्री हो चुकी होगी तो रजिष्ट्रेशन खारिज कर सकेगा।

परन्तु फर्म का रजिष्ट्रेशन उस समय तक खारिज नहीं किया जायगा जब तक कि इन्कम टैक्स ऑफिसर को, फर्म के रजिष्ट्रेशन खारिज करने के इरादे का नोटिस भेजे हुए १४ दिन से अधिक नहीं हो चुके होंगे।

(५)-ए रजिस्टरी किए हुए फर्म पर कोई टैक्स नहीं लगाई जायगी। केवल उसकी आमदनी और मुनाफा मालूम किया जायगा। प्रत्येक हिस्सेदार के गत वर्ष के अन्य नफे के साथ पिछले वर्ष में उसके पाती आया हुआ फर्म का नफा जोड कर उसकी कुल आमदनी कूती जायगी और इस प्रकार कूंती हुई कुल आमदनी पर सीधा हिस्सेदार पर टैक्स लगा दिया जायगा। यदि रजिष्टर्ड फर्म के हिस्से से किसी साझेदार के भाग में नुकसान आयगा तो प्रत्येक हिस्सेदार की पाती का नुकसान उसकी अन्य आमदनी मे से बाद मिल सकेगा। यदि दूसरी आमदनी कम होने से पूरा नुकसान किसी वर्ष बाद नहीं दिया जा सकेगा तो अवशेष नुकसान आगे के ६ वर्षों तक टान कर ले जाया जा सकेगा।

पहला वर्ष १, अप्रेल, १९३९ से गिना जायगा। इसका विशेष विवरण आगे पैरा २४ मे दिया है। परन्तु इस तरह जो नुकसान टान कर आगे ले जाया जा सकेगा वह उसी कारबार, पेशे या रोजगार के नफे में से बाद दिया जा सकेगा जिससे कि नुकसान हुआ है।

यदि रजिष्टरी किए हुए फर्म का कोई हिस्सेदार बृटिश भारत मे नहीं रहने वाला (non-resident) होगा तो फर्म की आमदनी, मुनाफे और प्राप्ति मे उसका जो हिस्सा होगा उसके सम्बन्ध मे फर्म पर उसी दर से टैक्स लगाई जायगी जो दर की पाती वाल को निज में देना होगा। जो टैक्स इस प्रकार लगाई जायगी वह फर्म को देनी होगी।

(बी)—साधारण तौर पर बिना रजिस्ट्री किए हुए फम की आय पर टैक्स फर्म पर लगाया जायगा। ऐसे फर्म मे यदि नुकसान होगा तो उस फर्म की ही अन्य आय मे से वह बाद पड सकेगा, परन्तु फर्म के किसी हिस्सेदार की आमदनो, मुनाफे और प्राप्ति मे से बाद नही दिया जा सकेगा। किसी-किसी परिस्थिति मे ऑफिसर को अधिकार होगा कि वह बिना रजिस्ट्री किए हुए फर्म को रजिस्ट्री किया फर्म समझ रजिस्ट्री किए फर्म के ढग से टैक्स लगावे, ऐसी परिस्थिति में उस बिना रजिस्ट्री किए हुए फर्म के साझी-दारों को भी वे ही हक प्राप्त होंगे जो कि एक रजिस्ट्री किए हुए फर्म के हिस्सेदारों को प्राप्त है।

उस परिस्थिति मे जब कि इन्कम टैक्स ऑफिसर सोचे कि किसी बिना रजिस्ट्री किए हुए फर्म को रजिस्ट्री किए हुए फर्म की तरह मान कर साझेदारों पर टैक्स लगाने से टैक्स और सुपर टैक्स की रकम बिना रजिस्ट्री किए हुएं फर्म की और व्यक्तिगत रूप से साझेदारों की सम्मिलित टैक्स की रकम से अधिक आयगा वनिस्पत उसके कि फर्म पर विना रजिस्ट्री किए हुए फर्म की वतौर टैक्स लगाया जाय, तो उस हालत मे वह बिना रजिस्ट्री किए हुए फर्म को स्वेच्छा से रजिस्ट्री किया हुआ फर्म मान कर टैक्स लगा सकेगा।

—धारा : २३

६—घाटे का वाद पाना

२४—(१) यह ऊपर वतलाया जा चुका है कि (१) वेतन, (२) अमानतों पर ब्याज, (३) स्थावर मिलकियत—जायदाद की आय (४) कारवार, पेशे, रोजगार के मुनाफे और नफे तथा (५) अन्य जरिए इन सब साधनों से जो मुनाफा होता है उस पर टैक्स लगाया जाता है।

यदि किसी वर्ष में किसी एसेसी को साधनों के उपरोक्त शीर्षकों मे से किसी शीर्षक के नीचे नुकसान होगा तो उसको हक होगा कि नुकसान की रकम उसी वर्ष की अन्य शीर्षक की आमदनी, मुनाफे या लाभ से वाद पावे।

यदि एसेसी एक विना रजिस्ट्री किया हुआ फर्म होगा तो ऐसा नुकसान फर्म की आमदनी, मुनाफे या लाभ से ही मुजरा मिलेगा, उस फर्म के किसी साझेदार की आमदनी, मुनाफे और लाभ से नहीं। यदि एसेसी रजिस्ट्री किया हुआ फर्म होगा और नुकसान उस फर्म की अन्य आमदनी, मुनाफे और लाभ से मुजरा नहीं हो सकेगा तो फर्म के साझीदारों में भाग कर लिया जायगा और वे ही इस धारा के अनुसार मुजरा पाने के हकदार होंगे।

कभी-कभी विना रजिस्ट्री किए हुए फर्म को रजिस्ट्री किए हुए फर्म की तरह मान कर फर्म पर टैक्स न कर साझेदारों पर टैक्स लगाने का अधिकार इन्कम टैक्स ऑफिसर को है। ऐसा करने पर नुकसान का मुजरा विना रजिस्ट्री किए हुए फर्म के साझेदारों को अपनी आमदनी, मुनाफे और लाभ से भी मिल सकेगा।

(२) यदि किसी वर्ष मे (शुरू का वर्ष वह माना गया है जिसके नफे की टैक्स सन्, १९४० की ३१ मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष मे ली जायगी) किसी एसेसी को कारवार, पेशे और रोजगार के मुनाफे और लाभ के शीर्षक से नुकसान होगा और वह दूसरे

शीर्षक के नीचे होने वाली आमदनी, मुनाफे और लाभ से पूरा वाद नही दिया जा सकेगा तो ऐसा वाद नहीं दिया जा सका हुआ नुकसान आगे ६ वर्षों तक टान कर ले जाया जा सकेगा और उसी कारवार, पेशे और रोजगार में हुए मुनाफे और लाभ से बाद दिया जायगा। परन्तु छः वर्ष तक नुकसान आगे ले जाने का नियम कई वर्षों के बाद पूरा लागू होगा। आर्थिक वर्ष १६३८-३६, से आर्थिक वर्ष १६४२-४३ तक के वर्षों का नुकसान क्रमशः एक, दो, तीन, चार और पाँच वर्ष तक ही मुजरा मिलेगा।

एसेसी यदि रजिस्ट्री किया हुआ फर्म होगा तो उसको हिस्सेदारों में भाग किया हुआ नुकसान इस प्रकार आगे टान कर ले जाने और मुजरा पाने का हक न होगा, न बिना रजिस्ट्री किए हुए फर्म के हिस्सेदार को अधिकार होगा कि वह फर्म के नुकसान को टान कर ले जाय और निजी आमदनी से मुजरा पावे। यदि बिना रजिस्ट्री किए हुए फर्म की टैक्स रजिस्ट्री किए हुए फर्म की तरह ली गई होगी तब इस बिना रजिस्ट्री हुए फर्म के साझेदारों को भी अपनी आमदनी से अपने हिस्से मे आया नुकसान मुजरा पाने का हक होगा।

अगर किसी कारवार में नुकसान हो जाय और वह जारी न रहे तो यह नुकसान बाद के वर्ष में मुजरा नहीं मिलेगा।

किसी फर्म के संगठन (Constitution) में परिवर्तन हो जाने पर तथा एक शख्स के दूसरे शख्स के स्थान पर आ जाने पर (यदि यह आना उत्तराधिकारी के रूप में न हो) उस शख्स को छोड़ जिसके नुकसान हुआ है और किसी शख्स को नुकसान बाद पाने का हक नहीं होगा।

(३) मुजरा पाने लायक नुकसान मालूम पड़ने पर इन्कम टैक्स ऑफिसर लिखित हुकम द्वारा एसेसी को सूचित करेगा कि उसने कितना नुकसान कूता है।

एक उदाहरण देकर इस विषय को स्पष्ट किया जाता है। एक कम्पनी अपने कारबार से निम्न रूप से लाभ और नुकसान करती है। वर्ष २ उस वर्ष को समझना चाहिए जिसमे उपरोक्त सुधार लागू है और वर्ष १ को गत वर्ष समझना चाहिए जिस की आय पर वर्ष २ मे टैक्स लगाया जाता है।

	लाभ या नुकसान	रकम
वर्ष १,	नुकसान	२५,०००)
वर्ष २,	नफा	२०,०००)
वर्ष ३,	नुकसान	२५,०००)
वर्ष ४,	नुकसान	१५,०००)
वर्ष ५,	नफा	३०,०००)
वर्ष ६,	नुकसान	३०,०००)
वर्ष ७,	नफा	२०,०००)

वर्ष २ मे . वर्ष १ में नुकसान होने से कोई टैक्स नहीं लगेगी और नुकसान एक वर्ष के लिए टान कर ले जाया जा सकेगा (अर्थात् वर्ष ३ मे ले जाया जायगा)

वर्ष ३ मे . वर्ष २ मे २०,०००) का नफा है इसमे से २०,०००) वर्ष १ के नुकसान के मुजरा मिलेंगे। कोई टैक्स नहीं लगेगी। नुकसान के अवशेष ५,०००) आगे के वर्ष मे टान कर नहीं ले जाए जायंगे।

वर्ष ४ में : वर्ष ३ मे रु० २५,०००) का नुकसान है, यह अधिक से-अधिक तीन वर्षों तक आगे टान कर ले जाया जा सकेगा (अर्थात् वर्ष ५, ६ और ७ तक)

वर्ष ५ मे : वर्ष ४ मे रु० १५,०००) नुकसान है जो कि चार वर्ष तक अर्थात् वर्ष ६, ७, ८, और ९ तक आगे टान कर ले जाया जा सकेगा।

वर्ष ६ में : वर्ष ५ में रु० ३०,०००) का नफा है, उसमे से २५,००० वर्ष ३ का नुकसान बाद दे दिया जायगा और वर्ष ४ के नुकसान

से ५,००० बाद दे दिया जायगा। टैक्स नहीं लगेगी और वर्ष ४ के नुकसान में बाकी १०,०००) वर्ष ७, ८ और ९ तक बाद मिल सकेंगे।

वर्ष ७ में : वर्ष ६ में ३०,०००) का नुकसान है यह अधिक-से-अधिक ६ वर्ष अर्थात् वर्ष १३ तक बाद मिलेगा।

वर्ष ८ में : वर्ष ७ में २०,०००) का मुनाफा है जिसमें से वर्ष ४ के नुकसान का बाकी रुपया १०,०००) बाद दे दिया जायगा और १०,०००) वर्ष ६ के नुकसान का बाद दे दिया जायगा और कोई टैक्स नहीं लगेगी और वर्ष ६ के नुकसान के बाकी रुपये २०,००० आगे ५ वर्ष तक टन कर ले जाये जायंगे।

—धारा : २४

२४-बी —(१) किसी शख्स की मृत्यु हो जाने पर उसके प्रतिनिधि (एक्जीक्यूटर, एड्मिनिस्ट्रेटर, आदि) को मृतक की सम्पत्ति (Estate) से मृतक पर लगाई गई, टैक्स चुकानी पड़ेगी।

(२) यदि मृत्यु, धारा २२ की उपधारा (१) के अनुसार नोटिस प्रकाशित होने या धारा २२ को उपधारा (२) के अनुसार या धारा ३४ के अनुसार नोटिस तामिल होने के पहले ही हो जायगी तो मृतक के प्रतिनिधि को, धारा २२ (२) या धारा ३५ के नोटिस तामिल करने पर, उनका पालन करना होगा और इन्कम टैक्स ऑफिसर मृतक की कुल आमदनी पर ठीक उसी तरह से टैक्स लगायगा मानो प्रतिनिधि ही एसेसी है।

(३) यदि मृत्यु, धारा २२ के अनुसार नोटिस तामिल होने के बाद हो और एसेसी ने नोटिस के अनुसार रिटर्न पेश नहीं किया हो या रिटर्न पेश किया हो परन्तु इन्कम टैक्स ऑफिसर के पास इसे गल्त और अधूरा समझने का कारण हो तो इन्कम टैक्स ऑफिसर मृतक की

कुल आय की कूत कर टैक्स लगायगा और मृतक के प्रतिनिधियों को ऐसे नोटिस देकर, जो कि मृतक यदि जीवित होता तो उस पर तामिल करने होते, उनको धारा २२ और २३ के विधानानुसार हिसाब-किताब, दस्तावेज या अन्य साखी-सबूत पेश करने की आज्ञा करेगा।

ऐसे करदाताओं के सम्बन्ध में, जो कि जीवित नहीं है और जिन पर टैक्स लगाना छूट गया है, एक वर्ष की मियाद लागू नहीं है। कानून मे ऐसा संशोधन कर दिया है कि मृतक के प्रतिनिधि मृतक की जायदाद से उस नफे, आमदनी और लाभ पर टैक्स देने के दायक हैं जो नफा की रिटर्न भर कर दिखाया जाना चाहिए था और जो ४ या ८ वर्ष तक नहीं दिखाया गया। इस तरह मृतक की सम्पत्ति उन सब दण्ड के लिए दायक होगी जो कि धोखेबाजी या गल्ती के कारण लगाए जायगे और जिन के लिए कि मृतक जीवित होने पर दायक होता। पहले ऐसा समझा जाता था कि छूटी हुई आमदनी पर टैक्स जीवित शख्स से ही लिया जा सकता है, मृतक की सारी जिम्मेवारी मृत्यु होने के साथ ही समाप्त हो जाती है परन्तु अब यह बात नहीं है। मृतक की गल्ती या धोखेबाजी के लिए उसकी सम्पत्ति बाद में भी दायक रहेगी।

—धारा : २४ बी

१०—बंद किए हुए कारबार पर टैक्स निरूपण

२५-(१) कारबार, पेशे या रोजगार दो तरह के हो सकते हैं (१) वे जिन से इन्कम टैक्स एक्ट सन् १९१८ के अनुसार कभी टैक्स न लिया गया हो और (२) वे जिन से इस एक्ट के अनुसार कभी टैक्स लिया गया हो।

यदि पहली कोटि का कोई कारवार आदि किसी वर्ष वंद कर दिया जाय तो उस वर्ष जो टैक्स 'गत वर्ष' की आमदनी के आधार पर लिया गया होगा उसके उपरांत 'गत वर्ष' के शेष और कारवार आदि वंद करने की तारीख के बीच में जो आमदनी हुई होगी उसपर टैक्स और लिया जा सकेगा।

(२) कारवार आदि वंद करने की सूचना कारवार वंद करने के १५ दिन के अन्दर इन्कम टैक्स ऑफिसर को दे देनी होगी। ऐसी सूचना देने मे गल्ती करने पर इन्कम टैक्स ऑफिसर आदेश कर सकता है कि दण्ड अदा किया जाय। दण्ड की रकम उतनी हो सकती है जितनी कि गत वर्ष के वाद से कारवार आदि वंद करने की तारीख तक हुई आमदनी पर वाद मे टैक्स की रकम हो।

(३) यदि वंद किया हुआ कारवार आदि दूसरी कोटि का होगा तो गत वर्ष की समाप्ति और कारवार आदि के वंद करने की तारीख के बीच की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं लिया जायगा। एसेसी इस वात का भी दावा (Claim) कर सकता है कि इस अवधि की आमदनी ही गत वर्ष की आमदनी समझी जाय। इस प्रकार का दावा किया जायगा तो उक्त अवधि की आमदनी के आधार पर टैक्स लिया आयगा और यदि गत वर्ष के सम्बन्ध मे ली हुई टैक्स इस प्रकार लगाई हुई टैक्स से अधिक होगी तो दोनों टैक्स की रकमों मे जो फर्क होगा वह वापिस कर दिया जायगा।

(४) यदि कारवार दूसरी कोटि का होगा और कोई शख्स इण्डियन इन्कम टैक्स (संशोधन) एक्ट, १९३९ के लागू होने के समय उसे चला रहा होगा और कोई दूसरा शख्स प्रथम शख्स का उत्तराधिकारी हो और यह जो परिवर्तन हो वह केवल फर्म के संगठन मे (Constitution) परिवर्तन मात्र न हो तो उस हालत मे 'गत वर्ष' की समाप्ति और उत्तराधिकार की तारीख के बीच की

अवधि-की आमदनी होगी उसके लिए प्रथम शख्स को कोई टैक्स नहीं देनी होगी और वह इस बात का भी दावा कर सकेगा कि इस अवधि की आमदनी ही 'गत वर्ष' की आय समझी जाय। यदि ऐसा कोई दावा किया जायगा तो टैक्स उक्त अवधि की आमदनी के आधार पर लिया जायगा और यदि 'गत वर्ष' की आमदनी के सम्बन्ध मे टैक्स की जो रकम ली गई होगी वह इस रकम से अधिक होगी तो दोनों मे फर्क होगा उतनी रकम वापिस कर दी जायगी।

(५) उपरोक्त दावा कारबार आदि बद करने या उत्तराधिकार होने की तारीख के एक वर्ष के भीतर किया गया होगा तो ही उसकी सुनाई की जायगी।

(६) जब कि उपधारा (१), (३) या (४) के अनुसार टैक्स लगानी होगी तो इन्कम टैक्स ऑफिसर, उस शख्स को या फर्म होने पर उसके किसी साझेदार को या कम्पनी के प्रधान ऑफिसर को उसी तरह का नोटिस देगा जैसा कि धारा २२-(२) के अनुसार दिया दिया जाता है और बाद की कारवाही जैसे होती है वैसे ही की जा सकेगी।

—धारा · २५

११—हिन्दू परिवार के विभक्त हो जाने पर कर निरूपण

२५-ए—(१) धारा २३ के अनुसार कर निश्चित करते समय यदि हिन्दू परिवार के किसी सदस्य द्वारा या उसकी ओर से इस बात का दावा किया जायगा कि परिवार के सदस्यों मे बँटवारा हो गया है तो इस सम्बन्ध मे इन्कम टैक्स ऑफिसर उचित जाँच पडताल करेगा। और यदि उसे इस बात का सन्तोष हो जायगा कि सयुक्त परिवार की मिलकियत सदस्यों मे या सदस्यों के दलों मे निश्चित अशों मे विभक्त कर ली गई है तो वह इस आशय का हुक्म लिखेगा।

ऐसा करने के पहले जाँच पड़ताल सम्बन्धी नोटिस परिवार के सब सदस्यों पर अवश्य जारी कर देना होगा।

(२) उपरोक्त हुक्म दे देने पर इन्कम टैक्स ऑफिसर संयुक्त परिवार द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त कुल आमदनी की कूँत उसी प्रकार करेगा मानो कोई बँटवारा नहीं हुआ हो और प्रत्येक सदस्य या सदस्यों का दल इस आमदनी पर लगाई हुई इन्कम टैक्स के उतने हिस्से के लिए दायक होगा जो कि उसके हिस्से मे आई हुई सम्पत्ति के भाग के अनुपात होगा।

धारा १४ (१) मे विधान है कि एक एसेसी को ऐसी रकम के सम्बन्ध में टैक्स नहीं देनी पड़ेगी जो कि उसे हिन्दू अविभक्त परिवार के सदस्य होने के नाते मिलेगी। पर यह विधान यहाँ लागू नही होगा।

उपरोक्त टैक्स की जिम्मेवारी उस टैक्स के उपरान्त है जो कि परिवार के सदस्य को या सदस्यों के दल को अलग देनी पड़ती हो।

ऊपर मे जो कुछ लिखा है वह उस हालत में भी लागू होगा जब कि कोई शख्स, ऐसे कारबार, पेशे या रोजगार का उत्तराधिकारी होगा जो कि पहले एक ऐसे हिन्दू संयुक्त परिवार द्वारा चलाया जाता था, जिसकी संयुक्त सम्पत्ति उस दिन या उसके बाद बांटी गई हो जिस दिन तक की संयुक्त परिवार ने कारबार चलाया। और इन्कम टैक्स ऑफिसर धारा २३ के विधान अनुसार सदस्यों और सदस्यों के दलों पर इस प्रकार कर लगायगा।

सयुक्त परिवार द्वारा या उसके लिए प्राप्त कुल आमदनी पर कूत की गयी टैक्स के लिए सब सदस्य और या सदस्यों के दल जिनकी संयुक्त परिवार की सम्पत्ति बांटी गयी है, संयुक्त रूप से और पृथक-पृथक रूप से दायक रहेगे।

(३) यदि इन्कम टैक्स ऑफिसर द्वारा उपरोक्त हुक्म नहीं किया गया होगा तो इस कानून के प्रयोजन के लिए वह परिवार संयुक्त परिवार माना जायगा।

—धारा २५-ए

१२—फर्म के संगठन में परिवर्तन

२६—(१) धारा २३ के अनुसार कर निश्चित करते समय यह मालूम दे कि किसी फर्म के संगठन मे परिवर्तन हुआ है या एक फर्म नए तौर पर संगठित हुआ है तो कर लगाते समय फर्म पर जिस रूप मे वह सगठित होगा, कर लगाया जायगा।

साझेदारों की कुल आमदनी मे सामिल करने के लिए गत वर्ष की आमदनी उन साझेदारों मे भाग की जायगी जो उस गत वर्ष मे उसको पाने के हकदार थे।

यदि किसी साझेदार पर लगाई हुई कर उससे अदाई नहीं की जा सकेगी तो वह फर्म से, जिस रूप मे कि वह कर लगाते समय संगठित रहेगा, अदाई की जायगी।

(२) जब कि कारबार आदि मे लगे हुए शख्स का कोई दूसरा शख्स उत्तराधिकारी हुआ होगा, तो ऐसे शख्स और ऐसे दूसरे शख्स पर, गत वर्ष की आमदनी आदि में उसका जो वास्तविक हिस्सा होगा, उसके आधार पर टैक्स लगाया जायगा। परन्तु कर लगाते समय धारा २५ (४) का पूरा खयाल रक्खा जायगा।

उस हालत मे जब कि उस शख्स का पता नहीं लगेगा जिसका उत्तराधिकार हुआ है तो उस वर्ष के उस दिन तक के नफे पर कर, जिस वर्ष मे जिस दिन उत्तराधिकार हुआ है तथा गत वर्ष के नफे की कर उस शख्स पर लगाई जायगी जो कि उत्तराधिकारी हुआ होगा।

यदि उस शख्स से टैक्स अदाई नहीं की जा सकेगी जिसका उत्तराधिकार हुआ होगा तो वह टैक्स उत्तराधिकारी को देनी होगी और उससे अदा की जा सकेगी। और इस प्रकार जो टैक्स दी गई होगी उसे उस व्यक्ति से अदा करने का हकदार होगा जिसका कि वह उत्तराधिकारी हुआ है।

—धारा : २६

२६—ए साझेदारी उन शख्सों के बीच का सम्बन्ध है जिन्होंने परस्पर में, उन सबके द्वारा या उनमें से किसी के द्वारा सबके लिए चलाए जानेवाले कारबार के नफे को बांटने का ठहराव कर लिया हो।

जिन शख्सों में इस प्रकार का ठहराव होता है उन्हे व्यक्तिगत तौर पर हिस्सेदार कहते है और समुचित रूप से फर्म कहते हैं

'साझेदार' शब्द में वह शख्स भी सामिल है जो कि नाबालिग होने से साझेदारी के फायदों में भागीदार किया गया है।

इन्कम टैक्स एक्ट के अनुसार फर्म दो तरह के समझे जाते है—(१) रजिष्टर्ड और (२) अन् रजिष्टर्ड।

फर्म के साझेदारों मे अगर ऐसी लिखा-पढ़ी हो जिसमें कि साझेदारों के अलग-अलग हिस्से लिखे हुए हों तो उनकी ओर से इन्कम टैक्स ऑफिसर को इस कानून तथा इन्कम टैक्स और सुपर टैक्स सम्बन्धी अन्य कानूनों के प्रयोजनों के लिए फर्म को रजिष्ट्री करने की दरखास्त दी जा सकती है। इन्कम टैक्स ऑफिसर इस दरखास्त पर जैसा उचित समझेगा वह विचार करेगा। अप्लीकेशन मंजूर कर लेने पर फर्म रजिष्टर्ड माना जाता है। यहाँ यह स्मरण में रखने की बात है कि इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट के मातहत जो फर्म रजिष्ट्री कराई जाती है उसका उपरोक्त रजिष्ट्री के साथ कोई सम्बन्ध

नहीं है। इन्कम टैक्स कानून के अनुसार वही फर्म रजिष्ट्री हुआ समझा जाता है जो कि इन्कम टैक्स एक्ट की इस धारा के अनुसार रजिष्ट्री कराया गया हो।

जो फर्म इस तरह रजिस्ट्री कराया हुआ नहीं होता उसे बिना रजिस्टी कराया हुआ फर्म कहते हैं।

रजिस्ट्री कराने का तरीका इस प्रकार है :—

(१) रजिस्ट्री कराने के लिए इन्कम टैक्स ऑफिसर के सम्मुख एक दरखास्त करनी पडती है।

(२) दरखास्त उस रूप मे करनी पडती है जो कि इन्कम टैक्स रूल ३ में दिया हुआ है।

(३) दरखास्त के साथ साझेदारी की लिखापढ़ी और उसकी एक नकल नत्थी करनी पडती है।

अगर इन्कम टैक्स ऑफिसर को यह इतमीनान हो जायगा कि किसी यथोचित कारण से मूल लेखापढ़ी सुगमता से पेश नहीं की जा सकती तो लेखापढ़ी की एक (Certified) नकल और एक सादी नकल दरखास्त के साथ देनी पड़ेगी।

(४) ऐसी दरखास्त पाने पर अगर इन्कम टैक्स ऑफिसर को विश्वास हो जायगा कि वास्तव में फर्म है और उसका सगठन लेखा-पढ़ी के अनुसार है, और दरखास्त ठीक तरह से की गई है तो लेखापढी या सर्टीफाइड नकल पर वह यह लिख देगा कि फर्म उसके द्वारा रजिस्ट्री कर लिया गया है तथा उसमें यह भी लिख देगा कि यह अमुक वर्ष के लिए रजिस्ट्री किया गया है।

यदि इन्कम टैक्स ऑफिसर को विश्वास नहीं होगा तो वह दर-खास्त को लिखित हुक्म द्वारा नामंजूर कर देगा और हुक्म की एक नक़ल दरखास्त करने वालों को दे देगा।

फर्म रजिस्ट्री कर लेने के बाद—मूल लेखापढ़ी या सर्टीफाइड कापी वापिस लौटा दी जायगी।

उस वर्ष के लिए कर लगाने के सम्बन्ध में ही यह सार्टीफिकेट काम की होगी जिस वर्ष का उल्लेख उसमें होगा।

बाद के वर्ष में यह सार्टीफिकेट फिर से (renew) कराई जा सकेगी।

फर्म रजिस्ट्री कर लेने पर अगर इन्कम टैक्स ऑफिसर को मालूम हो कि वास्तव में फर्म नहीं है तो वह रजिस्ट्रेशन रद्द कर सकता है।

—धारा : २६ ए

२७—धारा २२ (२) के अनुसार आमदनी का फोर्म (return) भर कर पेश नहीं करने पर अथवा निश्चित दिन वही खाते या साखी सबूत लेकर हाजिर नहीं होने पर इन्कम टैक्स ऑफिसर एसेसी के प्रति इकतरफी कार्रवाही कर उसे उचित मालूम दे वह टैक्स लगा सकता है। एसेसी यदि फर्म हो तो रजिष्ट्रेशन रद्द कर सकता है या उसे रजिस्ट्री करना ना मंजूर कर सकता है। यह ऊपर दिखाया जा चुका है। ऐसी इकतरफी कार्रवाही उस अवस्था में रद्द कराई जा सकती है जब कि एसेसी कर जमा देने के नोटिस अर्थात् 'डिमान्ड नोटिस' के जारी होने के एक महीने के अन्दर इन्कम टैक्स ऑफिसर को यह विश्वास उत्पन्न करा दे कि—

(१) वह किसी समुचित (Sufficient) कारण से धारा २२ के अनुसार मांगी गई रिटर्न भरने से रोका गया।

(२) धारा २२ (४) या २३ (२) के अनुसार उसे कोई नोटिस नहीं मिला या इन नोटिसों को पालन करने के लिए उसे पूरा मौका नहीं मिला या किसी उचित कारण से वह इन नोटिसों पर अमल करने से रोका गया।

उपरोक्त हालतों मे पहले के हुक्म को रद्द कर इन्कम टैक्स ऑफिसर धारा २३ के अनुसार फिर से टैक्स लगायगा।

पुराने कानून मे भी इकतरफी कार्रवाही रद्द कराने का उपरोक्त तरीका था परन्तु अब ऐसे इकतरफे हुक्म के विरुद्ध सामान्य तौर पर अपील भी की जा सकती है।

—धारा · २७

१३—आमदनी छिपाने या नफे का बँटवारा अनुचित ढग से करने से दण्ड

२८—(१) इन्कम टैक्स ऑफिसर, एपेलेट एसिस्टेन्ट कमिश्नर अथवा कमिश्नर को इस एक्ट के अनुसार कोई कार्रवाही करते समय विश्वास हो कि किसी शख्स ने ·

(ए) वाजवी (reasonable) कारण विना धारा २२ अथवा धारा ३४ के नोटिस की आज्ञा अनुसार रिटर्न फोर्म भर कर नहीं भेजा, अथवा समय पर नहीं भेजा, अथवा जिस प्रकार भरना चाहिए उस प्रकार भर कर नहीं भेजा, तो उस हालत मे इन्कम टैक्स और सुपर टैक्स लगाया हो उसके उपरान्त इन्कम टैक्स और सुपर टैक्स की रकम से १½ रकम तक दण्ड लगाया जा सकेगा।

(वी) वाजवी कारण विना धारा २२ (४) अथवा धारा २३ (२) के अनुसार भेजे हुए नोटिस का पालन नहीं किया अथवा

(सी) अपनी आमदनी का विवरण छिपाया है, अथवा जानबूझ कर आमदनी के सम्बन्ध मे गलत विवरण दिया है तो उस हालत मे टैक्स की जो रकम होगी उसके उपरान्त रिटर्न मे दिखाए हुए नफे को ठीक मानने से इन्कम टैक्स और सुपर टैक्स की जितनी रकम कम मिलती उसके १॥ गुण तक दण्ड लगाया जा सकेगा।

परन्तु यदि

(अ) एक शख्स की कुल आय रु० ३,५००) से कम होगी तो रिटर्न भर कर नहीं देने के लिए उस पर कोई दण्ड नहीं लगाया जायगा। परन्तु यदि उस पर, रिटर्न फोर्म भर कर भेजने के लिए, धारा २२ (२) के अनुसार, नोटिस जारी कर दिया होगा तो दण्ड लगाया जा सकेगा।

(आ) कोई शख्स धारा २२ (२) अथवा ३४ के अनुसार नोटिस मिलने पर रिटर्न फोर्म भर कर नहीं भेजे, और वह यह साबित कर दे कि उसकी आमदनी कर लगाई जा सके जितनी नहीं है तो उस हालत में उस पर २५) से अधिक दण्ड नहीं किया जा सकेगा।

(इ) बृटिश भारत में नहीं बसनेवाले (non-resident) शख्स के लिए जो एजेण्ट रूप से टैक्स देने का दायक होगा उस पर धारा २२ के अनुसार रिटर्न न भरने पर दण्ड नहीं लगाया जायगा सिवाय उस हालत में जब कि उस पर धारा २२ (२) या ३४ के अनुसार नोटिस जारी कर दिया गया हो।

(२) रजिष्टर्ड फर्म की आय साझेदारी की लिखापढ़ी मे दिखाए हुए साझेदारों के हिस्से के अनुसार नहीं बांट कर अन्य तरह से बाटी गई होगी तो उस हालत मे दण्ड की सजा करने के उपरान्त साझेदारों को रिफण्ड भी नहीं दिया जायगा।

(३) दण्ड की सजा करने के पहिले एसेसी की आपत्ति को सुन लेना होगा

(४) जिस गुन्हा के लिए एक शख्स को दण्ड की सजा कर दी गई होगी उसी गुन्हा के लिए उस पर अन्य कानूनी कार्रवाही नहीं की जा सकेगी।

(५) अपेलेट एसिस्टेण्ट कमिश्नर या कमिश्नर जिसने की दण्ड का हुकूम किया होगा, इन्कम टैकूस ऑफिसर के पास अपने हुकूम की नकल भेजेगा।

(६) इन्कम टैकूस ऑफिसर इन्सपेकटिंग एसिस्टेण्ट कमिश्नर की स्वीकृति लिए बिना दण्ड की सजा नहीं कर सकेगा।

—धारा : २८

१४—डिमाण्ड नोटिस

२९—टैकूस लगाने या दण्ड करने के बाद इन्कम टैकूस ऑफिसर एसेसी को या उस शख्स को जो टैकूस और दण्ड की रकम देने के लिए दायी होता है एक नोटिस देता है और उसके द्वारा अमुक तारीख तक टैक्स और दण्ड की रकम जमा देने का तकाजा करता है। इस नोटिस को नोटिस ऑफ डिमाण्ड कहते हैं। नोटिस में जुदे-जुदे साधन से प्राप्त कुल आमदनी, टैकूस की रकम, टैकूस का दर आदि का ब्यौरा रहता है। साथ मे एक चालान रहता है। टैकूस के रुपये जमा देते समय इस चालान को साथ मे लगा देना पडता है। टैकूस या दण्ड की रकम नोटिस मे दी हुई तारीख के अन्दर भर देनी पडती है, अन्यथा एसेसी पर कर या दण्ड की रकम जितना तक दण्ड और किया जा सकता है।

१५—अपील

३०—(१) निम्नलिखित अवस्थाओं मे एपलेट एसिस्टेन्ट कमिश्नर के सम्मुख अपील की जा सकेगी :—

(क) धारा २३ या २७ के अनुसार आकी गई आमदनी या लगाई गई टैकूस की रकम के सम्बन्ध मे कोई आपत्ति होने पर,

(ख) धारा २४ के अनुसार निश्चित की गई नुकसान की रकम के सम्बन्ध मे यदि कोई आपत्ति होगी;

(ग) इस एक्ट के नीचे टैक्स के लिए दायक न होने का उज्र होने पर,

(घ) इन्कम टैक्स ऑफिसर के, धारा २७ के अनुसार इकतरफी कार्रवाही को, रद्द करना स्वीकार न करने पर;

(ङ) धारा २६ ए के अनुसार किसी फर्म की रजिष्ट्री करना नामंजूर करने पर,

(च) हिन्दू अविभक्त परिवार के अलग होने पर धारा २५ (ए) के अनुसार हुए कर निर्धारण तथा धारा २५ (२) या धारा २८ के अनुसार हुये दण्ड के हुकूम के प्रति आपत्ति होने पर,

(छ) उत्तराधिकार होने पर धारा २६ (२) के अनुसार हुए कर-निर्धारण के सम्बन्ध में आपत्ति होने पर;

(ज) धारा ४४ इ की उपधारा (६), या धारा ४४-एफ की उपधारा (५), या धारा ४६ की उपधारा (१) के अनुसार लगाए हुए दण्ड के सम्बन्ध मे आपत्ति होने पर;

(झ) इन्कम टैक्स ऑफिसर रिफण्ड देना नामंजूर करे अथवा रिफण्ड की रकम के सम्बन्ध में एसेसी का कोई उज्र हो।

(ञ) या यदि किसी कम्पनी को धारा २३ ए की उपधारा (१) के अनुसार किए गये हुक्म के प्रति उज्र हो,

परन्तु धारा ४६ की उपधारा (१) के अनुसार दिए हुक्म के विरुद्ध अपील जब तक टैक्स नहीं दे दिया होगा तब तक नहीं हो सकेगी।

जब कि किसी फर्म के साझेदारों पर फर्म की कुल आमदनी के उनके हिस्से के सम्बन्ध मे व्यक्तिगत रूप से टैक्स लगता हो तो उस हालत मे कोई भी हिस्सेदार इन्कम टैक्स ऑफिसर द्वारा फर्म की

आमदनी या नुकसान को ठहराते हुए जो हुक्म दिया हो उसके विरुद्ध अपील कर सकता है। तथा फर्म के नफे नुकसान के बँटवारे के हुक्म के विरुद्ध भी अपील कर सकता है। परन्तु ऐसे हुक्म द्वारा जो बातें निश्चित की गई होंगी उनके सम्बन्ध मे अपनी कुल आमदनी पर कर निरूपण हुआ होगा उसके प्रति कोई अपील नहीं कर सकेगा।

परन्तु इन्कम टैक्स ऑफिसर ने धारा २३-ए के अनुसार जिस कम्पनी के सम्बन्ध मे अपना हुक्म दिया होगा उसका कोई शेयर-होल्डर इस हुक्म द्वारा निश्चित बातों के सम्बन्ध मे अपनी कुल आमदनी पर कर निरूपण हुआ होगा उस के प्रति कोई अपील नहीं कर सकेगा।

(२) अपील की अर्जी साधारणतः नोटिस ऑफ डिमान्ड के प्राप्त होने, या रजिस्ट्री करने आदि की नामजूरी के हुकूम के मिलने या उसकी सूचना मिलने के ३० दिन के अन्दर करनी होगी। अर्जी मुद्दत के अन्दर नहीं करने से स्वीकार नहीं की जाती। परन्तु यदि एपेलेट एसिस्टेंट कमिश्नर के यह बात जँच जाय कि वाजिब कारणवश ही अपील मुद्दत के अन्दर पेश नहीं की गई है तो वह अर्जी को बाद मे भी स्वीकार कर सकता है।

(३) अपील की अर्जी इन्कम टैक्स एक्ट द्वारा निर्धारित रूप मे करनी पड़ती है। उसे तस्दीक (verify) करना पड़ता है और उस पर कानून अनुसार कोर्ट-फी स्टाम्प लगा देनी पड़ती है।

—धारा : ३०

१६—अपील की सुनाई

३१—(१) अपील की अर्जी मिलने के बाद एपेलेट एसिस्टेन्ट कमिश्नर की ओर से अपील की सुनाई के लिए स्थान और दिन मुकर्रर किया जाता है। मुकर्रर तारीख को समय समय पर मुलतवी भी किया जा सकता है।

(२) अपील का फैसला देने के पहले एपेलेट एसिस्टेंट कमिश्नर जो उचित समझे वह विशेष जाच पड़ताल कर सकता है या इन्कम टैक्स ऑफिसर द्वारा करा सकता है।

(२-ए) अपील की अर्जी में सब उज्र स्पष्ट रूप से जनाने चाहिएँ। परन्तु इन्कम टैक्स ऑफिसर के सामने जो उज्र नहीं लिए गये होंगे अथवा जो उज्र अपील की अर्जी मे दाखिल नहीं किए गये होंगे उन उज्रों पर ध्यान देना या नहीं देना एपेलेट कमिश्नर की मर्जी पर है। अगर कमिश्नर को खातिर हो जाय कि अपील की अर्जी में उज्र लिखना इच्छा कर नहीं छोडा गया था उसे छोड़ना गैरवाजिब नहीं था तो उस हालत में वह अर्जी में नहीं लिखे हुए उज्र को भी उपस्थित करने की रजा दे सकता है।

(३) एपेलेट एसिस्टेण्ट कमिश्नर अपील करने वाले की सब दलीलों को सुन कर वाजिब निर्णय करेगा। वह पहले लगाई हुई टैक्स कायम रख सकता है, रद्द कर सकता है, टैक्स की रकम घटा सकता है अथवा बढा सकता है।

इसी प्रकार से इन्कम टैक्स ऑफिसर के हुक्म को रद्द कर सकता है, उसे कायम रख सकता है, उसमें परिवर्तन कर सकता है तथा इन्कम टैक्स ऑफिसर को फिर से कर लगाने का आदेश कर सकता है।

परन्तु अपील करने वाले को कर या दण्ड की रकम बढाने के विरुद्ध कारण दिखाने का मौका दिए बिना एपेलेट एसिस्टेन्ट कमिश्नर कर की या दण्ड की रकम में वृद्धि नहीं कर सकेगा।

यदि अपील इन्कम टैक्स ऑफिसर के हुक्म के विरुद्ध होगी तो इन्कम टैक्स ऑफिसर को अधिकार होगा कि उसकी खुद की या उसके किसी प्रतिनिधि की सुनाई हो।

—धारा : ३१

१७—एसिस्टेंट कमिश्नर के हुक्मों के विरुद्ध अपील

३२—(१) एपेलेट एसिस्टेंट कमीश्नर का फैसला अन्तिम माना जाता है। उसके विरुद्ध कमिश्नर के सम्मुख अपील नहीं हो सकती, केवल धारा २८ के अनुसार यदि एपेलेट एसिस्टेंट कमिश्नर ने दण्ड की सजा की हो, अथवा अपील सुनते समय कर की रकम या दण्ड की रकम बढाई हो तो इन अवस्थाओं में इन बातो के विरुद्ध कमिश्नर के सम्मुख अपील हो सकती है। ऐसे हुक्म की सूचना मिलने की तारीख से ३० दिन के अन्दर अपील की जा सकती है।

(२) अपील निर्धारित फोर्म पर करनी पडती है तथा निर्धारित ढग से उसे तस्दीक करना होता है।

(३) अपील की सुनाई करते समय अपील करने वाले को अपनी बातें सुनाने का सुअवसर दिया जायगा और फिर कमिश्नर जो हुक्म उचित समझेगा वह देगा।

—धारा : ३२[*]

१८—रिविजन

३३—(१) कमिश्नर अपनी इच्छा से अपने अधीन किसी अधिकारी द्वारा या अपने ही द्वारा एसिस्टेट कमिश्नर के अधिकारों को भोगते समय की हुई कार्रवाही का रेकर्ड मंगा कर उसको दुहरा सकता है।

(२) रेकर्ड मिलने पर कमिश्नर जो उचित समझे वह जाँच खुद कर सकता है या दूसरों से करवा सकता है और एक्ट के विधान के अनुसार जो उचित समझे वह हुक्म दे सकता है।

---

[*] एपेलेट ट्रीब्यूनल के कायम होने पर यह धारा हट जायगी।

परन्तु कोई भी हुक्म जो कि एसेसी के खिलाफ जाता होगा वह एसेसी को अपनी बातें कहने का पूरा मौका दिए विना या उसको सुने विना नहीं दिया जायगा।

—धारा : ३३१.

१९—हाईकोर्ट के सम्मुख रेफरेन्स

३३-ए—(१) यदि इन्कम टैक्स लगाते समय या उस सम्बन्ध में कोई कार्रवाही करते समय कोई कानूनी प्रश्न खड़ा हो तो कमिश्नर

१. एपेलेट ट्रीब्यूनल के कायम हो जाने पर इस धारा में निम्नलिखित विधान रहेगा—

(१) कोई भी एसेसी जिसे एपेलेट एसिस्टेंट कमिश्नर के हुक्म के प्रति आपत्ति होगी वह हुक्म की सूचना मिलने के ६० दिन के अन्दर एपेलेट ट्रीब्यूनल के समक्ष अपील कर सकेगा।

(२) इसी तरह से धारा ३१ के अनुसार दिए हुए एपेलेट एसिस्टेंट कमिश्नर के हुक्म के प्रति कमिश्नर की कोई आपत्ति होगी तो वह इन्कम-टैक्स ऑफिसर को इस ट्रीब्यूनल के समक्ष अपील करने की आज्ञा दे सकता है। ऐसी अपील हुक्म की तारीख से ६० दिन के अन्दर हो सकेगी।

(३) इस प्रकार जो अपील की जायगी वह निर्दिष्ट फॉर्म पर करनी होगी तथा नियमित रूप से अपील की अर्जी को तस्दीक करना होगा। अपील की अर्जी के साथ १००) जमा देने होंगे। यदि अपील इन्कमटैक्स ऑफिसर द्वारा की गई होगी तो इस प्रकार रुपये जमा नहीं देने होंगे।

(४) एपेलेट ट्रीब्यूनल दोनों पक्षों को अपनी बातें रखने का मौका देगा और फिर उचित समझेगा वह फैसला देगा। इस प्रकार दिया हुआ हुक्म कमिश्नर और एसेसी को जताया जावेगा।

(५) केवल धारा ६६ के विधान के सिवा ट्रीब्यूनल द्वारा दिया हुआ फैसला अन्तिम होगा।

खुद अपनी इच्छा से या अपने अधीन इन्कम टैक्स अधिकारी के रेफरेन्स करने पर उस मामले का एक बयान तय्यार कर अपनी राय के साथ उसे हाईकोर्ट को भेज सकता है।

(२) एपेलेट एसिस्टेंट कमिश्नर अथवा कमिश्नर के हुक्म से किसी एसेसी को गैर इन्साफ हुआ मालूम दे, तो उस हुक्म की सूचना मिलने के ६० दिन के अन्दर वह अपने केस के सम्बन्ध में हाईकोर्ट को रेफरेन्स करने के लिए कमिश्नर को अर्जी कर सकता है। अन्य हालतों मे हाईकोर्ट को रेफरेन्स नहीं हो सकता। इसी प्रकार इन्कम टैक्स कानून के नीचे हुए गुन्हा और दण्ड सम्बन्धी फौजदारी केसों के सम्बन्ध मे अर्थात् इन्कम टैक्स एक्ट के अध्याय ८ का बाबतों के सम्बन्धी भी हाईकोर्ट को रेफरेन्स नहीं किया जा सकता।

हाईकोर्ट को रेफरेन्स करने के लिए कमिश्नर को अर्जी करते समय उसके साथ एसेसी को १००) जमा देने होंगे। कानूनी प्रश्न उपस्थित होता हो उसी हालत मे एसेसी की अर्जी मिलने के बाद ६० दिन के अन्दर कमिश्नर को अपने अभिप्राय के साथ हाईकोर्ट को रेफरेन्स करना होगा।

धारा ३३ के अनुसार दिए हुए हुक्म पर से ही यदि कोई कानूनी प्रश्न खडा होता होगा तभी उसका रेफरेन्स हो सकेगा। यदि कोई हुक्म धारा ३१ के अनुसार दिया गया होगा और धारा ३३ के अनुसार हुक्म से केवल उस हुक्म का रिविजन हुआ होगा तो कानूनी प्रश्न उठने पर भी हाईकोर्ट को रेफरेन्स नहीं हो सकेगा।

हाईकोर्ट को रेफरेन्स करने के बदले कमिश्नर धारा ३३ के अनुसार अपने को मिले हुए अधिकार से एसेसी के पक्ष मे फैसला दे तो एसेसी अपनी अर्जी वापिस उठा सकता है।

धारा ३३ के अनुसार कमिश्नर अपना फैसला दे अथवा एसेसी की अर्जी मुद्दत बाहर होने या अन्य तरह से टिक सकने योग्य न होने

(incompetent होने से) से वह उसे नामंजूर कर दे अथवा कानूनी प्रश्न उपस्थित न होता हो इस कारण से हाईकोर्ट को रेफरेन्स करना अस्वीकार कर दे और ऐसा कोई हुक्म मिलने के बाद ३० दिन के अन्दर एसेसी अपनी अर्जी वापिस ले ले तो उसे जमा दिए हुए १००) वापिस मिल जायंगे।

(३), (३ ए)–कोई कानूनी सवाल उपस्थित न होने के कारण अथवा अर्जी मियाद बाहर होने के कारण यदि कमिश्नर हाईकोर्ट को रेफरेन्स करना नामंजूर करे तो नामंजूरी के हुक्म के क्रमशः ६ और २ महीने के अन्दर एसेसी हाईकोर्ट को अर्जी कर सकता है। हाईकोर्ट को कमिश्नर का हुक्म वाजवी नहीं लगने पर वह कमिश्नर को रेफरेन्स करने का या अर्जी को मियाद में समझने का हुक्म दे सकता है।

(४) यदि हाईकोर्ट देखे कि जो बयान भेजे हैं वे प्रश्न का निर्णय करने के लिए काफी नहीं हैं तो वह केस को वापिस कमिश्नर के पास अपने आदेस अनुसार कुछ जोडने या परिवर्तन करने के लिए भेज सकता है।

(५) रेफरेन्स होने के बाद, हाईकोर्ट केस को सुन कानूनी सवाल पर अपना फैसला देगा और फैसले की एक नकल कमिश्नर को भेजेगा और कमिश्नर हुक्म के अनुसार मुकदमे का निर्णय करेगा। यदि केस अपने अधीन किसी इन्कम टैक्स अधिकारी के रेफरेन्स से हुआ होगा तो कमिश्नर उसको नकल की कापी भेजेगा और ऑफिसर उसके अनुसार फैसला देगा।

(६) जब कि हाईकोर्ट को रेफरेन्स एसेसी की अर्जी पर किया जाय तब खर्च दिलाना या नहीं दिलाना कोर्ट की मर्जी पर होगा।

(७) हाइकोर्ट को रेफरेन्स किया गया हो तो भी टैक्स की रकम तो कर निरूपण के हुक्म के अनुसार मियाद के अन्दर दे

देनी होगी। रेफरेन्स मे कर की रकम कम होगी तो जितनी रकम कम होगी उतनी रकम, कमिश्नर द्वारा हुक्म दिए हुए ब्याज सहित फिरती मिल जायगी। यदि ऐसे रेफरेन्स के फैसले के प्राप्त होने के ३० दिन के अन्दर कमिश्नर सूचित करे कि वह प्रीवी काउसिल मे अपील करने की रजा मागने का विचार कर रहा है तो हाईकोर्ट हुक्म कर कमिश्नर को अपील नक्की न होने तक रिफण्ड वापिस न करने का अधिकार दे सकता है।

(७-ए) उपधारा (३) या उपधारा (३-ए) के अनुसार एसेसी रेफरेन्स की जो अर्जी हाईकोर्ट के सम्मुख करेगा उसके सम्बन्ध मे इण्डियन लिमिटेशन एक्ट, १९०८ की धारा ५ लागू होगी।

—धारा ६६*

२०—प्रीवि काउन्सिल में अपील

३३—बी-(१) धारा ६६ के अनुसार राय के लिए पेश किए गये मामले के सम्बन्ध मे दिए गये फैसले के विरुद्ध मे प्रीवि काउन्सिल मे अपील की जा सकेगी यदि हाई कोर्ट इस बात की सार्टीफिकेट दे देगा कि यह केस अपील करने योग्य है।

---

* ट्रीब्यूनल स्थापित हो जाने के बाद कमिश्नर को रिवीजन का अधिकार नहीं रहेगा। ट्रीब्यूनल के फैसले के विरुद्ध फक्त कानूनी प्रश्न के सम्बन्ध मे हाई कोर्ट मे अपील हो सकेगी।

ट्रीब्यूनल स्थापित हो जाने पर हाइकोर्ट को रेफरेन्स करने के सम्बन्ध मे अभी जो अधिकार और कर्त्तव्य कमिश्नर के हैं वे सब अधिकार और कर्त्तव्य ट्रीब्यूनल को सौंप दिए जायँगे।

अर्जी मिलने के ९० दिन के अन्दर ट्रीब्यूनल हाईकोर्ट को केस रेफर करेगा।

(२) इस प्रकार अपील करने से यदि हाईकोर्ट के निर्णय में परिवर्तन किया जायगा या यह उलट दिया जायगा तो प्रीवि काउन्सिल के हुक्म को उसी प्रकार कार्यान्वित किया जायगा जिस तरह की हाईकोर्ट के हुकूम को किया जाता है।

—धारा : ६६ ए

२१—दिवानी कोर्ट में कोई कार्रवाही नहीं होती

३३—(सी) इस एक्ट के अनुसार किए गये कर-निरूपण को हटवाने के लिए या उसमें परिवर्तन करवाने के लिए दिवानी कोर्ट में कोई मामला नहीं किया जा सकेगा। और क्राउन के किसी कर्मचारी के प्रति उन सब कार्यों के लिए जो कि उसने गुडफेथ से किये है या करने का उसका इरादा है कोई मुकदमा, मामला या अन्य कार्रवाही नहीं की जा सकेगी।

—धारा : ६७

२२—मियाद की कूंत

३३—(डी)-(ए) इस एक्ट के अनुसार अपील करने की मियाद की कूत करते समय या धारा ६६ के अनुसार अर्जी की मियाद की कूॅत करते समय जिस दिन हुक्म किया होगा वह दिन और इस हुकूम की नकल पाने मे जो समय लगेगा वह बाद दे दिया जायगा।

—धारा : ६७ ए

२३—छुटी हुई आमदनी पर कर निरूपण

३४—(१) यह संभव है कि किसी वर्ष में किसी शख्स पर टैक्स लगना छूट जाय या आमदनी आदि कम दिखाने से नीचे दर से टैक्स लिया जाय। बाद में यदि इन्कम टैक्स ऑफिसर को यह मालूम

हो कि उस शख्स के ऐसी आमदनी थी जिस पर टैक्स लग सकता था या उसकी आमदनी दिखाई गई आमदनी से अधिक थी और इसलिए अधिक टैक्स होना चाहिए तो उस हालत मे उस शख्स को नोटिस देकर (यदि शख्स कम्पनी हो तो यह नोटिस कम्पनी के प्रधान ऑफिसर को देना होगा ।) टैक्स लगाने के लिए कार्रवाही करेगा । हाल मे जो सुधार किए गये हैं उनके पहले यह नोटिस जिस वर्ष मे टैक्स लगायी जानी चाहिए थी उस वर्ष की समाप्ति से एक वर्ष के अन्दर तक दिया जा सकता था । टैक्स केवल एक ही 'गत वर्ष' (Previous year) का लिया जा सकता था ।

इस सशोधित एक्ट के अनुसार ऑफिसर के हाथ मे पक्की (definite) खबर आने से उसे पता लगे कि किसी वर्ष मे किसी शख्स की आमदनी पर टैक्स लगना छूट गया है, या टैक्स नीचे दर से लिया गया है, कम टैक्स लिया गया है या रिलीफ ज्यादा दे दिया गया है तो उस हालत मे वह उपरोक्त नोटिस भेज सकता है । अब नोटिस भेजने की मियाद एक वर्ष नहीं है, जैसा कि पहले था परन्तु अब ४ वर्ष के या ८ वर्ष के अन्दर तक नोटिस भेजा जा सकता है ।

नोटिस की मियाद ८ वर्ष उस हालत मे होगी जब कि ऑफिसर के सामने ऐसी धारणा करने का कारण होगा कि एसेसी ने आय का विवरण छिपाया है या समझ बूझ कर गल्त—असही (inaccurate) विवरण दिया है । उपरोक्त परिस्थिति को छोड कर नोटिस तामिल की मियाद ४ वर्ष होगी । उपरोक्त ४ या ८ वर्ष की मियाद, जैसा कि ऊपर लिखा गया है, उस वर्ष की समाप्ति से गिनी जायगी जिस वर्ष की टैक्स लगाना छूटा है या कमती टैक्स लिया गया है या रिलीफ अधिक दिया गया है । उदाहरण स्वरूप सम्वत् १९९५ साल की टैक्स सन् १९३९-४० मे ली जाती है, जो ३१ मार्च, ४० को समाप्त होती है । मियाद १ ता० अप्रेल ४० से गिनी जायगी ।

परन्तु यह ध्यान में रखना चाहिए कि निम्न लिखित परिस्थितियों में नोटिस की मियाद पहिले की तरह १ वर्ष ही रहेगी।

(क) यदि मुनाफा उस वर्ष सम्बन्धी होगा जिस पर ता० १, अप्रेल, ३९ के पहले समाप्त साल में टैक्स लगाना चाहिए था। उदाहरण स्वरूप सं० वर्ष १९९४ की टैक्स सन् १९३८-३९ में ली गयी है जो कि ३१ मार्च, ३९ अर्थात् ता० १ अप्रेल, ३९ के पहले समाप्त होता है। नोटिस की मियाद १ अप्रेल ३९, से एक वर्ष होगी।

(ख) जब कि वह शख्स जिस पर कि टैक्स लगाया गया है या लगाया जायगा बृटिश भारत में निवास नहीं करने वाले किसी शख्स का एजेन्ट समझा गया हो।

इस धारा के अनुसार जो टैक्स लगायी जायगी वह उसी दर से लगायी जायगी जिस दर से कि वह उस हालत में लगाई जाती जब कि कोई रकम टैक्स लगने से नहीं छुटती या पूरा कर-निर्धारण होता।

(२) ऊपर जो ४ या ८ वर्ष की मियाद बताई है उसके बाद टैक्स का कोई हुक्म नहीं हो सकेगा। अर्थात् जिस परिस्थिति में जो मियाद लागू होगी उस परिस्थिति में उसी मियाद के अन्दर टैक्स का हुक्म किया जा सकेगा उसके बाद नहीं।

—धारा : ३४

२४—भूल-सुधार

३५—(१) कमिश्नर द्वारा अपील के समय या रिविजन के समय, एसिस्टेंन्ट कमिश्नर द्वारा अपील के समय, अथवा इन्कम टैक्स ऑफिसर द्वारा कर लगाते समय दिए गये हुक्म के कागजों में कोई प्रत्यक्ष भूल मालूम पड़े तो उन हुक्मों की तारीख से चार वर्ष के अन्दर वे खुद अपनी ही इच्छा से भूल-सुधार कर सकते हैं अथवा कोई

एसेसी ऐसी भूलों के प्रति ध्यान खींचे तो उनको सुधारने के लिए वे वाध्य है। संशोधन के पहले ऐसी भूलें एक वर्ष के भीतर ही सुधारी जा सकती थीं परन्तु अव सशोधित कानून के अनुसार वह चार वर्ष तक सुधारी जा सकती हैं।

(२) भूल-सुधार के परिणाम स्वरूप कर की रकम घटने पर एसेसी से वेसी लिया हुआ टैक्स उसे वापिस मिल जाता है।

भूल-सुधार के कारण यदि टैक्स वृद्धि की गुंजाइश होगी तो भूल-सुधार करने के पहले ऐसे विचार की सूचना एसेसी को दे देनी होगी और उसे अपनी वातें रखने का उचित अवसर भी देना होगा।

भूल अगर ता० १।४।३९ के एक वर्ष से अधिक पहिले दिए हुए हुक्म मे होगी तो वह सुधारी नहीं जा सकेगी।

(२) भूल-सुधार के परिणाम स्वरूप कर में वृद्धि होने पर इन्कम टैक्स ऑफिस एक नोटिस ऑफ डिमान्ड भेज कर कर वसूल करेगा। इस नोटिसर मे टैक्स स्वरूप कितने रुपये देने होंगे ये लिखा रहेगा। यह नोटिस धारा २९ के अनुसार दिया हुआ नोटिस समझा जायगा और उसी तरह से इस एक्ट के विधान लागू होंगे।

—धारा : ३५*

---

* एपेलेट ट्रीब्यूनल कायम होने के वाद इस धारा मे निम्नलिखित सुधार कर देने होगा —

(१) उपधारा न० (२) और (३) के नम्बर (३) और (४) हो जायगे। उपधारा (२) इस प्रकार रहेगी

(२) एपेलेट ट्रीब्यूनल द्वारा भूल सुधार करने के सम्वन्ध मे उपधारा (१) मे दिए हुए विधान लागू होंगे।

२५—टैक्स फलाव में)॥ से कम टुकड़े को छांट देना

३६—कर या जो रकम वापिस (refund) दी जाय उसको फलाते समय, आने के वे टुकड़े जो कि)॥ से कम होंगे गिनती में नहीं लिए जायंगे और आने के वे टुकड़े जो कि)॥ के वरावर या उससे अधिक होंगे –) माने जायंगे।

—धारा : ३६

२६—हलफिया गवाही लेने का अधिकार

३७—निम्न लिखित वातों के सम्बन्ध में किसी मुकदमें की सुनाई करते समय इन्कम टैक्स ऑफिसर, एपेलेट एसिस्टेंट कमिश्नर, और एपेलेट ट्रीव्यूनल कायम हो जाने पर उसको इस अध्याय के प्रयोजन के लिए वे सव अधिकार रहेंगे जो कि सन् १६०८ के जाव्ता दीवानी के अनुसार कोर्ट को रहते है।

(ए) किसी व्यक्ति को जवरन हाजिर कराने और हलफिया या प्रतिज्ञावद्ध गवाही लेने के सम्वन्ध में।

(वी) जवरन दस्तावेज पेश कराने के सम्वन्ध मे।

(सी) गवाहों के वयान के लिए कमीशन निकालने के सम्वन्ध मे।

इस अध्याय के सूरत जो भी कार्रवाही की जायगी वह ताजीरात हिन्द की दफा १०३ और २२८ के अर्थ के अनुसार और धारा १६६ के प्रयोजन के लिए न्याय कर्ता अदालत की कार्रवाई मानी जायगी।

—धारा : ३७

२७—खबर प्राप्त करने का अधिकार

३८—इस एक्ट के प्रयोजन के लिए इन्कम टैक्स ऑफिसर या एसिस्टेंट कमिश्नर :

(१) किसी भी फर्म या हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब को फर्म के सदस्यों की तालिका या कुटुम्ब के मैनेजर या युवा सदस्यों की सूची और उनके ठिकाने पेश करने की आज्ञा कर सकता है।

(२) यदि उसको यह धारणा करने का कारण हो कि कोई शख्स ट्रस्टी, या गार्जियन या एजेन्ट है, तो उन सब शख्स के नाम और पतों की तालिका देने की आज्ञा कर सकता है जिस के लिए या जिसकी ओर से वह ट्रस्टी, गार्जियन, या एजेन्ट है।

(३) किसी एसेसी को उन सब शख्सों के नाम और पतों का विवरण देने का आदेश कर सकता है जिनको उसने किसी वर्ष मे भाडे, व्याज, कमीशन, रोयल्टी, दलाली, या वेतन के शीर्षक के नीचे जिस पर टैक्स नहीं हो सकती ऐसी एनुइटी, (annuity) के बावत में कुल मिलकर ४००) से अधिक रुपये दिये हों तथा इस प्रकार जो रकमे दी गयी हों उनका पूरा विवरण माग सकता है।

—धारा. ३८

२८—कम्पनी के रजिष्टर निरीक्षण का अधिकार

३९—इन्कम टैक्स ऑफिसर, या एसिस्टेण्ट कमिश्नर या कोई शख्स जिसको कि इस सम्बन्ध मे इन्कम टैक्स ऑफिसर ने या एसिस्टेंट-कमिश्नर ने लिखित रूप से अधिकार दिया हो, किसी कम्पनी के सदस्यों या डिबेंचर होल्डर या मोरगेज लेने वालों के (mortgagees) नाम जिस रजिष्टर मे लिखे जाते हों उसका या ऐसे किसी रजिष्टर में लिखी हुई बातों का निरीक्षण कर सकता है, और आवश्यकता

हो तो उनकी नकलें भी ले सकता है या किसी दूसरे शख्स के द्वारा नकले लिखा सकता है।

—धारा : ३९

अध्याय-५

खास अवस्थाओं में कर के लिए दायित्त्व

१—गार्जियन, ट्रस्टी और एजेण्ट का दायित्व

४०—कभी-कभी नाबालिग, पागल या नासमझ (Lunatic or idiot) या बृटिश भारत के बाहर रहनेवाले शख्स की ओर से गार्जियन, ट्रस्टी या एजेण्ट रहता है। नाबालिग आदि की जो मिलकियत होती है उसे बेनीफिसीयरी की मिल्कियत कहते हैं और नाबालिग आदि को बेनीफिसीयरी (beneficiary) कहा जाता है। किसी बेनीफिसीयरी की आय के सम्बन्ध में टैक्स गार्जियन आदि पर लगाया जाता है। यह टैक्स वास्तव में मिली हुई आय पर नहीं परन्तु जो आय बेनीफिसीयरी की ओर से गार्जियन आदि को पाने का हक रहा हो उसके सम्बन्ध में लगाया जाता है।

टैक्स ठीक उसी प्रकार से और उतना ही लगाया और अदाई किया जाता है जिस प्रकार से और जितना कि सीधा बेनीफिसीयरी पर लगाया और उससे अदाई किया जा सकता।

यदि बेनीफिसीयरी बृटिश भारत के बाहर रहनेवाला शख्स हो तो उस हालत में टैक्स सीधे (Direct) उस पर ही लगाया और उससे वसूल किया जा सकता है। —धारा : ४०

२—कोर्ट ऑफ वार्डस आदि का दायित्व

४१—(१) उस आमदनी के सम्बन्ध मे, जिसको कि किसी शख्स की ओर से कोट ऑफ वार्ड (Court of Waid), एडमिनिस्ट्रेटर्स जनरल (Administrators—General), ऑफिसियल ट्रस्टी, या कोर्ट द्वारा या उसके हुक्म से नियुक्त किसी रिसीवर (Receivei) या मैनेजर या ट्रस्ट डीड के अनुसार नियुक्त किसी ट्रस्टी या ट्रस्टियों को पाने का हक है, टैक्स कोर्ट ऑफ वार्ड आदि पर लगा कर उनसे अदा किया जायगा।

टैक्स ठीक उसी प्रकार से और उतना ही लगाया और अदाई किया जाता है जिस प्रकार से और जितना कि सीधा बेनीफिसीयरी पर लगाया और उससे अदा किया जा सकता है।

जब कि ऐसी आमदनी किसी एक शख्स के लिए (on behalf) प्राप्त नहीं की जाती या जिनकी तरफ से (on behalf) वह प्राप्त की जाती है उन व्यक्तियों के हिस्से अनिश्चित होते हैं या मालूम नहीं होते तो टैक्स ऊँचे-से-ऊँचे दर से लगा कर वसूल की जाती है।

यदि ट्रस्ट की आमदनी का एक अंश मात्र ही ऐसा हो कि जिस पर इस एक्ट के अनुसार टैक्स लगाया जा सके तो ट्रस्ट से जितनी आमदनी बेनीफिसीयरी को मिली होगी उसके, निम्न फोरमूले के अनुसार निकाले गये, भाग के सम्बन्ध मे ही टैक्स लगेगा।

$$\text{बेनीफिसीयरी द्वारा प्राप्त आमदनी का वह हिस्सा जिस पर टैक्स कूती जायगी} = \frac{\text{ट्रस्ट की कुल आय जिस पर टैक्स लगायी जा सकती है} \times \text{ट्रस्ट की आय का अंश जो कि बेनीफिसीयरी को मिला है}}{\text{ट्रस्ट की पूरी आमदनी}}$$

(२) उपधारा (१) में जो विधान है वह होते हुए भी जिस शख्स की तरफ से (on behalf of) आमदनी प्राप्त की गई है उस पर सीधे उस आमदनी के सम्बन्ध में टैक्स लगाया जा सकेगा और वसूल किया जा सकेगा।

—धारा : ४१

३—भारत में निवास नहीं करनेवाले (non-residents)

४२—(१) निम्नलिखित आमदनी, नफा या लाभ बृटिश भारत में उपार्जित या उत्पन्न हुआ समझा जायगा :

(क) जोकि बृटिश में कार्रवाही सम्बन्ध से या उसके द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपार्जित हुआ होगा;

(ख) जो कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बृटिश भारत मे रही किसी जायदाद (Property) से हुआ होगा;

(ग) जो कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बृटिश भारत में रहे किसी एसेट (Asset) या आमदनी के जरिये (Source) से या द्वारा हुआ होगा;

(घ) जो कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से व्याज पर दिए हुए और बृटिश भारत में नगद रूप में या वस्तु के रूप मे लाए हुए रुपयों से या द्वारा हुआ होगा।

उपरोक्त आय को पाने का हक जिस शख्स को होगा, वह शख्स यदि बृटिश भारत का निवासी नहीं होगा तो इस आय पर जो टैक्स लगाया जायगा वह या तो आय को पाने के हकदार उस नन् रेजिडेण्ट के नाम से या उसके किसी एजेण्ट के नाम से लगाया जायगा। उस हालत में जब कि टैक्स एजेण्ट के नाम पर लगाया जायगा तो इस एक्ट के लिए, एजेण्ट ही इन्कम टैक्स के सम्बन्ध मे एसेसी माना जायगा।

बृटिश भारत में निवास नहीं करनेवाले शख्स से टैक्स धारा १८ के अनुसार उद्गम स्थान (at source) में ही कटवा कर वसूल किया जा सकता है।

यदि ऐसे शख्स मे टैक्स की कोई रकम बाकी होगी तो उपरोक्त तरीके के उपरान्त उसकी एसेट, जो कि बृटिश भारत मे होगी या कभी यहाँ आयगी उससे काटी जा सकेगी।

कोई भी एजेण्ट या ऐसा शख्स जिसको कि यह अन्देशा हो कि वह एजेण्ट माना जा सकता है तो भारत मे निवास नहीं करने वाले किसी शख्स को रुपये देते समय उनमे से उतनी रकम टैक्स स्वरूप अपने पास रख सकता है जितनी कि वह अनुमान से इस धारा के अनुसार देने का अपने को दायक समझे।

इस प्रकार काटी जाती हुई रकम को लेकर यदि एजेण्ट और नन् रेजिडेण्ट शख्स में मतभेद हो तो उस हालत मे कितने रुपये काटना—इस सम्बन्ध मे इन्कम टैक्स ऑफिसर से सार्टीफिकेट ली जा सकती है। और इस प्रकार प्राप्त की हुई सार्टीफिकेट टैक्स काट रखने के लिए अधिकार-पत्र समझी जायगी।

बाद मे नन् रेजिडेण्ट पर टैक्स लगायी जायगी तो एजेण्ट या उस शख्स से जिसने कि उपरोक्त रूप से रुपये काट कर रक्खे हैं उतने ही रुपये अदा किए जा सकेंगे जितने की सार्टीफिकेट के अनुसार उसने काटे होंगे। यदि एजेण्ट या उस शख्स के पास उस समय नन्-रेजिडेण्ट की ओर कोई एसेट होगी तो एसेट की तादाद तक और रुपये भी उससे काटे जा सकेंगे।

(२) यदि एक नन् रेसिडेण्ट शख्स या बृटिश भारत मे साधारण तौर पर नहीं बसनेवाले शख्स का बृटिश भारत मे बसनेवाले किसी शख्स के साथ कारबार होगा और इन्कम टैक्स ऑफिसर को ऐसा दिखाई देगा कि इन शख्सों मे नजदीक सम्बन्ध

होने से कारबार ऐसे ढंग से चलाया (किया) जाता है कि भारत मे बसनेवाले शख्स को, नन्-रेसिडेण्ट या बृटिश भारत में साधारण तौर पर नहीं बसनेवाले शख्स के साथ कारबार होने से, कोई मुनाफा नहीं होता या साधारण रूप से जितना नफा होने की सम्भावना की जा सकती है उतना नहीं होता तो उस कारबार से जो नफा हुआ होगा या जो उचित रूप से हुआ माना जायगा उसके सम्बन्ध मे टैक्स बृटिश भारत मे रहनेवाले शख्स के नाम से लगायी जायगी और वही इस एक्ट के प्रयोजन के लिए टैक्स के विषय में एसेसी माना जायगा।

(३) उस कारबार के नफे का, जिसके सब कार्य बृटिश भारत में नहीं किए जाते, उतना ही अंश बृटिश भारत में उपार्जन या सचित हुआ समझा जायगा जितना कि उचित तौर पर बृटिश भारत मे किए गये कार्यों के अंश से सम्बन्धित किया जा सकेगा।

—धारा : ४२

४—नन् रेजिडेण्ट का एजेन्ट कौन

४३—इस कानून के लिए नन् रेजिडेण्ट की ओर से निम्नलिखित शख्स एजेण्ट समझे जायँगे बशर्ते की इन्कम टैक्स ऑफिसर द्वारा उन्हे एजेण्ट मानने का नोटिस दे दिया गया हो :

(१) नन् रेजिडेण्ट द्वारा या उसकी तरफ से नियुक्त शख्स,

(२) नन् रेजिडेण्ट के साथ जिसका कोई व्यापारिक सम्बन्ध हो वह शख्स;

(३) रेजिडेण्ट को जिसके मार्फत कोई आमदनी, मुनाफा या लाभ प्राप्त हुआ होगा वह शख्स।

यदि साधारण तौर पर कारबार करते हुए बृटिश भारत मे रहते हुए किसी दलाल के मार्फत ऐसी परिस्थिति मे सौदे (transaction) होते हों कि उन सौदों के सम्बन्ध वह दलाल सीधा नन् रेसिडेण्ट प्रिन्सिपल के साथ या उसकी तरफ से काम नहीं करता परन्तु एक ऐसे नन्-रेसिडेण्ट- दलाल के साथ या उसकी ओर से काम करता है, जो कि साधारण तौर पर कारबार के ढंग पर ये सौदे करता है परन्तु प्रिन्सिपल नहीं है तो उस परिस्थिति मे इस धारा के लिए प्रथमोक्त दलाल को ऐसे सौदों के सम्बन्ध में नन् रेसिडेण्ट शख्स का एजेण्ट नहीं माना जायगा।

कोई भी शख्स किसी नन् रेजिडेण्ट का एजेण्ट नहीं माना जायगा जब तक कि उसके दायित्त्व के सम्बन्ध मे उसको अपने उज्र रखने का मौका नहीं दिया गया होगा।

एजेण्ट कौन है --यह समझाने के उदाहरण दिए जाते हैं :—

(१) ब विलायत से अपना माल अ को बृटिश भारत मे बेचने के लिए भेजता है। अ को नौकरी या कमीशन मिलती है। अ, ब का एजेण्ट कहलायगा।

(२) ब विलायत से अपना माल अपनी जोखम पर बृटिश भारत मे अ को बेचने के लिए भेजता है। उधार की जोखम ब की है। अ कमीशन पाता है। अ, ब का एजेन्ट है।

(३) बृटिश हिन्द का रईस अ विलायत से ब के पास से माल मोल लेता है और वह माल अ अपनी मर्जी मे आवे उस भाव से बेचता है। डूबत की जोखम ब की नहीं है। अ, ब का एजेण्ट नहीं है। कन्साइनमेण्ट के धन्धे मे एजेन्सी का सवाल उपस्थित नहीं होता।

—धारा : ४३

५—बन्द हुए फर्म या एसोसियेशन के सम्बन्ध में दायित्व

४४—यदि किसी फर्म ने या शख्सों के मण्डल ने अपने किसी कारवार, पेशे या रोजगार को बन्द कर दिया होगा तो बन्द करने के समय फर्म के जो व्यक्ति साझेदार थे या मण्डल के सदस्य थे वे फर्म या मण्डल की आमदनी पर टैक्स देने के लिए तथा टैक्स की रकम के लिए सम्मिलित रूप से और पृथक्-पृथक् रूप से दायक होंगे।

यही बात उस सम्बन्ध में भी समझनी चाहिए जब कि कोई व्यक्ति का मण्डल उठ जाय।

टैक्स कूतने और टैक्स लगाने के सम्बन्ध मे जो नियम अध्याय ४ मे बतलाए गये हैं वे सब, जहां तक होगा, लागू होंगे।

—धारा : ४४

अध्याय-५ ए

जहाजों से कारबार करने वालों के सम्बन्ध में खास विधान

१—ऐसे कारबार के सम्बन्ध में टैक्स का दायित्व

४४-ए—बहुत से ऐसे शख्स है जो बृटिश भारत के बाहर रहते हैं परन्तु जो बृटिश भारत में जहाज के मालिक या चार्टरर की हैसियत से कारबार करते हैं। ऐसे शख्सों पर टैक्स लगाने और उसे वसूल करने के विधान अलग ही हैं। ऐसे शख्स के सम्बन्ध में

साधारण विधान लागू नहीं पड़ते। ये खास विधान इस अध्याय मे लिखे जाते हैं।

यहां इतना खयाल रखना जरूरी है कि इन्कम टैक्स ऑफिसर को यदि इस बात का विश्वास हो जाय कि ऐसे शख्स की ओर से कोई एजेन्ट है जिससे बाद के वर्ष में टैक्स अदा किया जा सकेगा तो उस हालत मे ये खास विधान काम में नहीं लाए जाते।

उस शख्स को जो उपरोक्त रूप से कारबार करता है उसे नीचे की धाराओं मे 'प्रिन्सिपल' कहा गया है।

—धारा : ४४-ए

२—*लाभालाभ की रिटर्न*

४४—बी-(१) बृटिश भारत के किसी बन्दरगाह को छोड़ने के पहले हर जहाज के निरीक्षक (master) को जिस जहाज के प्रति ये खास विधान, लागू पड़ते है, एक रिटर्न तैयार कर इन्कम टैक्स ऑफिसर को देगा और इस रिटर्न में वह दिखायगा कि उस बन्दर-गाह में जहाज पहुँचने के समय से लादे गये माल, मुसाफिरों या जीवित जन्तुओं को ले जाने के भाड़े के सम्बन्ध मे चुकती कितने रुपये प्रिन्सिपल को दिए गये या देने होंगे।

(२) रिटर्न मिलने पर इन्कम टैक्स ऑफिसर उपधारा (१) के अनुसार जो रकम दिखाई गई होगी उसकी कूंत करेगा। और इसके लिए जो वही-खाते या कागज-पत्र आवश्यक समझेगा वह मगायगा। इस प्रकार जो रकम कूती जायगी उसका बारहवाँ हिस्सा उक्त बन्दरगाह से मुसाफिर, जीवित पशु और माल ले जाने के कारण हुआ नफा समझा जायगा।

(३) इस नफे पर इन्कम टैक्स ऑफिसर टैक्स लगायगा। टैक्स का रेट वह होगा जो कि उस समय एक कम्पनी की कुल

आय पर लागू होगा। टैक्स का रुपया मास्टर को देना होगा। और उस समय तक पोर्ट क्लीयरेंस नहीं मिलेगा जब तक कि कस्टम कलक्टर या क्लियरेंस देने के लिये अन्य अधिकृत ऑफिसर को यह संतोष न हो जाय कि टैक्स दे दिया गया है।

—धारा : ४४-वी

३—अडजेस्टमेंट

४४—(सी) इस अध्याय के अनुसार प्रिन्सिपल की ओर से जिस वर्ष में टैक्स दी गई होगी उसके बाद के वर्ष में प्रिन्सिपल यह दावा कर सकता है कि गत वर्ष की उसकी कुल आमदनी की कूंत की जाय और एक्ट के अन्य विधान के अनुसार टैक्स का निर्णय किया जाय और अगर ऐसा दावा किया जायगा तो यही समझा जायगा कि पहले जो रुपये दिए गए हैं वे टैक्स के सम्बन्ध में पेशगी दिये गये हैं।

इस प्रकार कूंती हुई टैक्स कम होगी तो पहले जितने रुपये अधिक लिए गये होंगे उतने वापिस दे दिए जायंगे। यदि टैक्स अधिक होगी तो बाकी रुपये और जमा देने होंगे।

—धारा : ४४ सी

अध्याय-५ बी

इन्कम टैक्स और सुपर टैक्स बचाने के अनुचित उपायों को रोकने के लिए खास विधान

१—आय के हस्तान्तर द्वारा टैक्स बचाना

४४—डी-(१) यदि कोई शख्स अपने एसेट्स [१] को इस प्रकार हस्तान्तरित करे कि उसके परिणाम स्वरूप या तत्सम्बन्धी कार्रवाही के परिणाम स्वरूप ऐसी कोई आमदनी, जिस पर कि उसके हाथ में टैक्स लग सकता था, किसी अन्य शख्स को, जो कि बृटिश भारत का वासिन्दा न हो या साधारण वासिन्दा न हो, मिलने लगे परन्तु इस प्रकार की आमदनी को उपभोग मे लाने का अधिकार उसी हस्तान्तरित करने वाले शख्स को हो तो यह आमदनी इस एक्ट के प्रयोजन के लिए प्रथम शख्स की ही समझी जायगी।

—धारा : ४४ डी (४)

---

[१] १—यहाँ 'एसेट' शब्द मे जायदाद (property) या किसी प्रकार के अधिकार को गर्भित समझना चाहिए। —धारा ४४ डी (७) ए

२ हस्तान्तर के सम्बन्ध में तत्सम्बन्धी कार्यवाही का अर्थ किसी शख्स द्वारा की गई उन कार्रवाहियों को समझना चाहिए जो

(१) एसेट्स हस्तान्तरित किए गये हैं उनके विषय मे की गई हों,

(२) एसेट्स प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हस्तान्तरित एसेट को अनुलक्ष (represent) करते हो, उनके विषय मे की हों,

(३) उपरोक्त एसेट्स द्वारा उत्पन्न आमदनी के विषय मे की जाय,

(४) ऐसे एसेट्स के विषय मे की गई हों जो उपरोक्त एसेट्स द्वारा एकत्रित आमदनी को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अनुलक्ष (represent) करती हो।

(२) यदि कोई शख्स अपने एसेट्स को इस प्रकार हस्तान्तरित करता है कि उसके परिणाम स्वरूप या तत्सम्बन्धी कार्रवाही के परिणाम स्वरूप कोई आमदनी किसी अन्य शख्स को, जो कि बृटिश भारत का वासिन्दा न हो या साधारण वासिन्दा न हो, मिलने लगे परन्तु हस्तान्तरित करनेवाले शख्स को हस्तान्तर के पहले या बाद में निम्नलिखित कोई रकम प्राप्त हो या प्राप्त करने का हक हो तो इस एक्ट के प्रयोजन के लिए वह आमदनी प्रथम शख्स की ही आमदनी मानी जायगी :—

(१) उधार के बतौर दी हुई या दी जानेवाली कोई रकम;

(२) उधार को चुकती करने के बतौर दी हुई कोई रकम,

(३) या अन्य कोई रकम जो कि रुपयों के रूप में पूरे वदले के बिना दी गई हो या दी जाने की हो और जो आमदनी के अतिरिक्त किसी अन्य रूप मे दी गई हो

(३) उपधारा (१) और (२) उस समय लागू नहीं होगी जब कि हस्तान्तर करनेवाला शख्स इन्कम टैक्स ऑफिसर को यह दिखा कर सन्तोष पहुँचा देगा

(१) कि न तो हस्तान्तर (transfer) और न तत्सम्बन्धी कार्रवाही का प्रयोजन या कोई एक प्रयोजन टैक्स से बचाना था, या

(२) कि हस्तान्तर और तत्सम्बन्धी सब कार्रवाही न्यायोचित कारवारी व्यवहार (bonafide commercial transactions) थे और वे टैक्स की जिम्मेवारी से वचने के लिए नहीं रचे गये थे।

(४) इस धारा के विधान ता० ३१ मार्च, १९४० को समाप्त होनेवाले वर्ष और उसके बाद के वर्षों में इन्कम टक्स और सुपर टैक्स लगाते समय लागू होंगे, और उन सब हस्तान्तरों और

तत्सम्बन्धी कामों के विषय मे लागू होंगे जो इस संशोधित कानून के शुरू होने के पहले या बाद में किए गये होंगे।

(५) यदि इस धारा के अनुसार किसी शख्स की समझी हुई आमदनी के सम्बन्ध मे उस पर टैक्स लगा दिया गया होगा और बाद मे वह आमदनी उस शख्स के हाथ मे 'आमदनी के रूप में या अन्य किसी रूप मे आई होगी, तो वह फिर इस एक्ट के प्रयोजन के लिए उसकी आमदनी की अंग नहीं मानी जायगी।

—धारा : ४४-डी

२—सिक्योरिटियों की लेवा वेची द्वारा टैक्स बचाना

४४-इ—(१) यदि जमानतों का मालिक (owner of any securities) जमानतों को बिक्री करने या हस्तान्तरित करने को राजी हो और उसी या सलग्न अग्रीमेंट के द्वारा

(ए) जमानतों को वापिस खरीदने या फिर से लेने को राजी हो, या

(बी) प्राप्त ऐच्छिक हक को बाद मे उन जमानतों को वापिस खरीदने या लेने के लिए काम में लाये और इसका फल यह हो कि इन जमानतों के विषय मे जो व्याज मिलने को था वह किसी अन्य शख्स को मिले तो इस एक्ट के प्रयोजन के लिए यह व्याज जमानत के मालिक की आमदनी समझी जायगी, किसी दूसरे शख्स की आमदनी नहीं।

(२) 'जमानतों को वापिस खरीदने या फिर से लेने' के अन्तर्गत वैसी ही अन्य जमानतों को वापिस खरीदने या फिर से लेने का अर्थ समझ लेना चाहिए।

यदि वैसी ही जमानते वापिस खरीदी जायगी या ली जायंगी तो

मालिक की जिम्मेवारी उससे अधिक नहीं होगी जितनी की उन्हीं जमानतों को वापिस खरीदने या लेने से होती।

(३) यदि कोई शख्स, जिसका कारबार सम्पूर्णतः या अश रूप से जमानतों की खरीद-विक्री है, कोई जमानत खरीदने या लेने को राजी हो और उसी या सलग्न अग्रीमेंट द्वारा—

(ए) जमानतों को वापिस विक्री कर देने या वापिस हस्तान्तरित कर देने को राजी हो, या

(बी) प्राप्त ऐच्छिक हक को बाद में उन जमानतों को वापिस बेचने या हस्तान्तरित करने के काम मे लावे और इसका फल यह हो कि जो ब्याज जमानतों के सम्बन्ध मे मिलने को हो वह उसे मिले तो इस एक्ट के प्रयोजन के लिए उस कारबार के नफे या नुकसान की कूत करते समय इस सौदे को हिसाब मे नहीं लिया जायगा।

(४) उपधारा (३) में जमानतें वापिस विक्री करने या वापिस हस्तान्तरित करने के अन्तर्गत वैसी ही अन्य जमानतों को वापिस बेचने या हस्तान्तरित करने का अर्थ समझ लेना चाहिए। परन्तु यह अर्थ किसी आवश्यक सुधार के अधीन होगा।

(५) इस धारा में (ए) 'ब्याज' शब्द में 'डिविडेन्ड' गर्भित है।

(बी) 'जमानत' शब्द में स्टाक और शेयर गर्भित है।

(सी) जमानतें सरीखी समझी जायंगी यदि जिनके पास ये है उनको मूल और ब्याज के सम्बन्ध में एक ही शख्स के प्रति समानाधिकार प्राप्त है और इस अधिकार को काम में लाने के भी समान उपाय प्राप्त हैं। जमानतों की मोट शाब्दिक कीमत में या जिस रूप में वे हैं या जिस ढंग से वे हस्तान्तरित की जा सकती हैं इसमें अन्तर होने से ही जमानतें भिन्न २ नहीं होंगी।

(ई) इन्कम टैक्स ऑफिसर लिखित सूचना देकर, किसी भी शख्स को, नोटिस में दी हुई मियाद के अन्दर (यह मियाद २८ दिन से कम न होगी), उन सब जमानतों के बारे मे जिनका कि, नोटिस में उक्त समय, वह मालिक था, वे सब विवरण पेश करने का आदेश कर सकता है जो कि वह इस उपधारा के प्रयोजन के लिए आवश्यक समझे और इस बात को खोजने के लिए आवश्यक समझे कि उन सब जमानतों के ब्याज के बाबत मे टैक्स दिया गया है या नहीं। यदि वह शख्स बिना किसी वाजिब कारण के नोटिस का पालन नहीं करेगा तो वह अधिक-से-अधिक ५००) के दण्ड का भागी होगा। इस प्रकार दण्ड करने के उपरान्त भी यदि वह अवज्ञा करेगा तो जितने दिन अवज्ञा करेगा उतने दिनों तक प्रत्येक दिन उपरोक्त दण्ड का भागी होगा।

—धारा : ४४ ई

२—स-डिविडेण्ड सिक्योरिटियों की खरीद बिक्री के द्वारा टैक्स को बचाना

४४-एफ—(१) इन्कम टैक्स ऑफिसर लिखित सूचना देकर किसी भी शख्स को, नोटिस मे दी हुई मियाद के अन्दर (यह मियाद २८ दिन से कम न होगी) तथा निर्दिष्ट फार्म पर किसी भी जमानत के विषय में जिसमे कि नोटिस मे उक्त समय के बीच किसी प्रकार का बेनीफिसीयल हक रहा होगा और जिसके विषय में, उक्त समय में, उसको कोई आमदनी नहीं मिली होगी, या उसको जो आमदनी मिली होगी वह उस रकम से कम होगी जितनी कि आमदनी होती अगर इन जमानतों की आमदनी रोज-रोज मिलती और उसी प्रकार से बाँटी जाती (apportioned accordingly) तो एक विवरण पेश

करने का आदेश कर सकता है और ऐसे शख्स को, चाहे सम्पर्क रखते हुए वर्ष या वर्षों के लिए उसकी कुल आमदनी पर टैक्स या सुपर टैक्स लगाया गया हो या न लगाया गया हो, मागे गये बयान या विवरण पेश करने होंगे।

(२) यदि ऐसे किसी शख्स की जमानतों के सम्बन्ध मे सब परिस्थितियों को (जिसमे बिक्री, खरीद, कारबार, कन्ट्राक्ट, बन्दोबस्त, हस्तान्तर या जमानतों के सम्बन्ध में कोई अन्य कार्रवाही सामिल है) देखते हुए इन्कम टैक्स ऑफिसर को यह दिखाई दे कि उस शख्स ने इस प्रकार किसी वर्ष के लिए जो टैक्स या सुपर टैक्स उसको इन जमानतों की आमदनी के सम्बन्ध में देनी होती, अगर वह आमदनी प्रति दिन उत्पन्न हुई मानी जाती और उसी अनुसार बाँटी जाती और इन्कम टैक्स और सुपर टैक्स के लिए सब साधनों की आमदनी का अंग मानी जाती, उसकी रकम की दृष्टि से १० प्रति शत से अधिक टैक्स को टाल दिया है तो उस अवस्था मे वे जमानते वे जमानतें मानी जायंगी जिन पर उपधारा (३) लागू पडती है।

(३) ऐसे किसी शख्स की हालत में टैक्स और सुपर टैक्स की कूत के लिए उन जमानतों की आय जिन पर कि यह धारा लागू होती है दिन प्रति दिन उत्पन्न हुई समझी जायगी और ऐसी जमानतों की उसके द्वारा बिक्री या हस्तान्तर होने पर या उसके खरीदने या हस्तान्तर कराने पर आमदनी उस समय प्राप्त हुई समझी जायगी जब कि वह उत्पन्न हुई समझी जायगी।

(४) यदि ऐसा शख्स इन्कम टैक्स ऑफिसर को सन्तोष देते हुए यह सिद्ध कर देगा कि इन्कम टैक्स या सुपर टैक्स को जो टाला गया वह अपवाद स्वरूप है और यह नियमित रूप से (Systematic) नहीं था और

(२) गत तीन वर्षों मे किसी वर्ष में इन्कम टैक्स या सुपर टैक्स को इस प्रकार नहीं बचाया गया या टाला गया था।

(३) धारा ४४ ई के विधान उस आमदनी के सम्बन्ध में लागू कर दिए गये हों तो उस हालत में यह धारा लागू नहीं होगी।

(४) यदि कोई शख्स इस धारा के अनुसार बयान या विवरण न दे या इन्कम टैक्स ऑफिसर इस धारा के अनुसार पेश किए हुए बयान या विवरण से सन्तुष्ट नहीं हो, तो उस हालत मे इन्कम टैक्स ऑफिसर उस आमदनी का अन्दाज कर सकता है जो कि इस धारा के पूर्वोक्त विधान के अनुसार इन्कम टैक्स के प्रयोजन के लिए उस शख्स की कुल आमदनी का अग मानी जाने को हो।

(५) यदि कोई शख्स बिना वाजिब कारण के इस धारा के अनुसार मागे गये कोई बयान या सब विवरण पेश नहीं करेगा तो वह दण्ड का भागी होगा। यह दण्ड अधिक-से-अधिक ५००) रुपये तक का हो सकेगा। यदि उपरोक्त दण्ड लगाने पर भी विवरण आदि नहीं पेश करने की गल्ती जारी रहेगी तो उपरोक्त दण्ड की रकम के उपरात जितने दिन वह जारी रहेगी प्रत्येक दिन के लिए वह उपरोक्त रूप से दण्ड का भागी होगा।

(६) इस धारा के प्रयोजन के लिए 'जमानत' शब्द मे स्टॉक और शेयर भी गर्भित है।

—धारा ४४ एफ

अध्याय-६

टैक्स और दण्ड की वसूली

१—टैक्स कब देना होगा ?

४५—धारा २३ ए की उपधारा (३) या धारा २६ के अनुसार डिमाण्ड नोटिस में जो रकम देने का लिखा होगा वह रकम समय के अन्दर, नोटिस में सूचित किए हुए स्थान और शख्स को देना होगा।

यदि नोटिस मे कोई समय निर्दिष्ट नहीं होगा तो नोटिस जारी की तारीख से दूसरे महीने के पहिले दिन या उसके पूर्व ही रकम जमा दे देनी होगी।

धारा ३१ या धारा ३२ या धारा ३३ के हुक्म के अनुसार जो रकम देनी होगी उसके सम्बन्ध में उपरोक्त नियम लागू होंगे।

जो शख्स इस प्रकार रुपये जमा देने मे गल्ती करेगा वह दोषी (in default) समझा जायगा।

यदि किसी एसेसी ने धारा ३० के अनुसार अपील की होगी तो इन्कम टैक्स ऑफिसर की इच्छा है कि वह उस समय तक उस एसेसी को दोषी—अपराधी न माने जबतक कि उस अपील का फैसला न हो जाय।

यदि किसी एसेसी पर ऐसी आमदनी के विषय में कर लगाया गया हो जो आमदनी बृटिश भारत के बाहर ऐसे देश में होती हो जहाँ कि बृटिश भारत को रुपये भेजने की कानूनी मना हो या रुकावट हो तो उस हालत में इन्कम टैक्स ऑफिसर एसेसी को, टैक्स के उस अंश के सम्बन्ध में अपराधी (in default) नहीं मानेगा जो कि उस रकम

के सम्बन्ध में बाकी होगी जो उपरोक्त कानूनी मनाही या रुकावट के कारण बृटिश भारत मे नहीं लाई जा सकती हो। परन्तु उपरोक्त कानूनी मनाही या रुकावट न हटे तब तक ही यह बात लागू समझनी चाहिये।

खुलासा : इस धारा के प्रयोजन के लिए आमदनी दो परिस्थितियों मे भारत मे लाई गई समझी जायगी :—

(१) यदि वह बृटिश भारत के बाहर एसेसी द्वारा किए गए किसी वास्तविक खर्च के प्रयोजन मे व्यय कर दी गई होगी या व्यय की जा सकती थी, उदाहरण स्वरूप बृटिश भारत मे न लाकर आय जिस देश मे हुई हो वहीं खर्च कर देना।

(२) यदि वह बृटिश भारत मे किसी रूप मे लाई गई हो फिर चाहे वह मूल धन के रूप मे परिवर्तित की गई हो या नहीं।

—धारा: ४५

२—कर अदाई की विधि और समय

४६—(१) यदि कोई एसेसी इन्कम टैक्स जमा न देने के सम्बन्ध मे अपराधी हो (in default) तो इन्कम टैक्स ऑफिसर की इच्छा पर है कि वह आदेश दे कि जो रुपये बाकी हैं उनके उपरान्त अमुक रकम दण्ड स्वरूप और अदा की जाय। इस प्रकार किए हुए दण्ड की रकम बाकी रुपयों की तादाद से अधिक नहीं होगी।

(१-ए) इन्कम टैक्स ऑफिसर बाकी रुपयों से कम रकम वसूल करने का आदेश भी कर सकता है,

और यदि कोई निरन्तर दोष करता जाय तो इन्कम टैक्स ऑफिसर कम की हुई रकम को समय-समय पर बढ़ा भी सकता है।

परन्तु वह सब मिला कर बाकी रुपयों से अधिक अदा करने का हुक्म नहीं कर सकता।

(२) इन्कम टैक्स ऑफिसर कलक्टर को अपना सही किया हुआ एक प्रमाण-पत्र भेज सकता है कि अमुक एसेसी में अमुक रकम बाकी है और कलक्टर, इस प्रमाण-पत्र के मिलने पर बाकी रकम अदा करने के लिए उस ढग से कार्रवाही करेगा मानो यह मालगुजारी की बाकी पड़ी (Arrears of Land-revenue) रकम हो।

डिग्री के वसूल करने के लिए सन् १९०८ ई० के कोड ऑफ सिविल प्रोसिडियोर के अनुसार जो अधिकार डिग्री-कर्जदार (Judgment debtor) के पावने रुपयों को कुर्क और बिक्री करने के सम्बन्ध मे दिवानी कोर्ट को है वे ही अधिकार कलक्टर को उक्त रुपये अदा करने के लिए एसेसी के पावने रुपयों को कुर्क और बिक्री करने के सम्बन्ध में है। परन्तु उपरोक्त अधिकारों से उन अन्य अधिकारों मे कोई फर्क नहीं आयगा जो कि कक्टर को प्राप्त है अर्थात् वह उनको भी काम में ला सकेगा।

(३) उस क्षेत्र में, जिसके सम्बन्ध मे कमिश्नर का यह आदेश हो कि कोई भी बाकी उस ढंग से अदा की जाय जिस ढग से कि प्रान्त के किसी भाग में म्युनिसिपल टैक्स या लोकल रेट अदा किया जाता है, तो इन्कम टैक्स ऑफिसर उसी ढग से बाकी वसूली की कार्रवाही करता है।

(४) कमिश्नर यह आदेश कर सकता कि उपरोक्त रूप से बाकी अदाई कराने का अधिकार किस अधिकारी को हो और कौन इस कर्तव्य को पूरा करे।

(५) यदि किसी एसेसी को वेतन के शीर्षक के नीचे टैक्स लगाई जानेवाली कोई आमदनी किसी से मिलती होगी तो इन्कम टैक्स ऑफिसर ऐसी आमदनी देनेवाले को आदेश कर सकता है कि वह सूचना की तारीख के बाद जो ऐसी रकम दे उसमे से एसेसी में बाकी रहा हुआ (Arrears) रुपया काट ले और उस शख्स को

इस आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। और इस प्रकार काटी हुई रकम केन्द्रीय सरकार के नाम जमा करा देनी होगी या केन्द्रीय बोर्ड ऑफ रेवीन्यू जिस तरह आदेश करेगा उस तरह देनी होगी।

(६) यदि गवर्नमेण्ट ऑफ इण्डिया एक्ट, १९३५ के अनुसार किसी क्षेत्र में टैक्स अदाई करने का भार प्रान्तीय सरकार को दे दिया गया होगा तो प्रान्तीय सरकार उस क्षेत्र या उसके किसी भाग के सम्बन्ध में यह आदेश कर सकती है कि उस क्षेत्र में इन्कम टैक्स किसी म्युनिसिपल टैक्स या लोकल रेट के साथ उसी व्यक्ति से और उसी तरह से वसूल किया जायगा जिस तरह कि म्युनिसिपल टैक्स या लोकल रेट वसूल किया जाता है।

(७) इस एक्ट के अनुसार किसी भी रकम की वसूली के लिए उस आर्थिक वर्ष के, जिसमे कि इस एक्ट के अनुसार कोई डिमाण्ड की गई होगी, अन्तिम दिन स एक वर्ष समाप्त होने के बाद कोई कार्रवाई शुरू नहीं की जा सकेगी। परन्तु धारा ४२ (१) या धारा ४५ के अपवाद के विधान के अनुसार यह कार्रवाही बाद मे भी की जा सकेगी।

—धारा. ४६

३—दण्ड की अदाई

४७—दण्ड स्वरूप जो रकम लगाई जायगी[१] वह बाकी टैक्स की वसूली के सम्बन्ध मे जो नियम इस अध्याय मे दिए हैं उन्हीं के अनुसार वसूल की जायगी।

—धारा: ४७

---

[१] दण्ड की यह रकम धारा २५ (२), २८, ४४-ई (६), ४४ एफ (५), या ४६ (१) के अनुसार लगाई जा सकती है।

अध्याय-७

रिफण्ड

१-रिफण्ड किस हालत में मिलेगा और कौन उसे पाने का हकदार होगा

४८—(१) कोई भी शख्स, हिन्दू अविभक्त परिवार, कम्पनी, स्थानीय सस्था, फर्म अथवा शख्सों का अन्य मण्डल अथवा फर्म का कोई भागीदार, अथवा मण्डल का कोई सदस्य इन्कम टैक्स ऑफिसर या अन्य केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी को इस बादत में विश्वास करा देगा कि उसके द्वारा दी हुई या उसकी ओर से दी हुई या दी हुई समझी गयी टैक्स उसकी आमदनी पर होने वाली इन्कम टैक्स की रकम से अधिक है तो वह इस अधिक रकम को फिरत पाने का अधिकारी होगा।

(२) अपील अथवा रीवीजन की सुनाई करते हुए एपेलेट एसिस्टेंट कमिश्नर अथवा कमिश्नर को विश्वास हो कि किसी को टैक्स रिफण्ड करने की आवश्यकता है, तो वह वैसी दी हुई या गल्ती से दी हुई टैक्स इन्कम टैक्स ऑफिसर द्वारा फिरती दिरावेगा।

(३) यदि किसी धारा के अनुसार एक शख्स की आमदनी दूसरे शख्स की आमदनी मे सामिल की गई हो, तो इस आमदनी सम्बन्धी रिफण्ड पाने का हकदार भी वह दूसरा शख्स होगा।

नए कानून के अनुसार इन्कम टैक्स और सुपर टैक्स रिफण्ड मिल सकती है परन्तु किसी कम्पनी के एक शेयर होल्डर को कम्पनी द्वारा अपनी आमदनी पर भरे हुए टैक्स का रिफण्ड नहीं मिल सकेगा।

किसी शख्स की वार्षिक आय २०००) से अधिक न होने पर उसको दी हुई टैक्स की सारी रकम वापिस मिल सकेगी।

ता० १-४-१९३९ से शुरू होनेवाले एसेसमेंट वर्ष से इन्कम टैक्स तथा सुपर टैक्स के नए दर अमल मे आएँगे परन्तु वेतन, सिक्योरिटी के व्याज तथा डिविडेंड की आमदनी पर एक वर्ष के लिए पुराना दर ही लागू पड़ेगा।

(४) जो अपील या उजर अन्य तरह से रद्द है वह इस धारा के द्वारा दुरुस्त नहीं होगा, न जो कर वाध दिया गया है या कोई वात अन्तिम रूप से तय हो चुकी है उसे ही रिवीजन करने का अधिकार आयगा, न किसी ऑफिसर को अपने किए हुए निर्णय को जिसकी अपील या रिवीजन हो सकती है दुहराने करने का अधिकार आयगा, अथवा न इस एक्ट मे अन्यत्र किसी रिलीफ को देने का साफ विधान हो तो उससे भिन्न या उससे अधिक रिलीफ पाने का ही हक होगा, अथवा न किसी को इस वात का हक होगा कि वह उस टैक्स के वावत में रिफण्ड पाय जो टैक्स की इस सशोधित कानून के पहले देने का है और जिसके वावत मे रिफण्ड पाने का हकदार इस संशोधित कानून के पास हुए विना वह न था।

—धारा ४८

२—रिफण्ड की दरखास्त किस तरह की जाती है

४९—रिफण्ड की अरजी जहाँ इन्कम टैक्स दिया जाता हो उस वार्ड के इन्कम टैक्स ऑफिसर के पास करनी होती है। यदि अरजी करने वाला इन्कम टैक्स नहीं देता हो तो वह जहाँ रहता है उस वार्ड के इन्कम टैक्स ऑफिसर को अरजी करनी होती है।

जो आसामी वृटिश भारत के वाहर रहता हो, उसको "नन-रेजिडेंट्स रिफण्डस सर्कल" के ऑफिसर के पास अरजी करनी होगी। रिफण्ड की दरखास्त निर्धारित फोर्म और रीति से करनी होगी। अरजी का फोर्म इन्कम टैक्स ऑफिसर से प्राप्त हो सकेगा। अरजी

के साथ रिटर्न भरना होगा और उसमे गत वर्ष मे कर लगने योग्य साधनों से जो आय मिली होगी वह दिखानी होगी।

रिटर्न भरती करते समय वृटिश भारत में हुई तथा वृटिश भारत के वाहर हुई सब आमदनी दिखानी पड़ेगी। ऐसे शख्स की वृटिश भारत के वाहर हुई आमदनी पर कर नहीं लगाया जाता, परन्तु उसकी कुल आमदनी पर क्या दर लागू पड़ता है, और किस दर से रिफण्ड देना चाहिए यह नक्की करने के लिए ही उसकी वृटिश भारत के वाहर हुई आमदनी उसे वतानी पड़ती है।

वृटिश भारत के वाहर रहनेवाला शख्स जो वृटिश रैयत नहीं होगा अथवा भारत अथवा वर्मा की कोई स्टेट का रैयत नहीं होगा तो वैसे शख्स को किसी भी प्रकार का रिफण्ड नहीं मिल सकेगा।

डिविडेंड तथा सिक्योरिटी के व्याज की रकम मे से जब इन्कम टैक्स काट लिया जाता है, तब इन्कम टैक्स भर चुकने की तथा काट लेने की सार्टीफिकेट दी जाती है। रिफण्ड की अरजी करते समय ऐसी सार्टीफिकेटों को अरजी के साथ दाखिल करना होता है।

३—रिफण्ड की रकम वाकी टैक्स मे भरी जा सकती है

४९-ए डिविडेंड तथा जमानतों के व्याज सिवाय अरजी करने वाले की अन्य आमदनी पर टैक्स लागू पड़ता हो, तो वैसी टैक्स की रकम रिफण्ड की रकम मे से वाद देकर वाकी रुपये रिफण्ड मिलते हैं। परन्तु यदि वह टैक्स की रकम रिफण्ड की रकम से अधिक हो तो रिफण्ड की रकम टैक्स की रकम में से वाद कर वाकी टैक्स और माग ले ली जाती है।

—धाराः ४९-ई

४—मृतक आदि शख्स की तरफ से रिफण्ड पाने का हक किसको

४९-बी—मृत्यु पाए अथवा कानून अनुसार किसी प्रकार अशक्त हुए आसामी अथवा किसी दिवालिए की तरफ से उसका एकजीक्युटर, एडमिनिस्ट्रेटर अथवा कोई अन्य प्रतिनिधि अथवा ट्रस्टी इन्कम टैक्स और सुपर टैक्स का रिफण्ड ले सकेगा।

—धारा: ४९ एफ

४९-सी—कर से अमुक्त जमानतों के व्याज पर अधिक-से-अधिक दर से इन्कम टैक्स काट ली जाती है। परन्तु यदि किसी शख्स की आमदनी हर वर्ष एक सरखी और स्थिर रहती हो, और उसमें फेरफार नहीं होता हो, तो इन्कम टैक्स ऑफिसर के पास अरजी करने से वह एक सार्टीफिकेट देगा, जिसके बल पर, यदि उस शख्स की आमदनी कर योग्य आमदनी जितनी नहीं होगी तो, उसको जमानत का व्याज देते समय उसमे से इन्कम टैक्स काटा नहीं जायगा अथवा यदि उसकी आमदनी कर योग्य आमदनी जितनी होगी तो सार्टीफिकेट मे दर्शायी हुई दर से इन्कम टैक्स काट लिया जायगा।

कोई संस्था अथवा फण्ड की आमदनी धर्मादा अथवा सर्व-साधारण के हित के कार्यार्थ लगाने मे आती हो तो वैसी आमदनी पर कर नहीं लिया जायगा। ऐसी कोई आमदनी डिविडेंड अथवा सिक्योरिटी के व्याज से उपजी हो, और उस पर मूल मे (at source) इन्कम टैक्स काटा गया हो तो उस हालत मे इन्कम टैक्स का रिफण्ड ऊँचे से ऊँचे दर से दिया जाता है। ऐसी हालत मे हर वर्ष रिफण्ड लेने के बदले इन्कम की माफी की सार्टीफिकेट लेने के लिये इन्कम टैक्स ऑफिसर को अरजी की जा सकती है। इन्कम टैक्स ऑफिसर को सन्तोष होने पर कि अरजी करने वाली संस्था अथवा फण्ड की आमदनी

फक्त धर्मादा अथवा सर्वसाधारण के हित के कार्यार्थ ही लगाई जाती है, वह एक माफी की सार्टीफिकेट देगा, जिसके अनुसार सिक्योरिटी के व्याज पर मूल पर इन्कम टैक्स नहीं काटा जायगा।

पुराने कानून के अनुसार इन्कम टैक्स का रिफण्ड एक ही वर्ष का मिलता था अब वह पाँच वर्ष तक का मिल सकेगा। इन्कम टैक्स या सुपर टैक्स की रिफण्ड की अरजी जो पिछले वर्ष मे आमदनी हुई हो अथवा मिली हो उस गत वर्ष के वाद के आर्थिक वर्ष के अन्तिम दिन से ४ वर्ष के अन्दर करनी होगी।

ता० १-४-१९३९ के पहले दी हुई टैक्स के वावत मे रिफण्ड की अरजी पुराने कायदे के अनुसार एक वर्ष के अन्दर करनी होगी।

रिफण्ड की अरजी करने की मुद्दत गिनते समय ध्यान रखना चाहिए कि कम्पनी जिस तारीख को डिविडेंड जाहिर करती है वह तारीख गिनी जाती है। परन्तु जो कोई शेयर होल्डर अपना हिसाव रोकड़ पद्धति से रखता है, तो जिस दिन उसे डिविडेंड मिले वह तारीख गिनी जाती है। यदि इन्कम टैक्स ऑफिसर कोई कारणवश रिफण्ड देने मे ना करे अथवा रिफण्ड की रकम के सम्बन्ध में कोई उज्र करे तो उसके विरुद्ध एपेलेट एसिस्टेंट कमिश्नर के पास अपील हो सकती है। अपील इन्कम टैक्स ऑफिसर के हुक्म मिलने के ३० दिन के अन्दर करनी चाहिये।

—धारा : ५०

अध्याय-८

सुपर टैक्स

१—सुपर टैक्स की कूंत

५०—सुपर टैक्स उस टैक्स को कहते हैं जो अमुक मर्यादा के उपरान्त आमदनी होने पर इन्कम टैक्स के उपरान्त देना पड़ता है। यह टैक्स हरेक शख्स, हिन्दू अविभक्त परिवार, कम्पनी, स्थानीय अधिकारी, बिना रजिस्ट्री किए हुए फर्म, रजिस्ट्री किए हुए फर्म के सिवा अन्य एशोसियेशन, या व्यक्तिगत रूप से फर्म या एसोसियेशन के सदस्यों को देना पडता है।

पहले के कानून अनुसार हिन्दू अविभक्त परिवार को रु० ७५,०००) से उपरान्त आमदनी पर, कम्पनी को ५०,०००) उपरान्त आमदनी पर तथा और सब को ३०,०००) के उपरान्त आमदनी पर सुपर टैक्स देना पडता था परन्तु संशोधित कानून के अनुसार कम्पनी को अपनी सारी आमदनी पर चाहे वह) पैसा हो या १,००,०००) और अविभक्त हिन्दू परिवार आदि को रु० २५०००) उपरान्त जो आमदनी होगी उस पर टैक्स देना होगा। सुपर टैक्स के दर अन्यत्र दिए हैं।

—धारा : ५५

२—सुपर टैक्स के लिए कुल आमदनी

५१—इन्कम टैक्स के दर को निश्चित करने के लिए जो कुल आमदनी कूती जायगी, सुपर टैक्स लगाने के लिए भी वही आमदनी

कुल आमदनी समझी जायगी। इन्कम टैक्स के लिए कुल आमदनी जैसे ही निश्चित कर दी जायगी सुपर टैक्स के लिए अपने आप निश्चित हो जायगी।

—धारा : ५६

३—सुपर टैक्स के सम्बन्ध में एक्ट का लागू होना

५२—(१) सुपर टैक्स लगाने, सुपर टैक्स के लिए आमदनी कूतने, सुपरटैक्स अदा करने आदि के सम्बन्ध मे प्रायः वे ही नियम लागू होते हैं जो कि इन्कम टैक्स लगाने आदि के सम्बन्ध मे लागू होते हैं।

(२) सुपर टैक्स प्रायः सीधा एसेसी से आदा किया जाता है। इन्कमटैक्स से बरी सिक्योरिटि के ब्याज पर तथा डिविडेन्ड पर भी सुपर टैक्स लिया जाता है। सुपर टैक्स का फलाव करते समय जीवन बीमा का रुपया बाद नहीं दिया जाता।

यदि बिना रजिस्ट्री किए हुए किसी फर्म ने सुपर टैक्स दी होगी तो उस फर्म के हिस्सेदारों को उस फर्म से मिली आमदनी के भाग पर व्यक्तिगत तौर पर सुपर टैक्स नहीं देना होगा। परन्तु यदि फर्म ने सुपर टैक्स नहीं दिया होगा तो उस फर्म के हरेक साझेदार को उस फर्म से मिली आमदनी के भाग पर सुपर टैक्स देना होगा। कम्पनी के अतिरिक्त, शख्सों के अन्य एसोसियेशन पर सुपर टैक्स रजिस्ट्री नहीं किए हुए फर्म की तरह लगाया जायगा।

रजिस्ट्री हुए फर्म को सुपर टैक्स नहीं देना होता। रजिस्ट्री हुए फर्म की कुल आमदनी उसके सब साझेदारों में हिस्से अनुसार बांट दी जाती है और हरेक साझेदार को व्यक्तिगत रूप से अपनी निज की कुल आमदनी पर सुपर टैक्स देना पड़ता है।

—धारा : ५८

अध्याय-६

कई प्रकार के सुपर-एनुएशन फण्ड के सम्बन्ध में खास विधान

१—परिभाषाएँ

५३ (ए) जो सुपर एनुएशन फण्ड सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ रेविन्यू द्वारा स्वीकृत हो जाता है या होता रहता है उसे अपरूव्ड सुपर-एनुएशन फण्ड कहते हैं। ऐसे फण्ड का कोई हिस्सा भी यदि उपरोक्त स्वरूप से स्वीकृत हुआ होगा तो वह भी अपरूव्ड सुपर-एनुएशन फण्ड कहलायगा।

(वी) इस अध्याय मे स्वामी (Employei) का अर्थ है :

(क) ऐसा सयुक्त परिवार, कम्पनी, फर्म या शख्सों की अन्य एसोसियेशन, या

(ख) कोई व्यक्ति जो कि ऐसे कारवार, पेशे या धन्धे में लगा हो जिसकी आमदनी पर धारा १० के अनुसार टैक्स लगाया जा सकता हो और जिसके द्वारा अपने या अपने कर्मचारियों (Employees) के लाभ के लिए सुपरएनुएशन फण्ड चलाया जा रहा हो। कर्मचारी (Employee) का अर्थ है : वह कर्मचारी जो सुपरएनुएशन फण्ड मे भाग ले। परन्तु इस शब्द मे कोई घरू (Pe1sonal o1 domestic) नौकर सामिल नहीं है।

'कन्ट्रीव्युशन' का अर्थ है—ऐसी रकम जो कि किसी कर्मचारी द्वारा या उसकी तरफ से उसके खाते मे जमा दी जाय या मालिक अपने

रुपयों में से उसके खाते मे जमा दे। परन्तु व्याज के वतौर जो रकम जमा की जायगी उसे कन्ट्रीव्युशन नहीं कहा जायगा।

(सी) 'ओर्डिनरी एनूअल कन्ट्रीव्युशन' उस वार्षिक चन्दे को कहते है जो कि एक निश्चित रकम में दिया जाय। फण्ड के सदस्यों की संख्या, उनकी कमाई और चन्दे को देख कर एक निश्चित प्रणाली से जो वार्षिक चन्दा निर्धारित किया जाता है उसको भी उपरोक्त कन्ट्रीव्युशन कहते हैं।

—धारा : ५८ एन

२—मजूरी की शर्तें

५४—निम्न लिखित शर्तें पूरी होने पर सेन्ट्रल वोर्ड ऑफ रेविन्यू किसी सुपरएनुएशन फण्ड को स्वीकार (Approve) करेगा और बाद में भी करता रहेगा :—

(१) फण्ड इर्रिभोकेवल (irrevocable) ट्रस्ट की अधीनता (under) में स्थापित होना चाहिए तथा वृटिश भारत में चलाए जाते हुए व्यापार (trade) या काम (undertaking) से सम्बन्धित होना चाहिए।

(२) फण्ड की स्थापना कर्मचारियों को, उनके अलग होने पर, या कोई खास उमर आ जाने पर या अलग हो जाने के पहले ही काम के लिए असमर्थ हो जाने पर या ऐसे शख्सों के मर जाने के वाद उनकी विधवाओं, वालबच्चों और उन पर निर्भर करने वालों को सहायता (annuity) देने के ही एक मात्र उद्देश्य से होनी चाहिए।

(३) स्वामी (enployer) को इस फण्ड में चन्दा देना होगा।

सेन्ट्रल वोर्ड ऑफ रेविन्यू यदि उचित समझे तो उस हालत मे भी किसी फण्ड या फण्ड के भाग को सुपरएनुएशन फण्ड के रूपमे स्वीकार (Applove) कर सकता है (१) जब कि खास परिस्थितियों में चन्दे को लौटा देने का भी नियम हो। (२) जब कि फण्ड का मुख्य उद्देश्य ऊपर बताया हुआ हो परन्तु वह एक मात्र उद्देश्य न हो, (३) चाहे कारबार अंश रूप से ही बृटिश भारत में किया जाता हो। ऐसा करते हुए सेन्ट्रल वोर्ड ऑफ रेविन्यू उचित समझे उन शर्तों को लगा सकता है।

—धारा . ५८ पी

३—मंजूरी और मंजूरी को हटाना

५५—(१) सन्ट्रेल वोर्ड ऑफ रेविन्यू किसी भी समय अपने द्वारा दी हुई मंजूरी को हटा सकता है यदि उसकी राय मे मंजूरी को चालू रखने की परिस्थिति नहीं रही मालूम दे।

(२) फण्ड के मंजूर हो जाने पर वोर्ड लिखित रूप मे फण्ड के ट्रस्टियों को इस बात की सूचना देगा और किस तारीख से यह स्वीकृति जारी होगी यह भी लिखेगा। यदि स्वीकृति किन्हीं शर्तों पर दी गई होगी तो उन शर्तों को भी लिखेगा।

(३) मंजूरी हटा लेने पर वोर्ड को लिखित रूप से इसकी सूचना भी देनी होगी—ऐसा करने का कारण तथा नामंजूरी कब से लागू होगी यह भी लिख देना होगा।

(४) मंजूरी को हटाने के पहले वोर्ड को फण्ड के ट्रस्टियों को अपनी बातें कहने के लिये उचित सुअवसर देना होगा।

—धारा. ५८ ओ

४—मंजूरी के लिए दरखास्त

५६ (१) किसी भी एसेसमेंट वर्ष के लिये मंजूरी प्राप्त करने के लिये उस वर्ष के समाप्त होने के पहले पहले एक लिखित अरजी इन्कम टैक्स ऑफिसर के सम्मुख करनी होगी। इस अरजी के साथ वह दस्तावेज भेजना होगा जिसके अनुसार फण्ड स्थापित हुआ है। फण्ड के नियमों की तथा पिछले वर्ष के हिसाब की दो नकलें भी साथ मे भेजनी होंगी। सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ रेविन्यू और भी जो उचित समझेगा वह सब विवरण माग सकेगा।

(२) यदि अरजी की तारीख के बाद फण्ड के नियम, संगठन, उद्देश्य या स्थिति में कोई परिवर्तन किया जायगा तो ट्रस्टियों को इस बात की सूचना इन्कम टैक्स ऑफिसर के पास भेज देनी होगी। इसमें गल्ती होने पर, यदि मंजूरी दी गई होगी तो वह, अपने आप उस तारीख से रद्द हुई समझी जायगी जिस तारीख को परिवर्तन किया गया है। सेन्ट्रल बोर्ड इस सम्बन्ध मे कोई दूसरा हुकम भी कर सकता है।

—धारा: ५८ क्यू

५—इन्कम टैक्स से छूट

५७—मंजूर हुए सुपर एनुएशन फण्ड (Super annuation fund) की रकम से जो आमदनी होगी उस पर टैक्स नहीं लगेगी। स्वामी (employer) ऐसे फण्ड में जो चन्दा देगा वह उसकी आमदनी की कूत करते समय उसमें से बाद दे दिया जायगा। कर्मचारी जो चन्दा देगा वह जीवन बीमा के प्रीमियम की तरह समझा जायगा और उसके सम्बन्ध में जो नियम पिछे प्रीमियम के सम्बन्ध में लागू बतलाये गये है वे सब लागू होंगे।

परन्तु जो रकम ऑर्डिनरी एनूअल कन्ट्रीब्युशन नहीं है उसके सम्बन्ध मे कर्मचारी को उपरोक्त छूट नहीं दी जायगी।

यदि स्वामी (employer) द्वारा दिया हुआ चन्दा ऑर्डिनरी एनूअल कन्ट्रीब्युशन नहीं होगा तो इस धारा के लिये वह या तो उसी साल का खर्च समझा जायगा जिस साल में चन्दा दिया गया है या वह सेन्ट्रल बोर्ड उचित समझेगा उतने वर्षों में बंटा हुआ खर्च समझा जायगा।

—धाराः ५८-आर

६—फिरती दिए हुए चन्दों के सम्बन्ध में नियम

५८—(१) यदि चन्दा (जिसमे ब्याज भी सामिल समझना चाहिए) कर्मचारी को वापिस दिया जायगा, तो इस प्रकार वापिस दी हुई रकम कर्मचारी की उस वर्ष मे हुई आमदनी समझी जायगी और उस पर इन्कम टैक्स और सुपर टैक्स लगेगा।

(२) यदि चन्दा कर्मचारी को उसके जीवन काल मे ही वापिस दिया जाता हो, परन्तु नौकरी समाप्त होने पर या उसके सम्बन्ध मे नहीं दिया जाता तो उसे इस प्रकार वापिस दी जाने वाली चन्दे की रकम या ब्याज की रकम से ट्रस्टियों को इन्कम टैक्स काट लेना होगा। इन्कम टैक्स, उस गडपड़ता दर से काटना होगा जो दर कि पिछले तीन वर्षों में उस पर लागू पडता हो। यदि फण्ड के सदस्य हुए उसे तीन वर्ष नहीं हुए होंगे तो इस अवधि मे उस पर जो दर लागू पडता होगा टैक्स उसी दर से ली जायगी।

इस प्रकार काटी हुई टैक्स केन्द्रीय सरकार के नाम मे जमा कर देनी होगी।

—धारा : ५८-एस

७—काटे गये चन्दे आदि को रिटर्न में दिखाना

५९—स्वामी (Employer) कर्मचारी के वेतन में से जो चन्दा काटेगा या उसकी ओर से वह जो चन्दा किसी अपरूवृड सुपर एनु-एशन फण्ड में देगा उन रकमों को धारा २१ के अनुसार जो रिटर्न दी जायगी उसमें दिखा देना होगा।

—धारा : ५८-टी

८—फण्ड की मंजूरी न रहने पर ट्रस्टियों का दायित्व

६०—यदि कोई फण्ड या उसका कोई भाग किसी कारण से अपरूवृड सुपरएनुएशन फण्ड नहीं रहता तो उस हालत मे भी फण्ड के ट्रस्टियों को निम्न लिखित रकमों के सम्बन्ध में टैक्स के लिए दायक रहना होगा। :

(ए) जो चन्दे (व्याज भी सामिल समझना चाहिए) लौटाए गये हों और उनकी रकमों के सम्बन्ध में,

(वी) जो रकमें एनूइटी के वदले में या उसको चुकती करने के लिये दी गई हों।

परन्तु यह ख़्याल रखने की बात है कि यदि रकमे उस चन्दे के विषय मे होंगी जो कि फण्ड या उसके किसी भाग के अस्वीकृत न होने के पहले दी गई होंगी तभी ट्रस्टी उस पर टैक्स के लिए दायक रहेगे।

—धारा : ५८ यू

९—फण्ड के सम्बन्ध में विवरण

६१—अभरूवृड सुपर एनुएशन फण्ड के ट्रस्टियों को तथा ऐसे फण्ड में चन्दा देने वाले मालिक (Employer) को, इन्कम टैक्स ऑफिसर के चाहने पर, नोटिस की तारीख के २१ दिन के अन्दर—

(ए) इन्कम टैक्स ऑफिसर के सम्मुख एक रिटर्न पेश करनी होगी जिसमें चन्दे के सम्बन्ध में वे सब विवरण दे देने होंगे जो कि मागे गये होंगे।

(डी) एक रिटर्न देनी होगी जिसमे

(क) उन सब व्यक्तियों के नाम और पते देने होंगे जिनको फण्ड से एनूइटी मिली है।

(ख) प्रत्येक व्यक्ति को दी गई एनूइटी की रकम दिखानी होगी।

(ग) स्वामी या कर्मचारी को जो चन्दा लौटाया गया हो उसका विवरण तथा ऐसे चन्दो के व्याज का विवरण।

(घ) एन्यूइटी के बदले मे या उसको नक्की कर जो रकमे दी गई हों उनका विवरण।

(सी) इन्कम टैक्स ऑफिसर को फण्ड के हिसाब की नकल, नोटिस की तारीख के पहले जब तक हिसाब लिखा गया होगा तब तक की देनी होगी तथा वे सब विवरण और सूचनाएँ देनी होंगी जो कि सैन्ट्रल बोर्ड ऑफ रेवीन्यू वाजिब रूप से माग सके।

—धारा : ५८ भी

अध्याय-१०

फुटकर

१—एसेसी की ओर से प्रतिनिधि

६२—(१) कोई भी एसेसी जो कि इस एक्ट के नीचे होने वाली किसी कार्रवाही के सम्बन्ध में इन्कम टैक्स ऑफिसर के सम्मुख हाजिर होने का हक रखता है या जिसको हाजिर होने का हुक्म मिला है वह अन्य शख्स के जरिए, जिसको कि इस बावत में लिखित अधिकार दिया हो, हाजिर हो सकता है।

परन्तु इस तरह का अधिकार केवल, एसेसी के किसी सम्बन्धी, एसेसी द्वारा बराबर नियुक्त व्यक्ति, कानूनज्ञ, हिसावज्ञ (Accountant), इन्कम टैक्स आफिसों में प्रेकटिश करने वालों को ही दिया जा सकता है।

जिस व्यक्ति को कानून के अनुसार अयोग्य ठहरा दियागया होगा उसको उपरोक्त अधिकार नहीं दिया जा सकता।

उस हालत में जब कि एसेसी को धारा ३७ के अनुसार खुद हाजिर होकर सपथ पूर्वक जाचे जाने के लिए बुलाया गया होगा वह अन्य किसी के मारफत हाजिर नहीं हो सकेगा।

—धारा : ६१

२—टैक्स कहाँ लगाई जायगी

६३—(१) एक एसेसी जहाँ कारवार आदि करता होगा उस इलाके का इन्कम टैक्स ऑफिसर उसकी आमदनी पर कर लगा सकेगा। परन्तु जो वह एक से अधिक जगह कारवार करता हो तो

कारवार का मुख्य स्थान जहाँ होगा उस इलाके का इन्कम टैक्स ऑफिसर कर लगा सकेगा।

(२) इसके सिवा और सब हालतों मे एसेसी जहाँ रहता होगा उस जगह का इन्कम टैक्स आफिसर कर लगा सकेगा।

(३) कर लगाने के स्थल के सम्बन्ध मे कोई प्रश्न उपस्थित होने पर उसका निपटारा कमिश्नर करेगा। यदि यह सवाल ऐसे स्थलों के वीच होगा जो एक से अधिक प्रान्तों मे हैं तो उस हालत मे जिन कमिश्नरों का सम्पर्क होगा वे इसका निपटारा करेंगे। यदि ये कमिश्नर परस्पर एक राय नहीं होंगे तो इसका निपटारा केन्द्रीय वोर्ड ऑफ रेविन्यू द्वारा किया जायगा।

इस प्रकार का कोई निर्णय करने के पहिले ऐसेसी को अपने विचार रखने का मौका दिया जायगा। धारा २२ ए के अनुसार रिटर्न भरने के बाद, और उसमें अपने कारबार का मुख्य स्थान वतला देने के बाद कोई एसेसी कर लगाने के स्थल के सम्बन्ध मे कोई उज्र नहीं कर सकेगा अथवा यदि उसने ऐसा रिटर्न नहीं भरा होगा तो धारा २२ (२) अथवा धारा ३४ के अनुसार रिटर्न भरने की नोटिस मे सूचित मुद्दत खलास होने के बाद वह ऐसा उज्र नहीं उठा सकेगा।

यदि एसेसी कर लगाने के स्थान के सम्बन्ध मे कोई प्रश्न खडा करेगा और इन्कम टैक्स आफिसर यदि एसेसी की बात को सही नहीं समझेगा तो वह निर्णय प्राप्त करने के लिये इस विषय को कर लगाने के पहिले कमिश्नर के पास भेज देगा।